3 राजधानी
केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 तक बढ़ी

6 अभिमत
राहुल गांधी की प्रभावशीलता

11 विदेश
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुर्मू ने की चर्चा

12 स्पोर्ट्स
अमन सहरावत कांस्य पदक के लिए खेलेंगे

RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 12 अंक 271
नई दिल्ली, शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

धनखड़ कार्यवाही के बीच आसन छोड़कर चले गए

राष्ट्रीय-10

वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में घमासान, जेपीसी करेगी विचार

राजेश कुमार। नई दिल्ली

कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक समावेशी (इंडिया) गठबंधन द्वारा प्रस्तावित वक्फ कानून के मौजूदा स्वरूप का विरोध करने और विधेयक को 'विभाजनकारी', 'मुस्लिम विरोधी' और 'असंवैधानिक' करार देने के बीच बृहस्पतिवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया गया और इसके साथ ही आगे की जांच के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन करूंगा।

नई दिल्ली में बृहस्पतिवार को लोकसभा में बोलते केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू

विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दलों जनता दल (यूनाइटेड), तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और शिवसेना ने विधेयक का समर्थन किया, हालांकि, तेदेपा ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की पैरवी की। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि विधेयक में किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है तथा संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन पहली बार सदन में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद सबसे पहले 1954 में यह विधेयक लाया गया। इसके बाद कई संशोधन किए गए। रीजीजू ने कहा कि व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श के बाद यह संशोधन विधेयक लाया गया है जिससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय बनी सच्चर समिति और एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का उल्लेख किया और कहा कि इनकी सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक लाया गया।

विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान और संघवाद पर हमला है तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर हमला है। उन्होंने सवाल किया, उच्चतम न्यायालय के आदेश से अयोध्या में मंदिर बोर्ड का गठन किया गया। क्या कोई गैर हिंदू इसका सदस्य हो सकता है। फिर वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य की बात क्यों की जा रही है? वेणुगोपाल ने दावा किया कि यह विधेयक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा, अभी आप मुस्लिम पर हमला कर रहे हैं, फिर ईसाई पर करेंगे, उसके बाद जैन पर करेंगे। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि यह विधेयक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के लिए लाया गया है, लेकिन देश की जनता अब इस तरह की विभाजन वाली राजनीति पसंद नहीं करती। वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे पर भी हमला है। (शेष पृष्ठ 9)

हॉकी टीम ने कांस्य जीतकर देश का बढ़ाया मान

भाषा। पेरिस

तोक्यो की कहानी को पेरिस ओलंपिक में दोहराते हुए भारतीय हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दो गोल की मदद से स्पेन को 2 -1 से हराकर देश के लिए और अपने सुनहरे कैरियर पर विराम लगाने वाले पी आर श्रीजेश के लिए कांस्य पदक जीता। जीत के बाद श्रीजेश को कंधे पर बिठाकर मैदान का चक्कर लगाने वाले कप्तान हरमनप्रीत सिंह के साथ टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठे करोड़ों भारतीयों की भी आंखें नम हो गई। ओलंपिक पदक के साथ विदा लेने वाले श्रीजेश जीत के बाद गोलपोस्ट के ऊपर जाकर बैठे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। जर्मनी के हाथों सेमीफाइनल में मिली हार का

गोलकीपर श्रीजेश को कंधे पर बिठाकर मैदान का चक्कर लगाती भारतीय टीम

गम भुलाकर डेढ दिन बाद भारतीय टीम फिर युवेस डु मनोइर स्टेडियम पर उतरी तो हर खिलाड़ी का एक ही लक्ष्य था कि खाली हाथ नहीं लौटना है। एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए भारत ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में गोल करके न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि पेरिस ओलंपिक में कल पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य करार दिए जाने से देश भर में छाई मायूसी को दूर करने का प्रयास भी किया।

इस जीत के साथ ही भारत के लिए 336 मैच खेलने वाले महान गोलकीपर श्रीजेश ने भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। भारतीय टीम के लिए हरमनप्रीत सिंह ने (30वें, 33वें मिनट) जबकि स्पेन के लिए मार्क मिरालेस (18वां मिनट) ने गोल दागे। आठ बार की चैम्पियन भारतीय पुरूष हॉकी टीम का यह 13वां ओलंपिक पदक है और पचास साल बाद लगातार दो ओलंपिक में पदक जीते हैं। इससे पहले 1968 में मैक्सिको और 1972 में म्युनिख ओलंपिक में भारत ने कांस्य जीता था। (शेष पृष्ठ 9)

फाइल चित्र

दुखी विनेश ने कुश्ती को कहा अलविदा

पीटीआई। पेरिस

भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपनी मां को संबोधित एक भावुक संदेश में कुश्ती को अलविदा कहने की घोषणा की और कहा कि अब आगे खेलने की ताकत नहीं है। विनेश को बुधवार को महिलाओं के 50 किग्रा वर्ग के फाइनल से पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था। उन्होंने एक्स पर संन्यास की घोषणा की। अपनी मां प्रेमलता को संबोधित करते हुए 29 वर्षीय विनेश ने लिखा, मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना। आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। दो बार की विश्व चैम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता ने कहा, अलविदा कुश्ती 2001-2024। मैं आप सभी की हमेशा ऋणी रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। विनेश ने बुधवार को खेल पंचाट (कैस) में (शेष पृष्ठ 9)

हरियाणा रजत विजेता की सुविधाएं देगा फोगाट को

चंडीगढ़। विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार ने विजेता खिलाड़ियों के समान ही स्वागत करने तथा अन्य सुविधाएं देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर यह ऐलान किया। नायब सैनी ने लिखा है कि हमारी हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने (शेष पृष्ठ 9)

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन

पायनियर समाचार सेवा। कोलकाता

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का बृहस्पतिवार को कोलकाता स्थित आवास पर निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर दुख जताया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक दिग्गज नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपने राज्य में औद्योगीकरण के लिए पूंजीवादियों को लुभाने के वास्ते अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता तक की परवाह नहीं की थी। बेदाग छवि वाले भट्टाचार्य को 2011 में राज्य में 34 साल के वामपंथी शासन के पतन के लिए भी याद रखा जाएगा। भट्टाचार्य के परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना हैं। हाल के वर्षों में अपने खराब स्वास्थ्य (शेष पृष्ठ 9)

उत्तरी पेरिस के रोइसी में चार्ल्स गी गाल हवाई अड्डे पर मीडिया की ओर हाथ हिलाते नोबल विजेता मोहम्मद यूनुस।

मो. यूनुस ने बांग्लादेश सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली

एजेंसी। ढाका, नई दिल्ली

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बृहस्पतिवार को शपथ ली। यूनुस (84) को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन बंगभवन में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई गई। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दीं और देश में जल्द ही स्थिति सामान्य होने तथा हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में जारी हिसात्मक विरोध-प्रदर्शन और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद देश से पलायन के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग करने के बाद मोहम्मद यूनुस को मंगलवार को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इससे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने का भी आग्रह किया। साथ ही शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को देश के लिए दूसरी स्वतंत्रता करार दिया। ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस गए यूनुस बृहस्पतिवार को दुबई से होते हुए (शेष पृष्ठ 9)

बिहार में मंदिर, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य हुआ

पीटीआई। पटना

बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके जिलों में संचालित अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण कराया जाए और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए। राज्य के सभी जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी पंजीकृत मंदिरोंमठों से संबंधित अचल संपत्तियों का विवरण तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। बीएसबीआरटी बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है।

बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार ने कहा, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पंजीकृत मंदिरोंमठों से

संबंधित अचल संपत्तियों का ब्योरा तुरंत बीएसबीआरटी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि इसे इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। अभी तक केवल 18 जिलों ने ही बीएसबीआरटी को आंकड़ा उपलब्ध कराया है। सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों और मठों की भूमि सहित अचल संपत्तियों की बिक्रीखरीद न हो। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार, बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरोंमठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बीएसबीआरटी के तहत पंजीकृत होना चाहिए। राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरोंमठोंट्रस्ट की संपत्तियों की बिक्री व खरीद के अवैध कामों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

बीएसबीआरटी द्वारा संकलित (35 जिलों से प्राप्त) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 2,512 अपंजीकृत मंदिर या मठ हैं और उनके पास 4321.64 एकड़ भूमि है। बिहार सरकार के विधि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पंजीकृत मंदिरों की कुल संख्या करीब 2,499 है और उनके पास 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है। आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा अपंजीकृत मंदिरामठ वैशाली (438), कैमूर (307), पश्चिमी चंपारण (273), भागलपुर (191), बेगूसराय (185), सारण (154), गया (152) आदि में हैं। कैमूर में 307 अपंजीकृत मंदिरोंमठों के पास करीब 813 एकड़ जमीन है और खगड़िया जिले में 100 अपंजीकृत मंदिरों और मठों के पास 722 एकड़ जमीन है। बांका जिले में करीब 332 एकड़ जमीन 78 अपंजीकृत मंदिरों और मठों के पास है।

एलजी ने विवादास्पद अफसर का केस गृह मंत्रालय भेजा

राजेश कुमार। नई दिल्ली

विवादास्पद आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ उनकी पोस्टिंग के विभिन्न अवधियों के दौरान उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) पर दिल्ली और अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिवों के कथित रूप से जाली हस्ताक्षर करने के आरोप में अभियोजन की मंजूरी देने के बाद, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को मामले की सिफारिश की है। राय पर दिल्ली के जल विहार में अपने आधिकारिक आवास के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये की भारी लागत पर एक विरासत संरचना को ध्वस्त करने का भी आरोप लगाया गया है, जब वह दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

अधिकारियों के अनुसार, 2007 के आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी राय ने 2017 और 2021 के बीच अपने समीक्षा प्राधिकारी, ए एंड एन और दिल्ली के मुख्य सचिव के जाली हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली

सरकार के विशेष सचिव (सतर्कता) की शिकायत पर आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 465/471 के तहत जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। सतर्कता विभाग के अनुसार, राय ने 01.04.2017 से 08.10.2017 और 09.10.2017 से 31.03.2018 की अवधि के लिए अपने एपीएआर में, अपने तत्कालीन रिपोर्टिंग प्राधिकारी, तत्कालीन प्रधान सचिव एससीएल दास के हस्ताक्षर भी नकली किए थे। इसके अलावा 01.04.2019 से 30.07.2019 की अवधि के लिए एपीएआर में, राय ने रिपोर्टिंग प्राधिकारी, ए एंड एन प्रशासन में तत्कालीन प्रमुख सचिव (राजस्व) विक्रम देव दत्त के (शेष पृष्ठ 9)

ट्रैफिक दुरुस्त करने को एलजी ने मांगी योजना

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बृहस्पतिवार को ट्रैफिक को कम करने के लिए कश्मीरी गेट इंटर स्टेट बस टर्मिनस (आईएसबीटी) को स्थानांतरित करने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यातायात की स्थिति को देखते हुए, सक्सेना ने पाक्षिक आधार पर स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है। उन्होंने सड़क के किनारे, फ्लाईओवर, विशेष रूप से बसों द्वारा अवैध पार्किंग पर चिंता व्यक्त की है, जो यात्रियों को असुविधा का कारण बनती है और वाहनों के उत्सर्जन के कारण बढ़ते प्रदूषण के अलावा सड़क सुरक्षा से समझौता करती है। बैठक में सक्सेना ने ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चालान भेजने, कश्मीरी गेट पर बस टर्मिनल को स्थानांतरित करने, यातायात भीड़ के संवेदनशील बिंदुओं की पहचान

करने, अवैध ई-रिक्शा पर अंकुश लगाने और वाणिज्यिक वाहनों में ओवरलोडिंग सहित अन्य चीजों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने बस लेन प्रवर्तन के लिए विशेष रूप से रिंग रोड, एयरपोर्ट रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर गलत चलने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है।

10 निर्देशों में से, सक्सेना ने कहा, यातायात पुलिस वाणिज्यिक वाहनों की ओवरलोडिंग और यात्री बसों की भीड़ की जांच करने के लिए परिवहन विभाग के साथ संयुक्त टीमों का गठन करेगी। उन्होंने यातायात पुलिस को यातायात भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों की पहचान करने और उन सड़कों पर यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित टीमों को तैनात करने का आदेश दिया। इसके अलावा, उन्होंने कहा, ट्रैफिक पुलिस व्हाट्सएप पर चालान जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी जो उल्लंघनकर्ताओं को चालान के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करेगी और उन्हें कहीं भी और कभी भी चालान का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगी। इससे चालान की वसूली की दर में भी वृद्धि होगी।

राज निवास के अधिकारी ने कहा, यातायात पुलिस, जिसे पहले एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया था जहां व्हाट्सएप पर ट्रैफिक (शेष पृष्ठ 9)

सौर रेडियो कॉलर से होगी प्रवासी पक्षियों की निगरानी

● जम्मू-कश्मीर की सबसे ऊंची वूलर झील से होगी रियल टाइम मानिटरिंग

अर्चना ज्योति। नई दिल्ली

दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक, भूरे रंग वाले बार-हेडेड गीज़ और सर्दियों में कुछ अन्य जलपक्षियों के प्रवास मार्गों और व्यवहारों की निगरानी समेत अधिक जानकारी के लिए उनके गले में परिष्कृत सौर ऊर्जा संचालित रेडियो कॉलर के माध्यम से यह जानकारी दुनिया के सामने आएगी। इसके परियोजना के लिए जम्मू-कश्मीर में अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध वूलर झील से वास्तविक समय में निगरानी

(रियल टाइम मानिटरिंग) की जाएगी। इस क्षेत्र में इस तरह की पहली परियोजना को जल्द ही देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। भारत की 75 रामसर-नामित आर्द्रभूमि में से एक, वूलर झील को उसकी पारिस्थितिक महत्व के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, यह वनस्पतियों और जीवों की विविधता का समर्थन करना जारी रखती है, जो वन्यजीव उत्साही, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है।

इन सौर ऊर्जा संचालित कॉलर में एकीकृत उन्नत जीपीएस उपग्रह ट्रैकिंग तकनीक पक्षियों की गतिविधियों और व्यवहार में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगी, विशेष रूप से उनके प्रारंभिक प्रवास के दौरान। डब्ल्यूआईआई के एक वैज्ञानिक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हल्के कॉलर, जिनका वजन 50 से 70 ग्राम के बीच है, विशेष रूप से बड़े गीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इनमें उच्च सौर दक्षता है। इस प्रकार इसे पारंपरिक बैटरी वाले रेडियो-कॉलर की सीमाओं से आगे ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से चलने वाले रेडियो कॉलर खरीदने की प्रक्रिया में है। ये गैजेट स्थान, यात्रा पैटर्न, गति, तापमान और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को रिकॉर्ड करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का उपयोग करेंगे। जब भी पक्षी नेटवर्क टावरों की सीमा के भीतर होते हैं, तो वे इस डेटा को जीएसएम सेलुलर नेटवर्क के माध्यम से शोधकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। उन्होंने बताया कि जीएसएम, या मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली, इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मानक अंतरराष्ट्रीय सेलुलर प्रोटोकॉल है।

अन्य भागीदारों द्वारा किए गए आहार अध्ययनों के साथ पर्यावास और आवास उपयोग आंकड़ों को संयोजित करके, संरक्षणवादी और आवास प्रबंधक इन प्रवासी पक्षियों की बढ़ती आबादी के तरीकों को समझने और रणनीति पर बेहतर कार्यान्वयन के लिए इन आंकड़ों के समायोजन से अधिक सुसज्जित होंगे। वैज्ञानिक ने कहा, गैजेट प्राप्त होने के बाद ही रेडियो कॉलर वाले पक्षियों के प्रकार का चयन करने का निर्णय अंतिम रूप दिया जाएगा। डब्ल्यूआईआई के वैज्ञानिक वूलर झील में सर्दियों में प्रवासी गीज़ के अनुपात को निर्धारित करने के लिए एक साल से अधिक समय तक अध्ययन के लिए गीज़ को कॉलर लगाना शुरू करेंगे। पक्षियों की गर्दन पर जीपीएस-जीएसएम (शेष पृष्ठ 9)

तीन पुलिसकर्मी निलंबित, हटाई गई डीसीपी

ट्रेनी दरोगा अमित मिश्रा गिरफ्तार, दो साथी फरार, कैब चालक के शिकायत पर मामला

पायनियर समचार सेवा। नोएडा

आरोपी ट्रेनी दरोगा अमित मिश्रा

ट्रेनी दरोगा अमित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके दो दोस्त फरार हैं। घटना में इस्तेमाल प्राइवेट गाड़ियां हुंडई वर्ना और स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने सीज कर दिया। वहीं, 3 दिन तक वारदात छिपाने को लेकर पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी। बिसरख थाना प्रभारी अरविंद कुमार और गौर सिटी-1 के चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र को सस्पेंड कर दिया गया। डीसीपी सेंट्रल सुनीति को पद से हटा दिया गया। नोएडा में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर कैब चालक को पीटा। उनसे 7000 रुपए लूटे। कहा- इतनी रात में गलत काम करते हुए घूम रहे हो। फिर कैब में सवार लड़की को जबरन उतार कर प्राइवेट कार में बैठाया। धमकाते हुए उसे सुनसान पर जगह ले गए। पुलिस ने कैब ड्राइवर की तहरीर पर ट्रेनी दरोगा और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

कैब ड्राइवर राकेश तोमर ने तहरीर में लिखा- 2 अगस्त की रात 1 बजे मैं नोएडा गौर सिटी 11 एवेन्यू पहुंचा। वहां 5 लोग दो गाड़ियों से उतर कर मेरे पास आए। मारपीट और गाली-गलौज करते हुए कैब से मुझे नीचे उतारा। मेरे साथ बदसलूकी की। लेडीज सवारी को उतार कर उन लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। तभी एक व्यक्ति उनकी गाड़ी से उतर कर आया। उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी। उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया।

ये सब देखकर लेडीज सवारी डरी-सहमी थी। लेडीज सवारी को अपनी गाड़ी में बैठाकर दूर एक सुनसान जगह ले गए। मेरे साथ मारपीट करने लगे। एक ने दरोगा को दिखाते हुए कहा, साहब से बात कर लो। मैंने कहा कि दरोगा जी आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरह एक लेडीज को आप जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा रहे हो। मुझसे जबरदस्ती 7000 रुपए छीन लिए। मैंने कहा कि मेरे पास खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, तो 500 रुपए देकर कहा- जल्दी यहां से भाग जा। 3 अगस्त को सुबह 6 बजे मैंने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। पूरी घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी। कॉल करने पर स्टाफ हमारे पास पहुंचा और मैंने पूरी बात बताई। पुलिस ने सोसाइटी से घटना की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई।

पता किया तो वह पुलिसकर्मी अमित मिश्रा चौकी गौर सिटी-1 पर तैनात है। उसके साथ वह 4 लोग पब्लिक के थे, जिन्हें वह हमेशा अपने साथ रखता है। मैंने अपनी शिकायत चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र को लिखित में दी। रमेश चंद्र ने दरोगा को मेरे सामने बुलाया और पूरी घटना की जानकारी ली।

दरोगा अमित मिश्रा ने सारी बात कबूल भी की। उसने कबूला कि 7000 रुपए भी लिए हैं और लेडीज को भी जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया। जब मैंने रमेश चंद्र को इस घटना पर कार्रवाई करने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे बहुत देर तक गुमराह किया। बोलते रहे कि आप हमारे दरोगा को बचा लीजिए। बाकी के जो लोग हैं, मैं उनका अच्छे से इलाज कर दूंगा। घटना के 3 दिन बाद भी आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कैब चालक ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से की। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी बिसरख को जांच सौंपी। जांच में कैब ड्राइवर के सभी आरोप सही साबित हुए। इसके बाद बुधवार देर रात पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद बिसरख थाने पहुंचीं। एसीपी की जांच के बाद उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके बाद बिसरख थाने पर तैनात ट्रेनी दरोगा अमित मिश्रा और उसके दो साथियों अभिनव, आशीष पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके दो दोस्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। घटना में इस्तेमाल की गई दो गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया।

इस मामले में बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। जांच में पाया गया कि बड़े अधिकारियों ने घटना को छिपाने की कोशिश की। सेंट्रल नोएडा की डीसीपी सुनीति को पद से हटा दिया गया। बिसरख थाने के प्रभारी अरविंद कुमार और गौर सिटी चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र सहित एक अन्य दरोगा मोहित को सस्पेंड कर दिया गया।

सरकार का संकल्प, प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाना है: राजभर

नोएडा। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त करना है।

श्रम विभाग के अधिकारी राज्य सरकार के इस संकल्प को पूरा करने में कोई कमी न छोड़ें। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-2 स्थित आईआईटी रूड़की के सभागार में प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग मंत्री ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में श्रम मंत्री ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का अधिक से अधिक पंजियन, निवेशकों को कोई परेशानी न हो इसके लिए इज ऑफ डूज बिजनेस प्लान के अनुसार कार्य करने, श्रमिकों के हितों की रक्षा, निर्माण में में शामिल श्रमिकों का पंजीकरण श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ देने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

श्रम मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नोएडा मॉडल को पूरे प्रदेश में स्थापित किया जाए ऐसा प्रयास श्रम विभाग के अधिकारी करें।

संक्षिप्त समाचार

स्वतंत्रता दिवस के लिए नोएडा बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाये जा रहे है।

हरियाली तीज पर गाये सावन के गीत

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-117 में हरियाली तीज का कार्यक्रम को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। तीज के कार्यक्रम में सोसाइटी की अधिकतर महिलाओं ने भाग लिया। सभी महिलाओं ने हरियाली तीज के मौके पर सावन के गीतों पर डांस किया और अपनी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को जीवित रखने का संकल्प लिया। सेक्टर - 117 के अध्यक्ष कोसिंदर यादव ने बताया कि हरियाली तीज के अवसर पर सेक्टर की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्री यादव ने बताया कि महिलाओं के चेहरे पर त्योहार की खुशी साफ झलक रही थी। हरियाली तीज पर सज धज कर पहुची महिलाओं ने सावन के गीत गाये और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया इस मौके पर सेक्टर की निवासी सोनी झा,अनुपम यादव,गुंजन शुक्ला,रीता पहासू,पुष्पा पाठक,अनुसुइया जखमोला,प्रेरणा यादव,नेहा गुप्ता, उपासना चौधरी, सोनाली गर्ग, सोनी, गुंजन शुक्ला, पूजा राजपूत , गायत्री, सुनीता, परिधि, सृष्टि, प्रियंका, करिश्मा,पूजा यादव, बबीता यादव, साक्षी शर्मा, रोशनी, उपासना एंव अन्य लोग शामिल हुए। हरियाली तीज का पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था।

आवारा जानवर बने जानलेवा, युवक की मौत

नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी आवारा घूम रहे पशुओं की समस्या का समाधान करने में असफल साबित हो रहे है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है जहां बुधवार शाम को काम से लौट रहे युवक पर यह काल मौत बनकर उसके सामने आ गया। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर आवारा जानवर लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। आए दिन सड़क हादसे में आवारा जानवर लोगों की मौत का कारण बनते जा रहे हैं। बाइक पर सवार एक युवक थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गोल चक्कर के पास सड़क पर आवारा सांड से टकरा गया। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान सुमित (25) निवासी मायचा के रूप में हुई है।

विनेश फोगाट के समर्थन में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

नोएडा। ओलंपिक में विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबला नहीं खेलने दिया गया। इसके विरोध में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम मजिस्ट्रेट विवेका नंद मिश्रा को सौंपा।, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी विनेश फोगाट शानदार खेल खेलते हुए कुश्ती के फाइनल मैच में पहुंची। लेकिन अचानक से खबर आई है कि उन्हें मैच के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनके खिलाफ गहरी साजिश हुई है। वरिष्ठ नेता दिनेश अवाना ने कहा है कि देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ राजनीति की जा रही है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पूर्व प्रदेश सदस्य सतेन्द्र शर्मा ने कहा है की भाजपा की सरकार में खिलाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

फर्जी पुलिस वैरिफिकेशन करते थे, एसएसपी की नकली मुहर बरामद

● मामले में तीन जालसाज गिरफ्तार

पायनियर समचार सेवा। नोएडा

थाना एक्सप्रेस वे पुलिस ने 3 शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने प्रभारी वैरिफिकेशन सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की फर्जी मोहर और दस्तावेज बनाए थे। जिन पर फर्जी साइन करके ये घरेलू सहायक और किराएदार का फर्जी वैरिफिकेशन करते थे।

इन तीनों को गोल चक्कर छपरौली के पास से गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान जनीश सिंह चौहान पुत्र राजेन्द्र सिंह चौहान, राहुल चौहान पुत्र बलबीर चौहान और अमित कुमार पुत्र ओमपाल हुई है। इनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 6 वैरिफिकेशन फार्म की छाया प्रति, 2 वैरिफिकेशन फार्म भरे हुए, 130 फर्जी पुलिस वैरिफिकेशन कापी। रबर की मोहर बरामद किए गए।

डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि 8 अगस्त का एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश से किराएदार और घरेलू सहायक के वैरिफिकेशन का एक अभियान चलाया गया। मामले की जांच जारी है।

नगर निगम के सेंटर पर कूड़ा डाल रहे तीन ट्रैक्टर मेयर ने किये जब्त

गाजियाबाद। महापौर सुनीता दयाल ने सौर ऊर्जा मार्ग साहिबाबाद स्थित नेचर ग्रीन द्वारा संचालित कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन एवं गोविंदपुरम स्थित जे एस इन्वायरो द्वारा संचालित कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया।

पाया गया कि दोनों स्थान पर प्राइवेट ट्रैक्टरों द्वारा लगातार कूड़ा लाया जा रहा है। कुछ ट्रैक्टरों पर नगर निगम भी लिखा हुआ था। महापौर के पूछने पर ट्रैक्टर चालकों ने बताया गया कि हम रोजाना यहाँ कूड़ा लेकर आते है यह ट्रैक्टर प्राइवेट हैं और हमारे ठेकेदार की जे एस इन्वायरो के मालिक की बात हो गयी है। जे एस इन्वायरो कंपनी के कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होनें बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। महापौर ने कहा कि इस कंपनी द्वारा कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन चलाया जा रहा है। कोई भी ट्रैक्टर कूड़ा खाली करने आ जाता है और आपको पता ही नहीं है। नगर निगम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। 3 ट्रैक्टरों की चाबियां जब्त की गई हैं।

निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में कोताही नहीं होगी बर्दाश्तः नंदगोपाल

● औद्योगिक विकास मंत्री ने निवेश के प्रस्ताव को धरातल में उतारने के लिए नोएडा प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों की बैठक की

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकासा मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि निवेश के प्रस्ताव को धरातल में उतारने में सभी अधिकारी जुट जाएं। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वे लखनऊ में नोएडा प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान नंदी ने तबादलों के बावजूद अपनी कुर्सी पर जमे अधिकारियों, बकायेदारों से वसूली तथा औद्योगिक, वाणिज्यिक, हाउसिंग तथा आवासीय मानचित्रों के निस्तारण को लेकर अफसरों को काफी खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर लापरवाही न बरतें तथा कड़ा एक्शन लें। उन्होंने कहा कि तबादले के बाद भी जमे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या कम हो तो प्रतिनियुक्ति पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। बैठक में सीईओ लोकेश एम, एसीईओ संजय खत्री के अलावा सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। वित्तीय बोर्ड के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें नंद गोपल नंदी ने नोएडा प्राधिकरण के सभी विभागों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। सिविल, जन स्वास्थ्य, जल, ग्रप हाउसिंग, कामर्शियल, संस्थागत के लिए किए जा रहे कार्यो को देखा गया। नोएडा में लगातार हटाए जा रहे अवैध निर्माण की जानकारी दी गई। लैंड बैंक और नए विकासित किए जा रहे औद्यागिक सेक्टर के बारें में अवगत कराया गया। साथ ही यहां आने वाले निवेश, मैन्यूफैक्करिंग और भविष्य में पैदा होने वाले रोजगार के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद सिविल के कार्यो के बारे में जिसमें चिल्ला एलिवेटड पर बजट पर चर्चा की गई।

आईजीएल की लाइन से टकराई कार, तीन घायल

नोएडा। सेक्टर 73 स्थित महादेव अपार्टमैंट में बुधवार देर रात तेज रफ्तार वाहन के चालक ने वॉक कर रही महिला समेत तीन को टक्कर मार कर घायल कर दिया।

बेकाबू वाहन आईजीएल पाइपलाइन में जाकर घुस गया, जिससे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और गैस लीकेज होने लगी। मौके पर सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों लोग जमा हो गए । हादसे की सूचना सेक्टर 113 थाने की पुलिस और पाइपलाइन की मरम्मत करने वाली कर्मचारियों को दी गई। कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को सही कर दिया।

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **श्यामवीर सिंह और विजय लक्ष्मी** को **04.06.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00259066** की राशि **रू.16,40,112.57 (रूपये सोलह लाख चालीस हजार एक सौ बारह और सत्तावन पैसे मात्र)** और **01.06.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **06.08.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.16,40,112.57 (रूपये सोलह लाख चालीस हजार एक सौ बारह और सत्तावन पैसे मात्र) 01.06.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

यूनिट नं. 07, सुपर एरिया मापित 686.42 स्क्वे. फीट और कारपेट एरिया 480.494 स्क्वे.फीट, छठी मंजिल, टावर एस3ए, सुशांत एक्वापोलिस, डूंडाहेडा, गाज़ियाबाद - 201010, उत्तर प्रदेश ।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
दिनांक: 06.08.2024
स्थान : गाज़ियाबाद (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")
CIN : U65993DL2002PLC115769
पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, ईआरओएस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019. ई-मेल: acre.arc@acreindia.in,वेबसाइट: www.acreindia.in
कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051. फोन: 022 68643101

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **अविनाश निराला और आकाश निराला** को **26.10.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00272185** की राशि रू. **35,21,140.72 (रूपए पैंतीस लाख इक्कीस हजार एक सौ चालीस और बहत्तर पैसे मात्र)** और **29.09.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । इसके अलावा **आईएचएफएल** ने दिनांक **27.06.2023** के असाइनमेंट करार के माध्यम से **एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")** के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज और कर्ज खाता सौपा है, जिसे सुधार अनुबंध दिनांक **04.08.2023** के साथ पढ़े ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **06.08.2024.** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 35,21,140.72 (रूपए पैंतीस लाख इक्कीस हजार एक सौ चालीस और बहत्तर पैसे मात्र) 29.09.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अपार्टमेंट नं. पी 7-1207, बारहवीं मंजिल, टावर-पी 7, ग्रैंड पेओनिया, प्रतीक ग्रैंड सिटी, प्लॉट नं. 4/बीएस-01 और 4/बीएस-05, सिद्धार्थ विहार, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201010.

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 06.08.2024 असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.
स्थान : गाज़ियाबाद (102- ट्रस्ट)

किसी भी शिकायत के लिए आप **श्री मोहम्मद शारिक मलिक,** शिकायत निवारण अधिकारी, फोन नंबर **011-66115609**,ईमेल:**complaint@acreindia.in** से संपर्क कर सकते हैं। संगठन के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र विस्तृत रुप से **https://www.acreindia.in/compliance** पर देखी जा सकती है।

PUBLIC NOTICE

That my clients Smt. Sulochna Poddar W/o Sh. Mahender Poddar and Mahender Poddar S/o Sh. Laxmi Poddar R/o H. No. A-21, Shanti Colony, Mandi Pahari, Mandi, South Delhi, Delhi 110047 have closed their all relations from their daughter-in-law Smt. Priyanka W/o Late Deepak and her daughter namely Ms. Prathika D/o Late Deepak R/o Plot No.7-8, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi due to insolent, incorrigible and wayward attitude, bad behavior and activities towards my clients and their other family members therefore my client debarred them from their all movable and immovable properties. In future my above named clients and their other family members shall not be held responsible for any of act, omission, commission, deed or misdeed committed by them above named Smt. Priyanka and her daughter Ms. Prathika.

Raj Kumar Jain (Advocate) E-49, 1st Floor, E-Block, Karkardooma Court, Delhi-32

PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY NOTIFIED TO GENERAL PUBLIC THAT MY CLIENTS NAMELY GURBACHAN SINGH SETHI S/O LATE BHAG SINGH SETHI. & SMT. BALBIR K.AUR. W/O SH. GURBACHAN SINGH & JASPREET SINGH SETHI S/O SH. GURBACHAN SINGH ALL RESIDENT OF B-99, FATEH NAGAR. THIRD FLOOR. NEAR CHOTA SAHAB ZADE GURUDWARA, DELHI-110018. HAVE SEVERED ALL THEIR RELATION FROM SATINDER PAL SINGH @ MICKY S/O SH. GURBACHAN SINGH AND HIS WIFE NAMELY AVNEET KAUR. W/O SH. SATINDER PAL SINGH @ MICKY RESIDENT OF B-99, FATEH NAGAR, THIRD FLOOR. NEAR CHOTA SAHAB ZADE GURUDWARA, DELHI-110018. HAVE DEBARRED THEM FROM THEIR ALL MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES DUE TO THEIR MISBEHAVIOUR AND CRUEL ACTIVITIES DONE TOWARDS THEM. IF ANY BODY DEALS WITH THEM SHALL DO SO AT HIS/HER OWN RISK AND MY CLIENTS SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY ACT OF THE ABOVENAMED PERSONS IN ANY MANNER WHAT SO EVER.

ABHISHEK SAXENA (ADVOCATE) OFF.: 17, 2ND FLOOR, CENTRAL LANE, BENGALI MARKET, NEW DELHI-110001.

BEFORE THE DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION :: CHENNAI (SOUTH)

In C.C. NO. 372 OF 2023

V. UMAPATHY, S/O G. VEERA,
Plot No 102/1 Perumal Koil street
Kottur, Chennai - 600085. :::::: complainant

--Vs--

Oppo Mobiles India Pvt Ltd,
Manufacturer of OnePlus Phone,
Rep by its Managing Director,
Plot No. 1, Sector Ecotech-VII,
Greater Noida, Uttar Pradesh – 201306.
...1st Opposite Parties

To
Oppo mobiles India Pvt Ltd,
Manufacturer of OnePlus Phone,
Rep by its Managing Director,
Plot No. 1, Sector Ecotech-VII,
Greater Noida, Uttar Pradesh – 201306.
...Opposite Parties

Please take notice that the above Complaint Application filed against you is posted for your appearance on 23-08-2024 before the District Consumer Disputes Redressal Commission, at Chennai (South) at 10.30 A.M. If you fail to appear on that day the Complaint application will be decided on merits.

V. UMAPATHY
Complainant Party in Person

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that Shri Dipak Chakravarti and his wife Smt. Jahan Ara Naqshbandi are jointly owner of the residential property bearing No. 103/96. Silver Oaks Apartment, DLF Phase-1. Sikanderpur Ghosi(68), Gurgaon. Haryana-122002. Whereas Shri Dipak Chakravarti expired on 10.01.2016 and his wife Smt. Jahan Ara Naqshbandi expired on 22.03.2024 at Gurgaon leaving behind their only daughter Ms. Dr. Seema Chakravarti as the sole surviving legal heir and is in total possession and resided at the said property being the sole surviving legal heir of them and is therefore, pursuing for the transfer of the said property in her name with the DLF authorities. If any person has any objection regarding this transfer, he/she can raise objection within 30 days (thirty days) from the dale of publication of this notice to the Secretary, DLF Society office in the same premises and to the undersigned and no objection whatsoever shall be entertained after the expiry of the said period.

R.K. SEEWAL (Advocate) Attorney of Dr. Seema Chakravarti 151, Mount Kailash Apartments, East of Kailash, New Delhi-110065 Mob:9891259975

एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")
CIN : U65993DL2002PLC115769
पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, ईआरओएस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019. ई-मेल: acre.arc@acreindia.in,वेबसाइट: www.acreindia.in
कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051. फोन: 022 68643101

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मनीष खरबंदा और ललिता खरबंदा** को **23.05.2018** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. M010XII (आईएचएफएल का पूर्व कर्ज खाता नं. HHLEOK00222734)** की राशि रू. **46,58,520 (रूपये छियालीस लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ बीस मात्र)** और **22.05.2018** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । इसके अलावा **आईएचएफएल ने इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में **इंडियाबुल्स एआरसी –XII ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज **31.12.2019**. को एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सौपा है, इसके अलावा **इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियाबुल्स एआरसी –XII ट्रस्ट के ट्रस्टी** ने दिनांक **26.04.2021** के असाइनमेंट करार के माध्यम से **एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")** के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज सौंपा है, जिसे दिनांक **26.08.2021** के सुधार समझौते के साथ पढ़े और कर्ज खाता जिसे **एसीआरई** की पुस्तकों में कर्ज खाता नं.**M010XII** के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **06.08.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 46,58,520 (रूपये छियालीस लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ बीस मात्र) 22.05.2018** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट/यूनिट नं. ई-1304, (जिसका बिक्री योग्य क्षेत्रफल लगभग 1521 स्क्वे. फीट), टाइप-बी-2, तेरहवीं मंजिल पर, टावर-ई में, उक्त में, के.एम.रेसिडेन्सी में, खसरा नं. 308,309,310,311,312 में स्थित, गाँव नूर नगर, राजनगर एक्सटेंशन, एनएच-58,, गाज़ियाबाद-201002 (यूपी) ।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 06.08.2024 असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.
स्थान : गाज़ियाबाद (102- ट्रस्ट)

किसी भी शिकायत के लिए आप **श्री मोहम्मद शारिक मलिक,** शिकायत निवारण अधिकारी, फोन नंबर **011-66115609**, ईमेल: **complaint@acreindia.in** से संपर्क कर सकते हैं। संगठन के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र विस्तृत रुप से **https://www.acreindia.in/compliance** पर देखी जा सकती है।

एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")
CIN : U65993DL2002PLC115769
पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, ईआरओएस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019. ई-मेल: acre.arc@acreindia.in,वेबसाइट: www.acreindia.in
कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051. फोन: 022 68643101

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **आकाश निराला और सौम्या सुमन जयसवाल** को **23.01.2020**की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00264804** की राशि **रू. 29,48,015 (रूपये उनतीस लाख अड़तालीस हजार पंद्रह मात्र)** और **22.01.2020** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । इसके अलावा **आईएचएफएल** ने **इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("एसीआरई")**के रूप में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज **27.06.2023**. को एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सौपा है, दिनांक **04.08.2023**के सुधार समझौते के साथ पढ़े और कर्ज खाता जिसे **एसीआरई** की पुस्तकों में कर्ज खाता नं. **HHLNOD00264804** के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है, सौंपा है ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **06.08.2024**को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 29,48,015 (रूपये उनतीस लाख अड़तालीस हजार पंद्रह मात्र) 22.01.2020** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अपार्टमेंट नं. पी 7- 1208, जिसका सुपर कवर्ड एरिया 770 स्क्वे. फीट (निर्मित एरिया 607 स्क्वे. फीट), टावर-पी 7 में, बारहवीं मंजिल पर, 'ग्रैंड पेओनिया' नाम के ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, प्रतीक ग्रैंड सिटी, प्लॉट नं. 4/बीएस-01 और 4/बीएस-05, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद- 201001, उत्तर प्रदेश।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 06.08.2024 असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.
स्थान : गाज़ियाबाद (102- ट्रस्ट)

किसी भी शिकायत के लिए आप **श्री मोहम्मद शारिक मलिक,** शिकायत निवारण अधिकारी, फोन नंबर **011-66115609**, ईमेल: **complaint@acreindia.in** से संपर्क कर सकते हैं। संगठन के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र विस्तृत रुप से **https://www.acreindia.in/compliance** पर देखी जा सकती है।

PUBLIC NOTICE

My clients Bhanwar Lal son of Shri Shankar Lal and his wife Smt. Soni residents of B-638, J.J.Colony, Madipur, Delhi-63 have disowned and debarred their son Deepak his wife Smt. Poonam and their issues from all their movable and immovable properties and has also severed all relations with them being derogatory, quarrelsome, extends threats of killing and of suicide. Anybody dealing with them shall do so at their costs and risks. My clients shall not be responsible for their any act, deeds and things. Atul K Sharma.

Atul K Sharma (Advocate) Ch. No.B-108, B.G.S. Block, Tis Hazari Court Complex, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Sh.Nalin Kumar Gupta S/o late Sh.Ramesh Chander Gupta who claimed to be the owner and has agreed to sell the residential 2nd floor of Property bearing Mpl. No.8520, Plot No.57, Model Basti, Karol Bagh, New Delhi-110005 to my clients Smt.Savita D/o Sh.Chander Bhan Mittan and Sh.Kartik Garg S/o Sh.Sushil Kumar both R/o 2nd floor of Property bearing Mpl. No.8520, Plot No.57, Model Basti, Karol Bagh, New Delhi-110005 which is free from all sort of encumbrance. Any person having any right, title or interest, claim or demand of any nature whatsoever in respect of the above said property thereof contact to my clients as above within 7 days from the date of publication hereof failing which the negotiation shall be completed, without any reference to such claims and the claim if any, shall be deemed to have been given up or waived.

NAGENDER YADAV (ADVOCATE) OFF.: 8796/14-B, SHIDI PURA, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

PUBLIC NOTICE

Reg: DDA Industrial Shed No. A-106, measuring 119.84 sq. mtrs., Type-A, DDA Sheds, situated at Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020.; hereinafter referred to as "said property".

Be it known to all that our clients, Mr Pramod Tiwari and Mr. Abhishek Tiwari (hereinafter called the "Purchaser") intend to purchase the said property from Mrs. Neeru Gupta, Mrs Sheetal Bansal, Mrs. Ritu Gupta and Mr. Vijay Kumar Aggarwal (hereinafter called the "Seller"). In this connection, the seller has informed the purchaser that they are joint owners of the said property. The seller have further informed the purchaser that the said property was owned by Mrs. Nirmal Aggarwal and Mr. Vijay Aggarwal vide Sale Deed registered as Document No. 17265 on 19/12/2006 (SRO-V). Mrs. Nirmal Aggarwal expired and her legal heirs viz., Mrs. Neeru Gupta, Mrs. Sheetal Bansal, Mrs. Ritu Gupta and Mr Vijay Kumar Aggarwal executed a Relinquishment Deed in respect of their undivided shares in the said property in favour of Mr H R Aggarwal (alias Hans Raj Aggarwal). The said Deed is registered as Document No 4220 on 13.05.2014 (SRO-V). Mr. H R Aggarwal (alias Hans Raj Aggarwal) also expired and after his death, the property devolved on his legal heirs viz., Mrs. Neeru Gupta, Mrs. Sheetal Bansal, Mrs. Ritu Gupta and Mr. Vijay Kumar Aggarwal and they thus became the joint owners of the said property. The said property has also been mutated in their names by SDMC vide their letter dated 25.08.2021. The seller have also informed the purchaser that the said property is not mortgaged anywhere and there is no charge or dispute or any litigation pending regarding the said property.

Any person including Bank/s, Financial Institution/s. relative/s having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the aforesaid property is hereby called upon to make the same known, in writing, with documentary evidence, by Registered AD Post, to the undersigned at the address mentioned herein below within 07 days of publication of this notice and in the event of no response having been received to the notice, the title of the seller to the said property shall be deemed to be clear of any charge or encumbrance of any nature whatsoever and any subsequent claim shall not bind our clients/Purchaser, in any manner whatsoever.

Shivkant Arora, Advocate
M/s Intellective Law Offices
A-74, LGF, Defence Colony,
New Delhi-110024

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि श्री सतीश कुमार पुत्र श्री भिखारी सिंह एक फ्रीहोल्ड एक आवासीय भूखंड क्षेत्रफल 251 वर्ग गज (यानि 209.84 वर्ग मीटर), खसरा नं. 337, ग्राम देबला, परगना, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के मालिक हैं। यह संपत्ति श्रीमती सुनिता पत्नी राजेंद्र कुमार से बिक्री विलेख दस्तावेज संख्या 35235, दिनांक 27.10.2021 के माध्यम से खरीदी गई थी। इस संपत्ति को हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, शाखा लक्ष्मी नगर, दिल्ली द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। उपरोक्त संपत्ति से संबंधित मूल बिक्री विलेख, दस्तावेज संख्या 27817, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 8682, पृष्ठ संख्या 293-312, दिनांक 28.08.2021 को पंजीकृत, एसआर- दादरी किया गया था, सतीश कुमार पुत्र श्री भिखारी सिंह द्वारा खो गया है। इस संबंध में एफआईआर संख्या LR2010408/2024 दिनांक 08.08.2024 को पी.एस. क्राइम ब्रांच, दिल्ली में दर्ज की गई है। यदि किसी व्यक्ति(ओं) को विषय संपत्ति के संबंध में कोई आपत्ति है, तो कृपया 7 दिनों के भीतर इस सूचना की तारीख से लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करें। उक्त आपत्ति को निम्नलिखित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा या ईमेल के माध्यम से कृपया भेजें। नहीं तो, उक्त संपत्ति के संबंध में दावा अवैध और व्यर्थ माना जाएगा।

अश्विनी कुमार। वकील
चैंबर नंबर 122, तहसील कंपाउंड, गाजियाबाद, यूपी

PUBLIC NOTICE

Mr. Sanjeev Sethi is owner of the Residential Unit bearing No. M-113, admeasuring around 1299.410 Sq. Ft., on the First Floor, in Block-M, of the residential colony known as Jalvayu Towers, Phase-III, situated in Sector-56, Gurgaon, Haryana (hereinafter referred to as the said property), by virtue of the Transfer Deed dated 11.01.2019 bearing document no 11659.

Mr. Sanjeev Sethi is willing to sell the above said property to Mr. Jeevan Kumar Ramineni Premadri, any person who has any objection regarding the Mortgage of the aforesaid property in favour of Mr. Jeevan Kumar Ramineni Premadri, may submit his/her objection within 7 days from the date of the Notice in writing. The said objection may be kindly sent to the undersigned by way of the Registered Post on the address given below-and by E-mail.

Lavanya Sharma (Advocate)
Trinity Legal Partners
C-401, Fourth Floor, Nirvana Courtyard, Nirvana Country, Sector-50, Gurugram-122018
E: lavanya@trinitylegalpartners.com

एमसीडी और दमकल ने कई नियमों का किया उल्लंघन

● कोचिंग सेंटर मामले में मजिस्ट्रेट जांच में खुलासा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

फाइल फोटो

पुराने राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत होने के मामले की मजिस्ट्रेट जांच में पता चला है कि दिल्ली नगर निगम और अग्निशमन विभाग ने कई कानूनों का उल्लंघन किया है। राजस्व मंत्री को बुधवार को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक और प्रबंधन भी छात्रों के जीवन की परवाह किए बिना बेसमेंट का खतरनाक तरीके से दुरुपयोग कर आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं।

रिपोर्ट से पता चला कि इमारत में नियमों के उल्लंघन की एमसीडी और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को पहले से जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिला मजिस्ट्रेट (मध्य) द्वारा की गई जांच से पता चला कि जिस इमारत में कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था, उसके पास कार्यालयाव्यावसायिक उपयोग की अनुमति थी, जिसके लिए आग संबंधी किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, इसके लिए अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि इसका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था और इसकी ऊंचाई नौ मीटर से अधिक थी। मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान में चार अगस्त 2023 को आग लगने की घटना के बाद एमसीडी ने संपत्ति के दुरुपयोग का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, दुरुपयोग संबंधी नोटिस जारी होने के बाद भी बेसमेंट को सील न करना, कारण बताओ नोटिस में इसका उल्लेख तक नहीं करना तथा दुरुपयोग की असल स्थिति के बारे में उपयुक्त को गुमराह करना, इससे प्रतीत होता है कि यह एमसीडी के भवन विभाग के संबंधित इंजीनियरों की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ जानबूझकर किया गया कदाचार है।

इसमें कहा गया है कि अग्निशमन विभाग इस साल एक जुलाई को एक निरीक्षण के दौरान पुस्तकालय के रूप में इमारत के बेसमेंट के दुरुपयोग का उल्लेख एमसीडी से करने में भी विफल रहा। रिपोर्ट के अनुसार, अग्निशमन विभाग को एमपीडी-2021 के भवन उपनियम प्रावधानों के उल्लंघन में पुस्तकालय के रूप में बेसमेंट के दुरुपयोग को छिपाए हुए नौ जुलाई 2024 को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को जारी नहीं करना चाहिए था।

यह अग्निशमन सेवा के निरीक्षण दल की ओर से गंभीर चूक है। इसमें एमसीडी अधिकारियों पर बरसाती नालों पर अतिक्रमण को रोकने और गाद निकालने में विफलता का भी आरोप लगाया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि निचला इलाका होने के कारण जलभराव के लिहाज से संवेदनशील होने के बावजूद इलाके में स्थित नालों में पांच साल से गाद नहीं निकाली गई। दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे और मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट 29 जुलाई को सौंपी गई। उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले की जांच अपने हाथ में ली है। जांच के दौरान छात्रों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों समेत 15 लोगों के बयान दर्ज किए गए।

रिपोर्ट में एमसीडी पर कोचिंग सेंटर की इमारत के सामने सड़क के दोनों किनारों पर नालियों से गाद निकालने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने और अपना पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया गया है।

संक्षिप्त समाचार

भरत नगर में खिलौनों के कारखाने में लगी

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के भरत नगर इलाके में प्लास्टिक के खिलौने बनाने के कारखाने में बुधवार को आग लग गई थी जिसपर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आग बुधवार शाम को लगी और दो घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें शाम 7:45 बजे आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद नौ दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि कारखाने के दूसरी मंजिल में आग लगी थी और करीब दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारी ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का संदेह है। मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस के वाहन जब्ती यार्ड में लगी आग

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में दिल्ली पुलिस के वाहन जब्ती यार्ड में बृहस्पतिवार सुबह आग लग गई। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 5:15 बजे यार्ड के पास झाड़ियों में आग लगने की सूचना मिली थी, इसके आधे घंटे बाद जब्त किए गए वाहनों में आग लगने के संबंध में दूसरी सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि कम से कम 12 दमकल वाहन मौके पर भेजे गए हैं, घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक सप्ताह के भीतर वजीराबाद यार्ड में आग लगने की यह दूसरी घटना है।

चंदोलिया लोस में जलभराव का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली। उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद योगेन्द्र चंदोलिया ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान टीकरी कलाँ से पीरागढ़ी चौक के साथ ही पूरे रोहतक रोड क्षेत्र में जल भराव की समस्या का मुद्दा उठाया और कहाँ ऐसी ही जलभराव की स्थिती पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही है। सांसद ने लोकसभा में दिल्ली में जलभराव की विकराल स्थिती का मामला उठाया और कहा की दिल्ली सरकार एवं नगर निगम पूरी तरह फेल हो गये हैं। उन्होंने मांग की कि केन्द्र सरकार के सम्बंधित मंत्री दिल्ली की खासकर उत्तर पश्चिम दिल्ली की इस समस्या पर ध्यान देकर हल करवायें।

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 तक बढ़ी

नई दिल्ली। कथित आबकारी घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किए जाने के बाद केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ा दी। अदालत इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर 12 अगस्त को विचार कर सकती है।

उद्धव ठाकरे ने सुनीता से की मुलाकात, समर्थन का दिया आश्वासन

नई दिल्ली। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी थे। ठाकरे की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे।

संजय सिंह ने कहा, वे यहां केजरीवाल की पत्नी सुनीता, उनके माता-पिता और बेटी से मिलने आए थे। केजरीवाल के मामले में कानून व्यवस्था के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि निचली अदालत का आदेश अपलोड होने से पहले उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई।

हर मोर्चे पर फेल दिल्ली सरकार हो भंग : विजेंद्र गुप्ता

● भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर उपराज्यपाल से आप सरकार को भंग करने का किया अनुरोध

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में भाजपा विधायक दल की बैठक।

प्रदेश भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बृहस्पतिवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में हर मोर्चे पर विफल केजरीवाल सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की और प्रस्ताव पारित कर उपराज्यपाल से केजरीवाल सरकार को भंग करने का अनुरोध किया।

विजेंद्र गुप्ता ने विधिवत अपना पदभार संभाला। पद ग्रहण के अवसर पर लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी उपस्थित रहे। गुप्ता ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो गई है और इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

गुप्ता ने कहा कि सरकार को मॉनसून की तैयारी के लिए पहले ही मीटिंग करके सभी विभागों के साथ रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी आप नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए मुख्यमंत्री को जमानत दिलाने की रणनीति पर ही काम कर रहे हैं। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद भी सरकार ने कोई सार्थक उपाय नहीं किए हैं, जिससे सरकार के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले जितने भी वादे किए थे, उनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया है। लापरवाही, अयोग्यता और अक्षमता के कारण जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पीने के पानी की किल्लत और दूषित पानी की सप्लाई से जनता त्रस्त है, और बाढ़ के कारण सड़कों पर जमा हुए पानी से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है।

हवाई टैक्सी चलाए जाने की मांग लोकसभा में उठी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर वाहनों की गति लगातार थमने के परिप्रेक्ष्य में हवाई टैक्सी चलाए जाने की मांग बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठी। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए यह मांग की।

खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर वाहनों के भारी दबाव के कारण जाम की समस्या के परिप्रेक्ष्य में हवाई टैक्सी चलाने की योजना पर विचार करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि शुरू में यह भले ही एक वर्ग के लिए ही उपयोगी हो सकता है, लेकिन बाद में सभी इसका इस्तेमाल करेंगे। खंडेलवाल ने कहा कि 1934 से 2013 तक विमानन क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।

यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

● महाराजा सूरजमल मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म से कूदकर युवक की आत्महत्या

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते ब्लू लाइन पर राजीव चौक से वैशाली और नोएडा सिटी सेंटर जाने वाली मेट्रो सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित हुईं।

मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उसने यह कठोर कदम उठाया। इस बीच पश्चिमी दिल्ली के महाराजा सूरजमल मेट्रो स्टेशन पर बृहस्पतिवार को एक युवक ने एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से कूदकर आत्महत्या कर ली। हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान रोहिणी सेक्टर-सात निवासी हरीश के रूप में हुई। वह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन नियंत्रक से बृहस्पतिवार को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रेन के आगे कूद गया है। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को लाइन से हटाकर एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नवीन के रूप में हुई है। वह गांधी नगर क्षेत्र का रहने वाला था। नवीन की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने लिखा है कि वह अपनी मर्जी से यह कदम उठा रहा है। वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। जिसके कारण जिंदगी पहले जैसी नहीं रही।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस संबंध में जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के कारण राजीव चौक और वैशाली/नोएडा सिटी सेंटर के बीच लगभग 15 मिनट तक मेट्रो सेवा प्रभावित रहीं। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर-21 को वैशाली और नोएडा सिटी सेंटर से जोड़ती है।

सोशल मीडिया पर सामने आए इस घटना के कथित वीडियो में व्यक्ति रेलिंग पर चढ़ने के बाद मेट्रो स्टेशन की छत पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सुरक्षाकर्मी उसे बचाने के लिए कंबल पकड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जब सुरक्षाकर्मी ने व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की तो वह कूद गया।

कांग्रेस नेता समस्याओं को लेकर उपराज्यपाल से मिले

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल डेयरियों को स्थानांरित करने, अतिरिक्त निर्माण, ओल्ड राजेंद्र नगर में जल भराव से हुई मौतों सहित तमाम मुद्दों को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिला और उनसे मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि एलजी के साथ करीब एक घंटा बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा रखे गए सभी पहलुओं सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली की समस्याओं लेकर एक ज्ञापन भी एलजी को सौंपा। राज निवास से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में देवेन्द्र यादव ने कहा कि जल भराव के कारण गाजीपुर के नाले में जिस तरह एक मां और उसके बच्चे की नाले में गिरने से मौत हुई और पुराने राजेन्द्र नगर में बेसमेंट में डूबने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत से अवगत कराया, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, मांग की कि असली दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उभलस्वा डेयरी सहित अन्य डेयरियों को हाई कोर्ट के स्थानांरित करने आदेश का है।

दिल्ली सरकार जेलों के शौचालयों को सुधारे : हाईकोर्ट

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● अदालत ने निरीक्षण कर चार माह में उनका नवीनीकरण और मरम्मत करने का दिया निर्देश

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि वह राजधानी के सभी जेल परिसरों में शौचालयों की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद चार महीने के भीतर उनका नवीनीकरण और मरम्मत करे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि तिहाड़ जेल का निरीक्षण करने वाले न्यायाधीशों द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट के अनुसार, शौचालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है और कुछ कैदियों द्वारा स्वेच्छा से सफाई का काम किया जा रहा है। अदालत ने अधिकारियों से कहा कि वे प्रत्एक जेल परिसर में शौचालयों की साफ-सफाई के लिए अनुबंध सहित पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करें तथा उन कैदियों को अकुशल श्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें जो स्वेच्छा से सफाई का काम कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय का यह आदेश तिहाड़ जेल में हाथ से मैला साफ करने के आरोप वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कैदियों द्वारा हाथों से मानव मल साफ किया जा रहा है।

हालांकि, अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा से इनकार किया गया। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शौचालयों की स्थिति ठीक नहीं है और साफ-सफाई के मुद्दे हैं।पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, हर कोई हाथ से मैला ढोने की प्रथा से इनकार कर रहा है। शौचालय की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्निर्माण की जरूरत है। इसने कहा, पीडब्ल्यूडी को शौचालयों की स्थिति के संबंध में सभी जेल परिसरों का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया जाता है। यदि किसी मरम्मत कार्य की आवश्यकता है, तो उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कैदियों को बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के शौचालयों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है।अदालत ने कहा कि निरीक्षण करने वाले न्यायाधीशों की रिपोर्ट के अनुसार, शौचालयों में स्वैच्छिक सफाई के काम के लिए कुछ कैदियों को भुगतान किया जा रहा है, जबकि कुछ को नहीं।

कोचिंग सेंटर-लाइब्रेरी के खिलाफ होगी कार्रवाई

● मानसून में नालों की साफ सफाई को लेकर मेयर ने की बैठक

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मेयर शैली ओबरॉय ने कोचिंग सेंटरों की सीलिंग और मानसून में नालों की साफ सफाई को लेकर बैठक की। बैठक में महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न जोनों में भी संपत्ति के दुरुपयोग और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखें।

अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए जाए और सील किया जाये। साथ ही सभी जोन में बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों और अन्य संपत्तियों की पहचान करने के लिए सर्वे भी करे। मेयर ने कहा की निगम बिल्डिंग बायलॉज को सख्ती से लागू करने और छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त बैठक में मॉनसून में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी चर्चा की गई। महापौर ने अधिकारी को निर्देश दिये गये कि सभी जोन में गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट को चिन्हित करें और और उन्हें खत्म कर सौंदर्यीकरण किया जाए।

शेयर बाजार में रिटर्न के बहाने ठगने वाला गैंग धरा

नई दिल्ली। व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर बाजार में आकर्षक रिटर्न के बहाने लोगों को ठगने वाले एक अंतर्राज्जीय गैंग के तीन जालसाजों को बाहरी जिला साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के साथियों के लिंक चीनी नागरिकों से हैं। आरोपियों के कब्जे से कपिल गुरु,हरेन्द्र सिंह राठौर उर्फ बंटी और लक्ष्मीकांत के रूप में हुई है। सभी आरोपियों को जयपुर, राजस्थान और खरड़, पंजाब से गिरफ्तारी किया गया। आरोपियों के कब्जे से चार फोन और एक डेबिट कार्ड बरामद किया है। उनके बाकी नेटवर्क के बारे में पता करके आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

'फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामलों में एफआईआर करना अनिवार्य'

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्च न्यायालय ने कहा है कि फर्जी पुलिस मुठभेड़ में किसी व्यक्ति की मौत होने पर प्राथमिकी दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका खारिज कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की पीछा करने के दौरान गोली लगने से हुई मौत के बाद दिल्ली पुलिस की छापेमारी टीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि चूंकि पीड़ित राकेश की पीठ के निचले हिस्से पर गोली के निशान के अलावा पांच अन्य जगह गुम चोट आई थीं, इसलिए यह स्थापित किया जाना था कि क्या उसे बेरहमी से पीटा गया था अदालत ने हाल ही में दिए आदेश में कहा, जांच करके यह पता लगाने की आवश्यकता है कि यह हत्या का मामला था या मुठभेड़ का स्पष्ट रूप से, कोई भी अधिकारी घायल नहीं हुआ, जबकि दावा किया गया था कि व्यक्तियों ने उन पर भी गोली चलाई थी। राकेश की मौत के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा मंत्री केवल बातों की जादूगर : सचदेवा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● कुछ कमरे बनाने को अपनी सफलता दर्शातीं हैं जबकि 10वीं व 12वीं कक्षा के नतीजे लगातार गिर रहे हैं

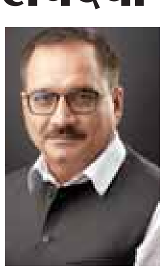

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की शिक्षा मंत्री आतिशी केवल बातों की जादूगर हैं जो शिक्षा के नाम पर कुछ कमरे बनाने को अपनी सफलता दर्शातीं हैं जबकि सरकारी स्कूलों के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के नतीजे लगातार गिर रहे हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की एक ओर दिल्ली सरकार के आधे से अधिक स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं, शिक्षकों के 30फीसदी से अधिक पद खाली हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार के 1030 स्कूलों में से 750 से अधिक स्कूलों में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, 500 से अधिक स्कूलों में कामर्स नहीं पढ़ाई जाती जिसके चलते गरीब छात्र अच्छी पढ़ाई से वंचित हैं। इसी वर्ष सरकारी स्कूलों के नौंवी कक्षा के नतीजों के फेल प्रतिशत ने दिल्ली वालों को स्तब्ध किया है जिसकी भाजपा लगातार जांच की मांग करती रही है। यह नौंवी एवं ग्यारहवीं में छात्रों की बड़ी फेल प्रतिशत सरकार की दसवीं एवं बारहवीं का नतीजा अच्छा दिखाने की साजिश का भाग है। सचदेवा ने कहा है की सरकार का 22711 कमरे बनाने का दावा भ्रामक है क्योंकि वह नये कमरे बनाने का जो दावा करती हैं उसमें यह नहीं बतातीं की कितने पुराने कमरे तोड़ कर नये बने और कितने वास्तविक नये कमरे बने। वैसे लोग अभी भूले नहीं हैं की पूर्व उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यकाल में बाथरूम तक को स्कूल कमरों में गिन दिया गया जिसकी लोकायुक्त जांच चल रही है। विश्वस्तरीय क्लास स्कूलों का दावा करने वाली आतिशी दो दिन पूर्व जिस समय सीमापुरी में एक स्कूल के नवनिर्माण का दावा कर रही थीं ठीक उसी समय शिक्षाविद व वकील अशोक अग्रवाल नंद नगरी में एक ऐसे स्कूल का पर्दाफाश कर रहे थे जिसमें कक्षा के आधे छात्र जमीन पर बैठ कर पढ़ने को बाध्य हैं।

अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली में बन रहे हैं 14 नए स्कूल : आतिशी

● शिक्षामंत्री का दावा वर्ष 2015 से 2024 तक विद्यालयों में 22,711 कमरे बनवाए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मंडावली पटपड़गंज में स्कूल की निरीक्षण करती शिक्षा मंत्री आतिशी।

बच्चों की अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से दिल्ली सरकार विभिन्न इलाकों में 14 नए स्कूल बनवा रही है। ये स्कूल रोहिणी सेक्टर 27, एफ1 व 2 ब्लॉक सुंदर नगरी, नसीरपुर द्वारका, रोहिणी सेक्टर 41, रोहिणी सेक्टर, 41 सीएफ 3, लाडपुर गाँव, द्वारका सेक्टर 16, द्वारका सेक्टर 1, किराड़ी, जहाँगीरपुरी, 143 कमरे, रोहिणी सेक्टर 28, सलेमपुर माजरा, आया नगर और मेहराम नगर में हैं।

साथ ही ऐसे स्कूल जहां पर क्लास रूम की कमी थी वहां पर नए कमरे भी बनाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि बच्चों के बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार काम करती रहेगी। अतिशी ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक कई सरकारें आई-गई लेकिन स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही बनें जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वर्ष 2015 से 2024 तक मात्र 10 सालों में सरकारी स्कूलों में 22,711 कमरे बनवाए। उन्होंने कहा कि, उन्होंने अपने स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड, बढ़िया लैब-लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, शानदार डेस्क सहित तमाम सुविधाओं से लैस किया और आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पा रहे है। आतिशी ने कहा कि, जिन स्कूलों में क्लासरूम की कमी थी, वहाँ नये क्लासरूम, अकेडमिक ब्लॉक बनाए जा रहे है। वर्तमान में स्कूलों में 1541 नये कमरे बन रहे है। पूरे देश में आप इकलौती सरकार है जो अपने बजट का 25 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर लगती है तो वह केजरीवाल की सरकार है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कई स्कूल ऐसे थे, जहां पर एक क्लासरूम में 150 तक बच्चे पढ़ते थे। ऐसी ठसाठस भरे क्लास में बच्चों को क्वालिटी शिक्षा देना नामुमकिन था। लेकिन उनकी सरकार ने हर बच्चे को चाहे वो अमीर परिवार से हो या गरीब परिवार से हो उसे वर्ल्ड क्लास शिक्षा देंगे। प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा सरकारी स्कूल में देंगे। वर्तमान में स्कूलों में 1541 नए कमरे बन रहे है।

'भाजयुमो 20 करोड़ घरों पर फहराएगा तिरंगा'

तेजस्वी सूर्या बोले, 11 से 14 अगस्त तक चलेगा अभियान, प्रदेशभर में निकाली जाएंगी बाइक रैलियां

- 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य में आयोजित होंगे सेमिनार

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भाजयुमो ने हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाने का फैसला किया है। यह अभियान 11 अगस्त से शुरू होगा और चार दिनों तक चलेगा। वहीं भाजपा 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मरण दिवस मनाएंगी।

तेजस्वी सूर्या बुधवार को यहां भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार तीसरे वर्ष भी देश और प्रदेश में हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा एवं बाइक रैली निकाली जाएगी। क्रांतिकारियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। सूर्या ने कहा कि युवा मोर्चा द्वारा 11 से 14 अगस्त तक प्रदेश के हर मंडल व जिला स्तर पर बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इन बाइक रैलियों में हजारों की संख्या में युवा भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत युवा मोर्चा 13 और 14 अगस्त को प्रदेश में जिला स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े पवित्र स्थलों, स्वतंत्र सेनानियों की मूर्तियों पर साफ-सफाई करेंगे और श्रद्धांजलि तथा पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या।

सूर्या ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रदेश के हर जिला में सेमिनार होंगे। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय जिस प्रकार की हिंसा देश के जनमानस ने झेली है इसके बारे में चर्चाएं होंगी। बैठक में भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम, संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, प्रदेश संयोजक विपुल गोयल, प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव, जिला अध्यक्ष कमल यादव, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, भाजपा नेता योगेश्वर दत्त आदि उपस्थित रहे।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि देश और समाज सामूहिक भावना से चलता है। हर घर तिरंगा अभियान का मकसद देश के युवाओं, किसानों, गरीबों, महिलाओं व जनमानस का देश के प्रति जो कमिटमेंट है उसको प्रेरित और जागरूक करना है।

डीएचबीवीएन ने पहली बार कार्यकारी अभियंता को बनाया सुरक्षा अधिकारी

- सुरक्षा अधिकारी के नंबर 9050960500 पर भेजें कोई भी जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

नागरिकों को किसी भी प्रकार के जान-माल का खतरा नहीं हो, बिजली निगम की लाइनों से किसी व्यक्ति एवं कर्मचारी को कोई नुकसान न हो। इसके लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कार्यकारी अभियंता को सुरक्षा अधिकारी लगाया है। ऐसा डीएचबीवीएन में पहली बार हुआ है कि किसी कार्यकारी अभियंता को सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

इस बारे में निर्देश देते हुए मंडलायुक्त हिसार एवं प्रबंध निदेशक डीएचबीवीएन पीसी मीणा ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एक बिजली वितरण कंपनी के रूप में, एक सुरक्षित और दुर्घटना-मुक्त प्रणाली बनाए रखना हमारा दायित्व है। हाल के अवलोकनों ने विद्युत लाइनों, खंभों, ट्रांसफार्मर, फीडर खंभे जैसे उपभोक्ता आवासों की विद्युत संपत्तियों की खतरनाक स्थितियों को उजागर किया है। मीटर और मीटर बॉक्स खंभों पर स्थापित किए गए। ये गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा करते हैं। कभी-कभी घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।

डीएचबीवीएन के एमडी पीसी मीणा।

उन्होंने बताया कि इसी के मद्देनजर बिजली की लाइनों से संबंधित किसी भी प्रकार के खतरे की सूचना सीधे मुख्यालय को दी जा सकेगी। कार्यकारी अभियंता (सुरक्षा) के मोबाइल-व्हाट्सएप नंबर 9050960500 पर कोई भी नागरिक ऐसे स्थान का फोटो, वीडियो, गूगल लोकेशन या लैंडमार्क, उपमंडल क्षेत्र के नाम आदि के द्वारा जानकारी दे सकता है। जान माल के खतरे से बचाव करते हुए, टूटे हुए खंबे, बिजली की तारों, सपोर्ट वायर, अर्थ वायर, ट्रांसफार्मर, मीटर बॉक्स अथवा अन्य किसी में आने वाले करंट की सूचना भी उपभोक्ता इस व्हाट्सएप नंबर 9050960500 पर तुरंत दे सकते हैं।

'दुनिया में परचम लहरा रहे हमारे खिलाड़ी'

- विनेश फौगाट का ओलंपिक से बाहर होना गोल्ड मेडल का नुकसानः सुंदर लाल

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

हरियाली तीज के पावन पर्व के उपलक्ष्य में बाबा मोहन राम के मंदिर गांव बार गुर्जर में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक एवं गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सरपंच सुंदर लाल यादव ने बतौर अतिथि शिरकत की। उन्होंने जमीन पर ग्रामीणों के बीच बैठकर दंगल का आनंद लिया। इस दौरान नाहरपुर के सरपंच विजयपाल यादव समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

कुश्ती दंगल में सरपंच सुंदर लाल यादव को पगड़ी पहनाकर सम्मान देते ग्रामीण।

इस अवसर पर गांव की सरदारी ने उन्हें पगड़ी बांधकर स्वागत व सम्मान दिया। जिसके लिए उन्होंने सभी ग्रामीणों का आभार जताया। सरपंच यादव ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी में पैदा होने वाले खिलाड़ी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहां दंगल में दम दिखा रहे खिलाड़ियों में से भी भविष्य के ओलंपियन निकल सकते हैं। खिलाड़ियों अपना पूरा फोकस खेल पर करना चाहिए। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के अंतिम समय में ओलंपिक से बाहर होने पर खेद जाहिर करते हुए कहा कि अगर वे फाइनल में खेल पातीं तो गोल्ड जीत जाती। उनका आत्मविश्वास भरपूर था। एक दिन में विनेश फोगाट ने तीन मुकाबले जीतकर अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने दिखाई।

दुनियाभर के खिलाड़ी उनकी सराहना कर रहे हैं। सरपंच सुंदर लाल यादव ने कहा कि भले ही विनेश फोगाट भारत के लिए मेडल लाने से चूक गई हों, लेकिन उनका हरियाणा की धरती पर मेडल लाने जैसा ही सम्मान होगा।

युवा अग्रवाल सम्मेलन की बेहतरी के लिए करूंगा कामः अमित गोयल

गुरुग्राम। गुरुग्राम समेत प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवा में जुटे अमित गोयल को अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार अग्रवाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के निर्देशानुसार युवा सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज जिंदल की सहमति से समाजसेवा के प्रति समर्पित अमित गोयल की राष्ट्रीय के पद पर नियुक्ति की गई है।

अमित गोयल ने इस जिम्मेदारी पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज जिंदल व राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार अग्रवाल समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, गरिमा में रहते हुए इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

साध्वी बनने से पूर्व युवतियों का दुल्हन की तरह किया श्रृंगार

- जैन बारादरी से सदर बाजार व अन्य क्षेत्रों में निकाली गई यात्रा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर जैकमपुरा में परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी महाराज ससंघ के सानिध्य में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या बा. ब्र. नीतू दीदी एवं प्रियंका दीदी की आर्यिका दीक्षा से पूर्व जैन समाज द्वारा दोनों बहन जी की भव्य विनौली यात्रा निकाली गई। इसके बाद अब दोनों बहनें सांसारिक जीवन से सन्यासी जीवन में प्रवेश कर गई हैं।

जैन साध्वी बनने से पूर्व दुल्हन के रूप में जैन संत से आशीर्वाद लेती युवतियां।

जैन बारादरी से शुरू हुई विनौली यात्रा घोड़ी, बगगी, बैंड-बाजे, ताशे के साथ काफी संख्या में जैन श्रावकों की अगुवाई में सदर बाजार क्षेत्र से निकाली गई। सभी नगर के लोग इस यात्रा को देखकर झूम उठे। यात्रा के बाद दोनों दीदी की गोद भराई का मांगलिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले दिल्ली से आए प्रतिष्ठाचार्य पंडित दीपक जैन ने मंगाएटक मंत्रों से कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। सर्वप्रथम चौक पुराई का सोनाली जैन, अजय जैन, अन्नू जैन, कपिल जैन मालिबू टाउन परिवार ने की।

आचार्य श्री ने अपने मंगल प्रवचन में बताया कि संयम के पथ पर चलना एवं अपने आपको देव, शास्त्र, गुरु पर अटूट श्रद्धा रखने का यह मार्ग का बड़ा ही कठिन है। श्री 105 ज्ञानगंगा मातमा जी ने अपने मंगलाएटक का उच्चारण कर गोद भराई को शुरू कराया।

दोनों दीदी को माता जी अपने हाथ से आशीर्वाद स्वरूप मेहंदी, हल्दी लगाकर गोद भरने का कार्य शुरू कराया। प्रथम गोद भरने का सौभागय सरला जैन, सुनील जैन एवं अर्चना जैन, प्रवीन जैन, समा जैन, राहुल जैन टेक्सको परिवार को प्राप्त हुआ। इसके बाद मंदिर जी प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष संदीप जैन, उपप्रधान विनय जैन सीए, महामंत्री श्रेयांस जैन, सहमंत्री पारस जैन, कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन को सौभागय मिला।

संक्षिप्त समाचार

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर रिहर्सल करतीं छात्राएं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए टीमों ने की रिहर्सल

फरीदाबाद। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्कूलों की टीमों ने रिहर्सल की। सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम के लिए राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एनआईटी-05 के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान, बीएनपी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-49 के विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण विषय पर डांस, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एम.एम पुर और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एनआईटी-5 के विद्यार्थियों द्वारा भ्रूण हत्या विषय पर नृत्य प्रस्तुति, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ओल्ड फरीदाबाद के विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता के विषय पर नृत्य प्रस्तुति, राजकीय सीनयर सेकेंडरी स्कूल, पाली, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एनआईटी-03 और श्री राम मॉडल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा खेल विषय पर नृत्य प्रस्तुति, शिर्डी साई बाबा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा एक पेड़ मां के नाम विषय पर नृत्य प्रस्तुति, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनआईटी-02, राजकीय मॉडल सीनयर सेकेंडरी स्कूल सराय ख्वाजा और सैनिक स्कूल बल्लभगढ़ के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।

समाधान शिविर में की गई 53 शिकायतों की सुनवाई

गुरुग्राम। आम नागरिकों की जनसमस्याओं का तत्परता से निराकरण किया जाना चाहिए। सभी विभागीय अधिकारी उनके कार्यालय में आ रही जनशिकायतों का समाधान करवाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी तय करें। यह बात डीसी निशांत कुमार यादव ने समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए कही। लघु सचिवालय सभागार में आयोजित हुए इस शिविर में गुरुवार को 53 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें से 25 का मौके पर समाधान किया गया। 28 मामलों का निपटारा किए जाने के संबधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शिविर में जिला पार्षद यशपाल फरीदपुर ने शिकायत रखी कि उनके वार्ड में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ले रहे 100 बुजुर्गों की पेंशन नहीं आई है। इस पर समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ये पेंशन बैंक को भिजवा दी गई हैं। डीसी ने जिला पार्षद को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह में सभी पात्र व्यक्तियों की पेंशन उनके खाते में आ जाएगी।

अनधिकृत रूप से बत्ती-हूटर का न करें उपयोगः एसपी

पलवल। अब अनाधिकृत रूप से लाल नीली बत्ती तथा सायरन का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों की खैर नहीं पुलिस की ओर से लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक पलवल चंद्र मोहन आईपीएस ने बताया कि यदि किसी सरकारी वाहनों पर इसका अनाधिकृत तरीके से इस्तेमाल होता पाया गया तो उनके विभाग प्रमुखों को पत्र लिखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है, कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए में कहा कि वाहनों पर अनाधिकृत तौर पर नीली तथा लाल बत्ती एवं सायरन स्वीकार्य नहीं है। ऐसा करने वालों पर नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उनके चालान किए जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि लोग वाहनों पर इनका इस्तेमाल ना करें। अनाधिकृत रूप से सायरन का भी उपयोग न करने की हिदायत दी है।

जाटौली में होगी सीएम की जनसभाः जरावता

- एक महीने में दूसरी बार पटौदी विधानसभा में आ रहे हैं मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

10 अगस्त को पटौदी जाटौली की नई अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनसभाको लेकर सरपंच सुंदर लाल यादव के कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने शिरकत की। सरपंच सुंदर लाल यादव व आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने विधायक का बुके देकर स्वागत किया।

जनसभा की तैयारियों को लेकर बैठक में मौजूद विधायक व क्षेत्र के मौजिज लोग।

बैठक में 50 से अधिक सोसायटी आरडब्ल्यूए के प्रधान, पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग पहुंचे। जरावता ने कहा कि मुख्यमंत्री की जनसभा में हमारे नए गुरुग्राम की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसके लिए हमें प्रयास करके भागीदारी को सुनिश्चित करना है। बैठक में सरपंच सुंदर लाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए हम सब एक बार फिर से तैयार हैं। इसी कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री बीती 12 जुलाई को शिरकत की थी।

हेलमेट न होने पर पुलिस ने काटे एक लाख चालान

फरीदाबाद। इस वर्ष फरीदाबाद में हेलमेट न पहनने पर एक लाख से अधिक चालान काटे गए, जबकि लगभग 5 हजार बिना नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के चालान काटे। पुलिस द्वारा इस वर्ष हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों के किए गए 1,03,368 चालान और बिना नंबर प्लेट के 4814 चालान किये गये है। आंकड़े से पाया गया कि रोड एक्सीडेंट में ज्यादातर मौतें सिर में चोट लगने की वजह से हुई है। दुपहिया वाहन चालक सड़क पर यात्रा करते समय हेलमेट नहीं पहनते और रोड एक्सीडेंट के दौरान उनके सिर का बचाव नहीं हो पता और उनकी मृत्यु हो जाती है।

हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के प्रति भारी जोशः सुखबीर

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

कांग्रेस नेता सुखबीर तंवर ने आगामी 11 अगस्त को पटौदी में प्रस्तावित हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा का गांव खुर्रमपुर, खेड़ा, डूमा, मुशेदपुर, जराऊ सुंदरपुर एवं सिवाड़ी का दौरा करके ग्रामीणों को आमंत्रित किया।

सुखबीर तंवर।

सुखबीर तंवर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आयोजित हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा भाजपा के 10 साल के शासन को उखाड़ देगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हजारों स्कूल मर्जर के नाम पर बंद करना शिक्षा व्यवस्था पर काला धब्बा है। स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचागत विकास नहीं होना, गुरुग्राम की आबादी में निरंतर बेहताशा वृद्धि और जिले के सिविल अस्पताल में विगत 10 वर्षों में एक भी ईंट नहीं लगाकर उसको पार्किंग स्थल बना देना सरकार की विफलता को दर्शाता है।

व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टीकाकरणः डॉ. देवलीना

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

भारत में टीकाकरण से रोके जा सकने वाली बीमारियों से होने वाली लगभग 95 प्रतिशत मौतें व्यस्कों में होती हैं। देश में टीकाकरण को अक्सर केवल बचपन के टीकाकरण से जोड़ा जाता है। व्यस्कों के टीकों की आवश्यकता को अनदेखा कर दिया जाता है। इसी को देखते हुए अब आर्टेमिस अस्पताल ने विशेष केंद्र व्यस्कों के टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की है।

टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ करतीं डा. देवलीना।

आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने फाइजर इंडिया के साथ साझेदारी में व्यस्कों के टीकाकरण के लिए एक अग्रणी विशेष केंद्र बनाया है। जिसका उद्देश्य भारत में प्रीवेंटिव स्वास्थ्य सेवा के परिदृश्य को बदलना है। इस केंद्र से पूरे भारत में रोगी देखभाल को बढ़ाने और व्यस्कों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एयरपोर्ट पर इंटर्नशिप करेंगे एयरलाइंस मैनेजमेंट के विद्यार्थी

- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ श्री विश्वकर्मा कौशल विवि का हुआ करार

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण करार किया है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्स के विद्यार्थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप और वर्कशॉप कर पाएंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने इस साल यूजी डिप्लोमा इन एयरलाइंस मैनेजमेंट की शुरुआत की है। विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बतौर कुलपति डॉ. राज नेहरू के प्रयासों से हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ यह करार करने में सफल हुए हैं। इस करार से विद्यार्थियों के लिए नए द्वार खुले हैं। एयरलाइंस के क्षेत्र में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यूजी डिप्लोमा इन एयरलाइंस मैनेजमेंट की शुरुआत की गई है।

पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की पेंशन व ईसीएचएस कार्ड के लिए लगा कैंप

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

भारतीय सेना की अहम ईकाई द्वारा स्पर्श के माध्यम से सेवानिवृत्ति फौजियों विशेष रूप से नौसेना, वायु सेवा, थल सेना के सेवानिवृत्ति फौजियों व विधवाओं की पेंशन बनाने के लिए आज एक विशेष कैंप जाटौली मंडी पटौदी में अजय शर्मा राकेश वशिष्ठ द्वारा लगाएगा। इस कैंप का उद्घाटन कप्तान जनक राज चौहान, अध्यक्ष अजय शर्मा व स्पर्श टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर नायब सूबेदार अनिल कुमार, हवलदार हंसराज, कप्तान सोमदत्त सिंह चौहान, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह, अजय शर्मा, राकेश वशिष्ठ, सेवानिवृत्ति फौजी अशोक चौहान, अजय पाल सिंह चौहान, युवा जागृति मंडल के प्रधान मुकेश शर्मा, समाजसेवी अनिल कुमार छोटू, जेपी चौहान सरजीत चौहान, मास्टर सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।

भारतीय सेना की ईकाई स्पर्श की ओर से जाटौली मंडी में पेंशन बनाने के विशेष कैंप का शुभारंभ करते कप्तान जनक राज चौहान व अध्यक्ष अजय शर्मा।

तीज उत्सव पर हरियाणवी गायक ने दी प्रस्तुति

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

सेक्टर-5 के हुडा ग्राउंड में तीज महोत्सव कार्यक्रम में हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा व अन्य कलाकारों ने समां बांध दिया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत करके तीज उत्सव को यादगार बनाया।

तीज पर आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा।

अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की महिला जिलाध्यक्ष मीनाक्षी गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों की पेंटिंग और फैंसी ड्रैस प्रतियोगिता कराई गई। फैंसी ड्रैस या सोलह श्रृंगार हर प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह वे उन्हें सम्मान देते हैं और उनमें अपना भरोसा जताकर भरी संख्या में जुटते हैं, उससे उन्हें भी ताकत मिलती है। देर रात तक चले रहे कार्यक्रम में हरियाणवी गायक अजय हुड्डा ने एक से बढ़कर एक गानों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिलाएं, बच्चे उनके गीतों पर जमकर नाचे।

पूर्व विधायक एवं भव्य तीज महोत्सव प्रोग्राम के संयोजक उमेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे महिला जिलाध्यक्ष मीनाक्षी गुप्ता एवं वैश्य महासम्मेलन से जुड़ी सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया।

हरियाणा में नहीं जाएगी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी

मंत्रिमंडल की बैठक में नायब सैनी सरकार ने लिए कई अहम फैसले, एक्ट लाकर 58 साल की नौकरी की सुरक्षा देगी सरकार

● पांच साल की नौकरी वाले कच्चे कर्मचारी योजना में शामिल

शिखा शर्मा। चंडीगढ़

हरियाणा सरकार एक विशेष एक्ट के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम कर रहे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान करेगी। अर्थात् यह कर्मचारी परोक्ष रूप से सरकारी कर्मचारी की तरह ही सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करते रहेंगे।

गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने एक विशेष एक्ट के माध्यम से सभी कच्चे कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में लगे कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद बताया कि सभी कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो पालिसी ला रही है, उसमें 50 हजार रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में लगे कच्चे कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों को सेवाएं देते हुए पांच साल हो गए हैं, उन्हें पॉलिसी का लाभ मिलेगा।

गुरुवार को चंडीगढ़ सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।

सरकार एक्ट कब लाएगी यह साफ नहीं: लांबा

आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन के प्रधान सुभाष लांबा ने मुख्यमंत्री की घोषणा को सकारात्मक कदम बताया है, साथ ही कहा कि सीएम की घोषणा के अनुसार सरकार आउटसोर्स एवं एचकेआरएन कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्ट लाएगी। यह एक्ट सरकार कब लाएगी, इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है। एक्ट विधानसभा में लाया जाता है, लेकिन सरकार मानसून सत्र पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है।

पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में मिलेगा सिलेंडर

● योजना से 49 लाख से अधिक परिवार होंगे लाभान्वित

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत परिवारों के लिए राज्य में नई एलपीजी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 अगस्त, 2024 से लागू होगी।

इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 12 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। इस नई योजना के अनुसार एलपीजी की सब्सिडी-राशि परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं है, तो यह राशि परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

प्रदेश सरकार की इस योजना से 49 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। इससे राज्य की गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार होगा। हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 1.417 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी।

खरीफ फसलों पर किसानों को मिलेगा दो हजार रुपये प्रति एकड़ का बोनस

● एमएसपी से अलग मिलेगी बोनस की राशि

● फल, सब्जियों व बागवानी किसानों को भी मिलेगा फायदा

● 15 अगस्त तक फसलों का पंजीकरण करा लें किसान

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार घोषणाएं करती जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को खरीफ फसलों पर दो हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस देने का फैसला लिया गया। इसके लिए सरकार ने पोर्टल पर 15 अगस्त तक आवेदन भी मांग लिए हैं।

खरीफ की फसलों पर बोनस की यह राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अलग मिलेगी। पूरे खरीफ सीजन में किसानों को करीब 1300 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला कम बारिश के कारण फसल लागत मूल्य बढने के कारण लिया है।

खरीफ की 14 प्रमुख फसलों में धान, कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, मूंगफली, गन्ना, जूट, अरहर, सूरजमुखी, तिल और सोयाबीन की प्रमुख फसलें आती हैं। इनका बिजाई सीजन जून से जुलाई तक होता है। प्रदेश सरकार उन किसानों को भी दो हजार रुपये प्रति एकड़ बोनस प्रदान करेगी, जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े फैसले ले रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार ने किसानों की समस्या को बारीकी से समझा और महसूस किया है। इसलिए सरकार ने किसानों को खरीफ के सीजन में पैदा होने वाली फसलों के साथ-साथ इसी सीजन में आने वाले फल, फूल और सब्जियों पर भी दो हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस देने का निर्णय लिया है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे 15 अगस्त तक मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करा लें, ताकि उन्हें बोनस का लाभ प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी ना आए। पिछले सप्ताह सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने तथा नहरी पानी का शुल्क माफ करने का फैसला लिया था।

अपने परिवार के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से मिलने पहुंची मनु भाकर के मेडल देखते सांसद दीपेंद्र हुड्डा।

दिल्ली पहुंचते ही भूपेंद्र हुड्डा परिवार से मिली मनु भाकर

● मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मनु भाकर को फोन कर दी बधाई

● परिवार समेत घर आने का दिया न्यौता

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतकर भारत लौटी मनु भाकर को फोन करके उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और परिवार समेत घर आने का न्यौता दिया। इस बीच मनु भाकर अपने परिवार के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से मिलने पहुंची।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनु भाकर से बातचीत के दौरान मनु भाकर को अपने आवास पर आमंत्रित भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपने राज्य की सशक्त बेटी का गर्मजोशी से स्वागत करेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटी हरियाणा की बेटी मनु भाकर से मैंने फोन पर बात की और उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर आने का निमंत्रण दिया। मनु भाकर आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। आज आप हरियाणा की बेटियों की बहादुरी और सम्मान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हरियाणा सरकार अपने प्रदेश की सशक्त बेटी का हार्दिक अभिनंदन करेगी।

'कर्म की साधना का प्रतिफल है द्रौपदी का अभिनय'

● फिल्म महोत्सव में अभिनेत्री रूपा गांगुली विद्यार्थियों से हुईं रूबरू

● कहा- दो साल तक सुबह पांच बजे से शाम के 7 बजे तक चली थी महाभारत की शूटिंग

सौरभ चौधरी। कुरुक्षेत्र

मशहूर फिल्म अभिनेत्री रूपा गांगुली ने कहा कि व्यक्ति को अपना कर्म पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ करना चाहिए। यदि आप अपने कर्म को साधना मानकर करोगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। कर्म की साधना का प्रतिफलन ही उनके लिए महाभारत की द्रौपदी का अभिनय करना है।

वे गुरुवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग तथा संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 7वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन ऑडिटोरियम हॉल में छात्रों से रूबरू होकर संवाद करते हुए बोल रही थी। इस मौके पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. एआर चौधरी ने मुख्यातिथि रूपा गांगुली को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कॉफी टेबल भेंट की। इस मौके पर अभिनेता अखिलेन्द्र मिश्र, महोत्सव निदेशक धमेन्द्र डांगी, विकास, प्रो. विवेक चावला, सौरभ चौधरी, प्रो. शुचिस्मिता मौजूद थे। संवाद कार्यक्रम का संचालन शांतनु ने किया।

अभिनेत्री रूपा गांगुली ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के आरम्भिक दौर में बड़ी कठिनाईयों का सामना किया लेकिन कभी भी वे अपने कर्म के मार्ग से विमुख नहीं हुई। उन्होंने जीवन में जो सोचा उसे प्राप्त किया। यही कारण है कि किताबे खरीदने और फीस भरने तक के पैसे न होने के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम कर हमेशा मेरिट में स्थान पाया। प्रत्येक काम साधना के साथ होता है।

राज्यपाल यमुनानगर तो सीएम कुरुक्षेत्र में करेंगे ध्वजारोहण

● चंडीगढ़ राजभवन में होगा एट होम कार्यक्रम

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 15 अगस्त को यमुनानगर में आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेकर ध्वजारोहण करेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव ने गुरुवार को स्वतंत्रता समारोह को लेकर प्रदेश भर में होने वाले कार्यक्रमों को जारी कर दिया।

77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता पंचकूला में तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे।

मुख्य सचिव के अनुसार कृषि मंत्री कंवर पाल कैथल में, कैबिनेट मंत्री मूल चंद शर्मा पानीपत में, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह फतेहाबाद में, राज्य मंत्री बिशंभर सिंह चरखी-दादरी में, मंत्री बनवारी लाल गुरुग्राम में, स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता हिसार में, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा जींद में, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा पलवल में, कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा सोनीपत में, परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल अंबाला में, डॉ.अभय सिंह यादव फरीदाबाद में, सुभाष सुधा करनाल में, वित्त मंत्री जेपी दलाल रोहतक में, राज्य मंत्री संजय सिंह नूंह में, सांसद धर्मबीर भिवानी में, सांसद रामचंद्र जांगड़ा झज्जर में, सुभाष बराला सिरसा में, सांसद कृष्ण लाल पंवार महेंद्रगढ़ में तथा विधायक सत्यप्रकाश जरावता रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर होने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेकर ध्वजारोहण करेंगे।

12-13 अगस्त को दौरा करेगी निर्वाचन आयोग की टीम

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि निर्वाचन आयोग (ईसी) इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए 12 और 13 अगस्त को हरियाणा का दौरा करेगा। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के सभी उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की।

धार्मिक नेता की मौत के बाद सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद

सिरसा। धार्मिक नेता बहादुर चंद वकील की मौत के बाद हरियाणा सरकार ने बुधवार को पूरे सिरसा जिले में गुरुवार आधी रात तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं गई। वकील सिरसा में डेरा जगमालवाली के प्रमुख थे। उनके अनुयायी उनकी मौत में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि एक अलग गुट डेरा की कमान संभालने जा रहा है। शुक्रवार को वकील का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह विभाग के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अनुराग रस्तोगी द्वारा इंटरनेट निलंबित करने का आदेश उनकी मृत्यु के बाद सिरसा में बढ़ते तनाव के कारण जारी किया गया था। सिरसा के अलावा, फतेहाबाद और अन्य पड़ोसी जिलों में डेरा प्रमुख के अनुयायी भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। वे एक अन्य डेरा अनुयायी, वीरेंद्र सिंह ढिल्लों, जो डेरा का नेतृत्व करने के लिए आगे आए हैं।

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to public at large that my client Karanti Devi & Mr. Shankar LAL who is purchasing Plot land admeasuring 110 Sq. Yards, out of Mustil no. 7, Killa no. 25(3-10), situated in the revenue estate of Village Moja, Ismilepur, Distt. Faridabad, Haryana from Mr. Govind Ram Awana who is the owner of the abovementioned property vide General Power of Attorney, Agreement to Sell & WILL dated 28.08.2002 and intend to get the financial assistance from Motilal Oswal Home Finance Limited. If any person(s) /Institution has/have any objection(s) or claim(s) with respect to the right, title or interest in the said property may please contact us within 07 days from the date of this notice on the address mentioned herein below, failing which my client(s) shall not be held responsible in any manner whatsoever.

(Advocate)
A-38 Kailash Colony, Khaitan & Khaitan
New Delhi-110048, Ph. No: 011-49774545

Public Notice

This is to inform the general public that **Mrs. Sonam Garg alias Sonam Gupta** is the owner of Property no.WZ-48 (bearing old no.WZ-76), area measuring 100 sq. yds., i.e., 83.61 sq. Mtrs., situated in the area of village Shakur Basti, colony known as Sri Nagar, Delhi-110034 through Gift Deed dated 05.03.2021 as doc. No. 3494 executed by Mrs. Bimla Devi in favour of Mrs. Sonam Garg alias Sonam Gupta in respect of said Property.
Mrs. Sonam Garg alias Sonam Gupta is in the process of mortgaging the said SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.). Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 7 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 7-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our client.
If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 7-day period by contacting **Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-44/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s): +910120-3101683; e-mail: accounts@lvnorth.in**

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

मैं, **Meenakshi**, पत्नी **Sh. Akhil Thakur**, निवासी 58/TF yth Floor, सेक्टर-5 भाग- III, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 मैंने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए मेरा नाम **Meenakshi** से बदलकर **Meenakshi Sachdeva** रख लिया है और दोनों एक ही व्यक्ति हैं।

PD(662)C

अभिनय के माध्यम से तय होता अभिनेता के अध्यात्म का रास्ता: मिश्र

पायनियर समाचार सेवा। कुरुक्षेत्र

बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता अखिलेन्द्र मिश्र ने कहा कि अभिनेता का अभिनय के माध्यम से अध्यात्म का रास्ता तय होता है। अभिनय का मूल अध्यात्म में निहित है तथा अपने मूल को जानकर ही मनुष्य का भटकाव समाप्त हो सकता है। सूक्ष्मता ही जीवन का आधार है क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही ज्ञान का स्रोत है।

अध्यात्म के पथ पर चलने से मनुष्य को सफलता निश्चित है। वास्तव में जीवन वेद में है। व्यक्ति के जीवन में जो भटकाव आया है उसका कारण है कि हम वेदों से कट गए हैं। वे गुरुवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग तथा संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 7वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन ऑडिटोरियम हॉल में छात्रों से रूबरू होकर संवाद कर रहे थे।

सरकार की गलत नीतियों से व्यापारी लुटा किसान पिटा: बजरंग गर्ग

कुरुक्षेत्र। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार की गलत नीतियों से व्यापारी लुटा है और किसान पिटा है। सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा में लगातार व्यापार व उद्योग पिछड़ना जा रहा है। जिसके कारण हरियाणा में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं जबकि देश व प्रदेश में 6-5 करोड़ छोटे व मध्यम उद्योग हुआ करते थे मगर सरकार की गलत नीतियों से देश व प्रदेश में 3 करोड़ छोटे व मध्यम उद्योग बंद हो चुके हैं। जिसका मुख्य कारण देश व प्रदेश में लगातार नए-नए टैक्स लगना व टैक्सों में बढ़ोतरी करना है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक देश एक टैक्स होगा मगर केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत 6 प्रकार के अलग-अलग टैक्स लगा दिए। जिन वस्तुओं पर कभी भी टैक्स नहीं था उन वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दिया।

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to public at large that Mr. Neeraj Kumar and Mrs. Sangita (Hereinafter refer to the Borrowers) are purchasing the property No. 1. One office space one ground floor measurement about 7 Ft X 9Ft. and first floor and above area measuring 197 Sq. Yards, bearing property no. K-152, out of khasra no. 152, situated in the abadi of Chhajjupur East, at the area of village Babarpur, Illaqa Shandara, Delhi-110032 and property No. 2 Built up Ground floor without roof/terrace rights, admeasuring 190 Sq. Yards i.e. 158.85 Sq. Meter, Property bearing no. 20-A/3-105, out of khasra no. 152, situated in the area of village Babar Pur, in the abadi of Prem Krishi Farm Chhuja Pur, Babarpur, Illaqa Shahadra- Delhi- 110032 (Hereinafter refer to the Said property) from Mr. Manoj Kumar Gupta who is the owner of the Abovementioned Property vide GPA, dated 05.10.2022 Vide doc. no. 918, book no.4, vol. no. 986, Page no. 164 to 167, on 07.10.2020, SRO-IVA- Shahdara, New Delhi., property No. 2 Vide GPA dated 15.11.2018, doc. no. 2208, book no.4, vol.no. 881, Page no. 118 to 123, on 16.11.2018, SRO- IV-A Shahdara, New Delhi/Delhi. Mr. Manoj Kumar Gupta also Claiming that property No. K-152 and property no. 20-A/3-105 both are the same with undisputed ownership. That borrowers will create mortgage in respect of the Said property in favour of My Clients SMFG India Home Finance Company Limited. Any person, body, individual, institution having any claim and/or objection in respect of the said property by way of Sale, exchange, lase, lien, mortgage, charge, Encumbrance, gift, trust, easement, maintenance inheritance, testamentary deposition or otherwise or having in their custody any title documents pertaining to the said property shall communicate the same to the undersigned at our address within 07 days from the publication of this notice with documentary evidence in support thereof, failing which all the claim, of such person shall be considered to have been waived and/or abandoned. Any objections raised after the completion of the 07 days shall not be binding upon the said property or my client.

Khaitan & Khaitan
A-38 Kailash Colony,
New Delhi-110048
Ph. No: 011-49774545

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शॉल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	शादब अहमद/ जेनीस अहमद/ LBDEL00006289923/ LBDEL00006529447	डीडीए जनता फ्लैट नंबर 615 और 619, द्वितीय तल पर, ब्लॉक-बी, पॉकेट 11, जसोला मेट्रो में स्थित, नई दिल्ली- 110025/अगस्त 06, 2024	मार्च 22, 2024 रु. 25,66,886/-	दिल्ली
2.	अभिषेक प्रबुद्ध/ प्रबुद्ध कुमार मुखर्जी/ LBNOD00001361844	आवासीय एल.आई.जी. फ्लैट नंबर 139-सी, द्वितीय तल, ब्लॉक-डी-1, सेक्टर-52, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301/ अगस्त 06, 2024	अप्रैल 17, 2024 रु. 9,86,486/-	दिल्ली/ एनसीआर वडोदरा

उपरोक्त कर्जदार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(यों) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।
दिनांक : अगस्त 09, 2024
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर
भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शॉल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	ऋषभ त्रिपाठी/ सरोज त्रिपाठी/ LBNOD00004115904	फ्लैट नंबर एच-604, छठी मंजिल, टॉवर-एच, प्रतीक विस्टेरिया, जीएच-001 पर स्थित, सेक्टर-77, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301/ अगस्त 07, 2024	अप्रैल 29, 2024 रु. 77,17,644/-	दिल्ली/ एनसीआर
2.	अर्जुन शर्मा/ टोय अड्डा/ कुसुम शर्मा/ LBNOD00005308499/ LBNOD00005319044	फ्लैट नं. 402, एचआईजी-1, टावर-बी5, चौथी मंजिल, पंचशील प्राइम-390, मेन हापुड़ रोड पर स्थित, गोविंदपुरम के सामने, अनाज मंडी, मंडी - हरसांव, तहसील- जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001/ अगस्त 07, 2024	अप्रैल 30, 2024 रु. 44,32,245/-	दिल्ली/ एनसीआर
3.	दीपिका चतुर्वेदी/ महेशानंद चतुर्वेदी/ LBGHZ00001989518	फ्लैट नंबर 219, दूसरी मंजिल, रजनी गंधा अपार्टमेंट, राजबाग कॉलोनी, ग्राम पसौंडा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001/ अगस्त 07, 2024	अप्रैल 17, 2024 रु. 13,37,107/-	दिल्ली/ एनसीआर
4.	धनजीत सिंह/ लखविंदर कौर/ LBDEL00005785639/ LBDEL00005248243	संपत्ति संख्या-35, प्रथम तल, सुखदेव विहार, नई दिल्ली, दिल्ली- 110025/ अगस्त 06, 2024	जनवरी 17, 2024 रु. 48,43,584/-	दिल्ली/ एनसीआर/ संगरूर पंजाब
5.	निधि राव/ अमित कुमार/ LBDEL00002097508	फ्लैट नंबर 074-डी, तीसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार के, ब्लॉक-ई में स्थित, कंचनजंगा अपार्टमेंट, सेक्टर-53 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301/ अगस्त 06, 2024	अप्रैल 09, 2024 रु. 28,37,755/-	दिल्ली/ एनसीआर/ पटना

उपरोक्त कर्जदार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(यों) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।
दिनांक : अगस्त 09, 2024
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर
भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शॉल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	विनोद कुमार/उषा/ LBDEL00004410958/ LBDEL00005749820/ LBDEL00005217120	एलआईजी फ्लैट नंबर 97, पहली मंजिल, पॉकेट-सी, वज़ीरपुर आवासीय योजना, अशोक विहार, चरण- IV, नई दिल्ली- 110052/ अगस्त 07, 2024	अप्रैल 09, 2024 रु. 35,27,158/-	दिल्ली/ एनसीआर
2.	मुकेश तिवारी/ पुनीत तिवारी/ LBDEL00001900929	फ्लैट नं. डब्ल्यूपी-11-सी, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-डब्ल्यूपी, श्रेणी-एलआईजी, पीतमपुरा आवासीय योजना, दिल्ली- 110034/ अगस्त 07, 2024	फरवरी 28, 2024 रु. 6,90,249/-	दिल्ली/ एनसीआर

उपरोक्त कर्जदार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(यों) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।
दिनांक : अगस्त 09, 2024
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर
भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शॉल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	सुमित/कृष्णपाल/ LBDEL00005917842	प्लॉट का क्षेत्र 4 बिस्वे (200 वर्ग गज) 4/162, खसरा नंबर 160 (8-2) का हिस्सा, खेवट नंबर 16, खतौनी नंबर 79, जमाबंदी वर्ष 2019-2020 के अनुसार, गांव गोबिंदगढ़, तहसील अम्लोह, जिला फतेहगढ़ साहिब (नगर परिषद के अनुसार- हरगोबिंद कॉलोनी, मंडी गोबिंदगढ़, तहसील अम्लोह), पंजाब-140406/ अगस्त 06, 2024	अप्रैल 12, 2024 रु. 50,47,018/-	दिल्ली/ एनसीआर/ फतेहगढ़ साहिब पंजाब
2.	स्मृति सिन्हा/ विवेक कुमार सिन्हा/ LBNOD00005373158	यूनिट नंबर केएम00621203 कॉसमॉस टॉवर-62वें, 12वीं मंजिल, सेक्टर 134 पर स्थित, जेपी ग्रीन विश टाउन, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301/ अगस्त 06, 2024	अप्रैल 06, 2024 रु. 33,66,943/-	दिल्ली/ एनसीआर
3.	चंदन कुमार गोस्वामी/ सुदीप्ता लक्ष्मी खौंड/ LBGHZ00001436579	फ्लैट नंबर टी-एसआईई/ 504, 5वीं मंजिल, आम्रपाली ग्रैंड, प्लॉट नंबर जीएच-09 पर स्थित, जेटा 1, ग्रेटर नोएडा- 201304/ अगस्त 06, 2024	अप्रैल 18, 2024 रु. 39,14,792/-	दिल्ली/ एनसीआर/ असम
4.	धीरज कुमार पाठक/ सपना मिश्रा/ LBDEL00005535110	फ्लैट नंबर सी 1-1002, 10वीं मंजिल, टावर-एलिस, फ्लोरा हेरिटेज, प्लॉट नंबर 16 बी पर स्थित, सेक्टर-1 ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201310/ अगस्त 06, 2024	मई 22, 2024 रु. 26,73,920/-	दिल्ली/ एनसीआर/ अलीगढ़
5.	सैयद जीनत/ सैयद शाहनवाज/ LBNOD00004775338/ LBNOD00004789055	फ्लैट नंबर 2801, 28वीं मंजिल, टॉवर एफ-3, पंचशील पिनाकल ग्रीन्स, प्लॉट नंबर जीएच-01ए पर स्थित, सेक्टर 16-बी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201307/ अगस्त 06, 2024	मई 14, 2024 रु. 8,25,723/-	दिल्ली/ एनसीआर/ पटना

उपरोक्त कर्जदार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(यों) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।
दिनांक : अगस्त 09, 2024
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर
भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

संपत्ति हस्तांतरण

कुछ रियायतें

संपत्ति हस्तांतरण टैक्स पर आलोचना के बाद वित्त मंत्री ने भवन स्वामियों को कुछ रियायतें दी हैं। राजग गठबंधन के भीतर से ही सांसदों के व्यापक दबाव व आलोचना के कारण केन्द्र सरकार ने संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाले कर में कुछ राहत देने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर टैक्स की दरें 20 प्रतिशत से घटा कर 12.5 प्रतिशत की गई हैं, पर इन पर कोई 'इंडेक्सेशन लाभ' नहीं मिलेगा। लेकिन सांसदों तथा रियल इस्टेट क्षेत्र में कार्यरत लोगों के काफी विरोध के बाद अब वित्त विधेयक, 2024 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अब करदाता टैक्स की गणना पुरानी योजना में इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 प्रतिशत या नई योजना में बिना इंडेक्सेशन लाभ के 12.5 प्रतिशत के आधार पर कर सकता है। इनमें से जो कम हो वही लागू होगा। इंडेक्सेशन का अर्थ मुद्रास्फीति के आधार पर खरीद मूल्य तय करना है जिसमें कर्ज फंड की तरह निवेशों से लाभ पर कर दायित्व घट जाता है। सरकार ने दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से इंडेक्सेशन लाभ हटा कर कर योग्य लाभ बढ़ा दिया था। इससे दीर्घकालीन निवेशों पर मुद्रास्फीति के कारण कमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस समायोजन से बजट के बाद सरकार के कठोर दृष्टिकोण में काफी रियायत का संकेत मिलता है। मंत्रालय के अधिकारियों का तर्क था कि नई कर व्यवस्था में बिना इंडेक्सेशन लाभ के कम टैक्स दर से सभी मामलों में लोगों को लाभ होगा। लेकिन उद्योग विशेषज्ञों की राय इस बारे में अलग थी। उद्योग संस्थाओं ने इस प्रस्ताव पर पुन: विचार का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि इंडेक्सेशन लाभ हटाने का अर्थ पहले संपत्तियां खरीद चुके लोगों के लिए 'पूर्वगामी टैक्स परिवर्तन' होगा। उनका कहना था कि इससे खासकर उन लोगों को नुकसान होगा जिन्होंने ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश किया है जिनकी पिछले वर्षों में कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। बहुत से लोगों को यह आशंका भी थी कि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से इंडेक्सेशन लाभ को हटाने से मुंबई रियल इस्टेट बाजार में सपंत्तियों का हस्तांतरण धीमा हो जाएगा। इसके कारण पूरे देश के रियल इस्टेट बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही अनेक सांसदों ने सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। वित्त विधेयक पर लोकसभा में बहस के दौरान टीडीपी सांसद लव श्रीकृष्ण देवरायलु ने अन्य सांसदों की चिन्ता का साझा करते हुए जोर दिया था कि इस मुद्दे का संबंध करदाताओं की मेहनत से कमाई संपत्ति से है और इसका सर्वाधिक प्रभाव मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग रियल इस्टेट को सुरक्षित निवेश मानता है और इसलिए उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। वास्तव में उनका कहना सही है। मध्य वर्ग मूल्यवृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी से कष्ट झेल रहा है। ऐसे में यदि उसके छोटे निवेशों और बचत पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। करदाताओं को दो कर व्यवस्थाओं में पसंद का विकल्प देने से उनकी चिन्ता कम होगी और कुछ राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने करदाताओं तथा खासकर मध्य वर्ग के करदाताओं को राहत देने का प्रयास किया है। इससे छोटे और मध्यवर्गीय भवन स्वामियों को काफी राहत मिलेगी। वित्त विधेयक में संशोधन के बाद अब उनको रियल इस्टेट क्षेत्र में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर के मामले में ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का अवसर मिलेगा।

राहुल गांधी की प्रभावशीलता?

विरोधी दल के नए नेता के रूप में राहुल गांधी की प्रभावशीलता का आंकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन उनका शुरुआती प्रदर्शन ठीक लग रहा है।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

विरोधी दल के नए नेता के रूप में राहुल गांधी की प्रभावशीलता का आंकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन उनका शुरुआती प्रदर्शन ठीक लग रहा है। विपक्ष के नए नेता-एलओपी के रूप में राहुल गांधी का मूल्यांकन करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, हालांकि अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि वे अपनी नई भूमिका को देखते हुए परिपक्व हो रहे हैं। संसद का वर्तमान बजट सत्र कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसे में उनके नेतृत्व को समझने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी। लेकिन विपक्षी दल के नेता के रूप में उनकी शुरुआत अच्छी रही है। लोकसभा चुनाव में विजय पाने के बाद राहुल गांधी सदन के भीतर और बाहर मजबूती प्रदर्शित कर रहे हैं।

यह विपक्ष के नेता के रूप में उनके लिए उपयुक्त भी है। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों ने इस दौरान राहुल की परिपक्वता के बारे में सकारात्मक टिप्पणियां की हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दिनों से लेकर आज तक राहुल गांधी की विकास यात्रा की चर्चा की है। अमर्त्य सेन ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि राहुल गांधी पिछले वर्षों में परिपक्व हुए हैं। राहुल गांधी मानते हैं कि उनकी असली परीक्षा संसद में नेता विरोधी दल की भूमिका निभाने पर निर्भर करेगी। 2004 में अपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने के लगभग चौथाई शताब्दी बाद राहुल गांधी पहली बार नेता विरोधी दल बने हैं। उल्लेखनीय है कि लगभग एक दशक तक लोकसभा में कोई नेता विरोधी दल नहीं रहा है क्योंकि विपक्ष के पास पिछले दो लोकसभा चुनावों के बाद इतनी संख्या नहीं थी कि वह नेता विरोधी दल बनाने का दावा पेश कर सके। राहुल गांधी के नेता विरोधी दल-एलओपी बनने के बाद हालिया बजट सत्र उनके पहले प्रदर्शन के रूप में सामने आया है। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस सत्र में उन्होंने अपनी पार्टी और विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ली हैं।

राहुल गांधी अब नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का दृष्टिकोण सामने रखने का प्रयास करते हैं। यह उनके लिए नई भूमिका है। इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है, मोदी सरकार के खिलाफ प्रभावशाली भाषण दिए हैं तथा सदन में अपने प्रयासों को बल देने के लिए सहयोगियों के साथ निकट सहयोग बनाने हेतु प्रयास किए हैं। सदन में 'इंडिया' में शामिल व अन्य सहयोगी दलों के साथ समन्वय के प्रयास उन्होंने किए हैं। उन्होंने हालिया बजट सत्र के दौरान जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान दिया है और वे जनता के विभिन्न समूहों के साथ मेलजोल बढ़ाने व उन तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं।

हालिया बजट सत्र में नेता विरोधी दल के रूप में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी और विपक्ष का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों के अंतर्गत राहुल गांधी ने सहयोगियों के साथ सहयोग करते हुए विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है तथा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रभावशाली भाषण दिए हैं। आम जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राहुल गांधी ने उन तक अपनी पहुंच बढ़ाई है। राहुल गांधी का कार्यालय अब लगभग एक दर्जन प्रमुख लोगों की टीम बन गया है। उनकी इस टीम का नेतृत्व महासचिव के.सी. वेणुगोपाल करते हैं और इसमें सैम पित्रोदा, सुनील कानुगोलू, के. बुजू, बी. श्रीवत्स, मनिकम टैगोर, अलंकार सवाई तथा कौशल विद्यार्थी शामिल हैं। राहुल गांधी की यह टीम उनकी राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव रणनीतियों का प्रबंधन करती है। इसके साथ ही यह टीम लाजिस्टिक व सोशल मीडिया का प्रबंधन भी करती है।

पिछले वर्षों में राजनीतिक क्षेत्र में राहुल के विकास और उनमें आए परिवर्तनों के कारण अब वे ज्यादा विश्वास से भरे नेता के रूप में दिखने लगे हैं। यह अतीत की उस स्थिति से एकदम उलट है जब उनकी छवि एक अनिच्छुक व हिचकने वाले राजनेता की बन गई थी। यह परिवर्तन राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा में दिखने लगा है। अब राहुल गांधी अपनी भूमिकाओं में ज्यादा विश्वास और आक्रामकता प्रदर्शित करते हैं। पिछले दो लोकसभा चुनावों के बाद अब 18वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या बढ़ने के साथ ही विपक्षी सदस्यों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 2024 के आम चुनाव में उनके सहयोगियों की सफलता ने भी राहुल गांधी में विश्वास पैदा किया है और अब वे एकता की शक्ति समझने लगे हैं।

पहली बार विपक्ष के नेता-एलओपी के रूप में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था, 'जहां सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, वहीं विपक्ष के पास भी भारतीय जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। इस बार पिछली बार की तुलना में विपक्ष ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है।' राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करने पर सत्तारूढ़ दल की ओर से तीखी प्रतिक्रियायें सामने आईं। नेता विरोधी दल-एलओपी के रूप में राहुल गांधी के पहले भाषण पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। संभवत: यह पिछले दस साल में मोदी की सबसे तीखी प्रतिक्रियाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे पूरे हिंदू समाज को 'हिंसक' बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि नेता विरोधी दल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।'

राहुल गांधी की आलोचनाओं पर मोदी की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि संसद में माहौल संभवत: बदल गया है और इस कारण तनाव भी बढ़ा है। राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी-'आप' नेता अरविंद केजरीवाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा-जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के निर्णय के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने ऐसे कदमों को भाजपा द्वारा विपक्षी दृष्टिकोणों को कुचलने का प्रयास बताते हुए इनका विरोध किया। कांग्रेस और विरोधी दल के नेता राहुल गांधी के इस दृष्टिकोण के कारण संसद में सत्तारूढ़ दल के लिए तनाव बढ़ गया है। हालिया लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में राहुल गांधी ने रणनीतिक रूप से सार्वजनिक सभाओं में संविधान का एक छोटा लाल रंग का पाकेट बुक संस्करण बार-बार दिखाया। अपने इस कदम से उन्होंने प्रभावी रूप से अपना यह दृष्टिकोण पेश करने का प्रयास किया कि 'संविधान को भाजपा से खतरा है।' उनके द्वारा संविधान की प्रति बार-बार दिखाने से उनको आरक्षण लाभार्थियों का समर्थन पाने में आसानी हुई।

पिछले दो दशक से सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी को अच्छा सांसद नहीं समझा जाता था। उन्होंने केवल 99 सवाल पूछे थे, 26 बहसों में भाग लिया था और वे महत्वपूर्ण अवसरों पर हमेशा उपस्थित भी नहीं रहते थे। 2014 से वे उल्लेखनीय रूप से बजट सत्रों में अनुपस्थित रहे थे या केवल कभी-कभी दिखते थे। वे अक्सर पार्टी को संकट की स्थिति में छोड़ कर विदेश जाते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि नेता विरोधी दल-एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी की भावी सफलता उनके राजनीतिक नियोजन पर निर्भर करेगी।

अतीत में उन्होंने अनेक अवसर खोए हैं। कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दस साल के शासनकाल में वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बन सकते थे और उनको बार-बार ऐसे प्रस्ताव दिए भी गए थे, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए। इसके साथ ही वे पार्टी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को मजबूत कर सकते थे, पर उन्होंने 2019 में पराजय के बाद पार्टी अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन अपनी वर्तमान भूमिका में राहुल गांधी अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं। उनको इस अवसर का लाभ उठाते हुए भावी राजनीतिक चुनौतियों का पूरे विश्वास के साथ सामना करना चाहिए। नेता विरोधी दल-एलओपी के रूप में राहुल संसद में अपनी आवाज मजबूती से सामने रख सकते हैं। इससे जनता में उनके तथा उनकी पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हो सकता है।

जीवन को बदल सकती हैं आध्यात्मिक क्रियाएं

> "कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि जप मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन को उत्तेजित करता है।"

अजीत कुमार बिश्नोई
(लेखक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं)

हम हमेशा भौतिक कार्य करते रहते हैं जैसे खाना, सोना, विहार (मनोरंजन) और हां, काम। हममें से कुछ लोग कुछ आध्यात्मिक अभ्यास भी कर रहे होंगे। ऐसा बेमेल क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि आध्यात्मिक अभ्यास मनुष्य के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। आगे पढ़ें और आप सहमत होंगे।

मैंने इस लेख के लिए दस सामान्य आध्यात्मिक अभ्यास चुने हैं। उन्हें करना आसान है और लगभग हर कोई उन्हें करके लाभ उठा सकता है। प्रार्थना से शुरू करते हैं, इसे करना इतना मुश्किल क्या है? परिवार में कोई बीमार है और परिवार का कोई सदस्य उसके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करता है। छोटे बच्चे भी अपनी मां के बीमार होने पर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तब क्या होता है? भगवान उनकी सुनते हैं, क्योंकि उनकी आंखें और कान हर जगह हैं। (भगवद-गीता 13.13)

भगवान की प्रतिक्रिया क्या है? उन्हें कई कारकों पर विचार करना होगा जैसे कि जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है वह क्या पाने का हकदार है, इसका परिवार के अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन प्रार्थना कर रहा है, आदि। एक प्रतिक्रिया होगी, जो सब कुछ ध्यान में रखते हुए उचित होगी। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान 'बड़ी तस्वीर' जानते हैं, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य भी शामिल है।

भगवान चाहे जो भी तय करें, ईमानदारी से प्रार्थना करने से अहंकार पर लगाम लगती है, जिससे व्यक्ति विनम्र बनता है – दूसरों के साथ ठीक से व्यवहार करने के लिए यह एक आवश्यक गुण है। प्रार्थना करना भगवान की शरण लेने के लिए भी एक अच्छी शुरुआत है – यह सर्वोच्च आध्यात्मिक गतिविधि है। भगवान

के नाम और मंत्रों का जाप सभी धर्मों में काफी आम है। मस्तिष्क पर जप के प्रभावों को देखने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। उन्होंने पाया है कि जप मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन को उत्तेजित करता है। 'ओम' ध्वनि वाले मंत्र विशेष रूप से उपयोगी हैं। भगवान के नाम भी इसी तरह के लाभ लाते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो उन्हें जवाब देना चाहिए। क्या भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार – कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण का जवाब नहीं दिया? भगवान हमें कैसे जवाब देते हैं यह फिर से इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या पाने के लायक हैं और हमारे लिए क्या अच्छा होगा। 'दर्शन' – देवता के रूप में भगवान की 'मूर्ति' या कृष्ण, राम आदि जैसे भगवान के किसी अवतार की तस्वीर देखना बहुत उपयोगी है। यह मेरा प्रिय आध्यात्मिक कार्य है। मैंने अपने बिस्तर के दाहिनी ओर भगवान कृष्ण की एक बड़ी तस्वीर टांग रखी है। मैं बस आराम से बैठकर या लेटकर भगवान के आकर्षक चेहरे को देखता रहता हूँ। भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने को आनंददायी माना है। (9.2) भगवान से बेहतर संगति और क्या हो सकती है? मेरे भगवान मेरे अपने हो गए हैं। और वे मुझे कई तरह से पुरस्कृत करते हैं। मेरे अंदर %आत्मबल% (आंतरिक शक्ति) प्रवाहित होती है। इस शक्ति ने – सभी शक्तियों की जननी – मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया है। मैं इस दुनिया के अपरिहार्य दुखों को भी बेहतर तरीके से सहन करने में सक्षम हूं। ध्यान दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है।

लोग इस आध्यात्मिक अभ्यास के अपार लाभों को देखने लगे हैं। भगवान कृष्ण ने इसकी जोरदार सिफारिश की है। श्लोक स 6.35 में, भगवान कहते हैं, अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। श्लोक स 12.8 में, वे हमें बताते हैं कि हमारा मन कहाँ स्थिर होना चाहिए, यानी केवल उनमें। (12.8) श्लोक स 18.65 में, भगवान हमें अपनी चेतना विकसित करने के लिए कहते हैं। फिर, क्या होगा? हम भगवान में होंगे, अर्थात् उनके अंश बनेंगे। (9.29) क्या इससे बढ़कर कुछ हो सकता है? भगवान के बारे में सुनना भी एक महान कार्य है। भगवान कृष्ण यहाँ तक संकेत करते हैं कि दूसरों से सुनने में समर्पित लोगों को भी बहुत लाभ होगा। (13.25) बहुत से लोग हैं, जो आध्यात्मिक सत्यों से परिचित हैं। सत्संग उन लोगों का मिलन है, जो आध्यात्मिक सत्यों से परिचित हैं। और मेरे भक्तों में से परम ज्ञान (आध्यात्मिक लाभ) के उपदेशक मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं। (18.69) यह भगवान के प्रति सर्वोच्च भक्ति है।

जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, तो भगवान को याद करना और उनका धन्यवाद करना बहुत लाभकारी है; वे हमें ऐसे और अधिक पुरस्कारों के योग्य बनाते हैं। हम ऐसे कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लगभग पूरी तरह से भौतिक कार्यों पर केंद्रित हैं। हम सभी आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं – आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के महान लाभों को देने वाले।

आप की बात

फोगाट का दुर्भाग्य

विनेश फोगाट ने पेरिस ओलिंपिक के फाइनल में पहुंचकर सफलता हासिल की, लेकिन अतिरिक्त वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। यह पूरी तरह सपोर्ट स्टाफ की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। इसकी गहराई से जांच के लिए सभी जिम्मेदार लोगों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। 2016 ओलंपिक में भी विनेश फोगाट को वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। एक ग़लती दो बार दोहराना नासमझी की बात है। उन्हें अपने वजन को लेकर पहले से सतर्क रहना चाहिए था। विजय के एकदम नजदीक जाकर टेक्निकल मिस्टेक के चलते गोल्ड मेडल से वंचित रह जाना 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ गया है। विनेश ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगले ओलंपिक तक उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी। विनेश फोगाट के दुर्भाग्य से सभी खिलाड़ियों के साथ देश के खेल प्रशासकों व मंत्रालय को भी सबक लेना चाहिए। खिलाड़ियों को उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन का मौका देने के सर्वोत्तम अवसर व साधन उपलब्ध कराने के साथ ही उन पर अत्यधिक शारीरिक व मानसिक दबाव डालने से बचना चाहिए। आखिर सभी खिलाड़ी मनुष्य होते हैं और उनसे मशीनों जैसी उम्मीद करना या उनकी जिंदगी को मशीन बना देना किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता है।

–**सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

खुर्शीद का बेतुका बयान

सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वह भारत में भी हो सकता है। एक पूर्व विदेश मंत्री से ऐसे बेतुके बयान की उम्मीद नहीं थी। अच्छा है कि कांग्रेस ने ही उनके बयान से किनारा कर लिया है। पूर्व विदेश मंत्री को देशहित का ध्यान रखते हुए ऐसे अनर्गल, अव्यावहारिक व विरोधाभाषी बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष ने भी ऐसा ही बयान दिया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इनके सुर में सुर मिलाया है। इन बयानों से लगता है कि कांग्रेस तथा विपक्ष के कुछ नेता अंध मोदी-विरोध में देश-विरोध तक पहुंच जाते हैं। उनके ऐसे बयान देश-विरोधी शक्तियों को भड़काने का काम कर सकते हैं। भारत की धर्मनिरपेक्षता, मजबूत लोकतंत्र, मजबूत विपक्ष, स्वतंत्र मीडिया तथा शक्तिशाली व तटस्थ न्यायपालिका देश में बांग्लादेश जैसी स्थितियां नहीं आने देगी। भारतीय सेना के लगातार अ-राजनीतिक रहने का रिकार्ड सबके सामने है। इसके उलट पाकिस्तान व बांग्लादेश में सैनिक विद्रोहों का इतिहास है। भारत सरकार किसी प्रकार के कट्टरपंथियों को बढ़ावा भी नहीं दे रही है। भारत आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में नेताओं को ऐसे बेतुके बयानों से बचना चाहिए।

– **महेश नेनावा**, इंदौर

हिंदू-विरोधी हिंसा

बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत को कड़ा और कठोर रुख अपनाना चाहिए। बांग्लादेश के आंदोलन से वहां के निर्दोष हिन्दुओं और मंदिरों का कोई लेना-देना नहीं था। किसी हिन्दू ने वहां के मामलों में न तो कोई कोई बयान दिया था और न ही आरोप लगाया था। फिर हिंसा का निशाना आखिर हिन्दुओं को क्यों बनाया जा रहा है? भारत के लोगों को भी इस परिघटना पर विचार करना चाहिए। विशेष रूप से हिंदुओं को समझना होगा कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। आखिर किसी भी मुस्लिम-बहुल देश में हिन्दुओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हिन्दुओं की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। भारत में शरण मांगने और भारतीय नागरिकता मांगने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं की सहायता की जानी चाहिए। बांग्लादेश के अलावा अन्य देशों में भी हिंदुओं को बार-बार हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में हिंदू समाज को लंबे समय तक उत्पीड़न का शिकार रहे यहूदी समाज से सबक लेकर स्वयं को सारी दुनिया में समृद्ध बनाने के साथ शक्तिशाली बनाने और अपने दुश्मनों का सफाया करने की रणनीति पर विचार करना चाहिए। हिंदू संगठनों को इस दिशा में सक्रिय होना चाहिए।

– **अंकित सोनी**, मनावर

कोचिंग व्यवसाय

इन दिनों देश भर में छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक के छात्रों के लिए कोचिंग व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। इस कोचिंग व्यवसाय में अधिकांश शिक्षकों के पूर्णत: प्रशिक्षित होने पर संदेह बना रहता है। कोचिंग संस्थानों में छोटे-छोटे कमरों में अधिकाधिक छात्र भरने की प्रवृत्ति रहती है जिससे इनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कोचिंग संस्थानों में आग, पानी या अन्य आपदाओं से सुरक्षा की भी चिन्ता नहीं की जाती है। दिल्ली व अन्य स्थानों पर हम इसके दुष्प्रभाव देख चुके हैं। कोचिंग चलाने वालों का तो सीधे-सीधे व्यवसाय पैसा कमाना है और उनको बच्चों की सुख सुविधाओं का कतई ध्यान नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, आदि की मुख्यधारा शिक्षा व्यवस्था में पूरी व्यवस्था की जाती है तो छात्रों को कोचिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है? वास्तव में कोचिंग प्रणाली हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कलंक है। इसे समाप्त करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ शिक्षकों, शिक्षाविदों और प्रशासकों के बीच समुचित संवाद जरूरी है।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

लोकतांत्रिक रीति से धरना-प्रदर्शन स्वीकार पर अराजकता की छूट नहीं: मुख्यमंत्री

● सीएम योगी ने की क़ानून व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों से कहा अफवाह फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटें

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जोन, मंडल, रेंज व जिला स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों के साथ प्रदेश के कानून-व्यवस्था तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में बाढ़ की वर्तमान स्थिति में आमजन के राहत एवं बचाव कार्यों को बेहतर करने, पर्व त्योहारों के सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजन आदि के संबंध में तैयारियों की गहन समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान संगठन हों अथवा अन्य कोई संगठन, यदि लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहना चाहते हैं, तो उनकी बात जरूर सुनी जाए। उनकी आशा, अपेक्षा और आशंका का यथोचित निराकरण करें। किंतु अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। लोकतांत्रिक संगठनों की आड़ में कतिपय राष्ट्रविरोधी संगठन भी माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। पूर्व में ऐसे अनेक अनुभव हुए हैं, जबकि शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने वालों की आड़ में कुछ अराजकतावादी संगठनों की उपस्थिति रही। इनकी पड़ताल करें और पकड़े जाने पर कठोरतम कार्रवाई करें।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में नागपंचमी, श्रावण सोमवार, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ, रक्षाबंधन, चेहल्लुम और जन्माष्टमी जैसे पर्व-त्योहार हैं, साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न हो रहे हैं। निश्चित रूप से यह समय कानून-व्यवस्था की दृष्टि से यह संवेदनशील समय है। हर जिले की पुलिस और स्थानीय प्रशासन को 24 गुणे 7 अलर्ट रहना होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक 12 जनपदों में 120 प्रतिशत से अधिक वर्षा हुई है, जबकि 27 जिलों में सामान्य वर्षा की स्थिति रही है। 80 से 60 प्रतिशत यानी कम वर्षा वाले 18 जिले हैं और 14 जिलों में 60 से 40 प्रतिशत यानी अत्यधिक कम वर्षा हुई है। जौनपुर, शामली, फतेहपुर तथा जिले ऐसे हैं जहां 40 प्रतिशत से भी कम बरसात दर्ज की गई है। बलिया, सीतापुर, बांदा, बाराबंकी, बिजनौर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में अभी भी बाढ़ की स्थिति है। सभी संबंधित जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राहत एवं बचाव कार्य जारी रखे जाएं।

बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कहीं भी निर्धारित मात्रा से कम, बासी अथवा खराब गुणवत्ता की सामग्री कतई नहीं वितरित नहीं होनी चाहिए। यदि वेंडर द्वारा आपूर्ति में गड़बड़ी की जाती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। कल 9 अगस्त से ऐतिहासिक 'काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष' प्रारंभ हो रहा है। यह पूरा वर्ष आजादी के नायकों का स्मरण करने के लिए होगा। इसी श्रृंखला में, 13 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' का जन अभियान आयोजित होना है। इन तीन दिनों में प्रदेश के हर आवास, हर कार्यालय पर हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया जाना है। 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका दिवस' है और 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व 'स्वाधीनता दिवस' है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यह सभी कार्यक्रम अपने मूल उद्देश्यों में सफल हों, इसके लिए इसमें जनभागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, एनसीसी, एनएसएस को जोड़ें। यह राष्ट्रीय गौरवबोध का अवसर है। हर आयु-वर्ग के लोगों को इनसे जोड़ा जाना चाहिए। महिला सुरक्षा राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

रक्षाबंधन पर बहनों को दिया निशुल्क बस यात्रा का तोहफा

मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर बहनों को निशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं। इस विशेष अवसर पर 18 अगस्त की रात्रि से 19 अगस्त की रात्रि तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में सभी आवश्यक प्रबंध समय से कर लिए जाने चाहिए।

पूरी शुचिता के साथ सकुशल संपन्न हो पुलिस भर्ती परीक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी प्रस्तावित है। यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी शुचिता के साथ सकुशल संपन्न हो, यह सभी की जिम्मेदारी है। इसके दृष्टिगत सभी जिलों को अलर्ट रहना होगा। वरिष्ठ अधिकारीगण अपने क्षेत्र के हर एक परीक्षा केंद्र का सूक्ष्मता का निरीक्षण कर लें। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर से आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उच्च स्तर से दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का आवागमन होगा, आवागमन में असुविधा न हो, इसका प्रबंधन समय से कर लिया जाए। महिला अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।

प्रदेश में शुरू करें युवा उद्यमी विकास अभियान: मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट में सरकार ने 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' का प्रावधान किया था, अब समय आ गया है कि इस पर क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाए। अभियान के संबंध में एमएसएमई विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना स्वरोजगार सृजन के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाने वाली होगी। योजना के बारे में अधिकाधिक युवाओं को अवगत कराया जाए ताकि युवा प्रोत्साहित हों और आत्मनिर्भर होकर अपनी आजीविका कमा सकें। बैठक में प्रमुख सचिव, एमएसएमई ने मुख्यमंत्री को बताया कि अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1,00,000 युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम प्रतिवर्ष स्थापित हो सकेंगे। इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख (एक मिलियन) युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत सामान्य वर्ग के अलावा, ओबीसी, महिला, दिव्यांगजन तथा एससी, एसटी के पुरुष के अलावा महिलाओं को उद्यम स्थापित करने पर अनुदान देने का प्रावधान हो, साथ ही, मार्जिन मनी पर भी सब्सिडी दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों को यथासंभव ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए एक तय अवधि तक ऋण के ब्याज उपादान और सीजीटीएमएसई कवरेज की सुविधा भी दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के सही क्रियान्वयन और सतत मॉनीटरिंग के लिए आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सीएम फेलो की तर्ज पर यहां भी हर जिले में योग्य युवाओं की तैनाती की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तपोषण से पहले युवाओं को विधिवत प्रशिक्षण भी दिलाया जाना चाहिए। नए उद्यमियों को उनके उत्पाद की पैकेजिंग, ब्रांडिंग व मार्केटिंग में भी मदद करें।

मुख्यमंत्री ने नाग पंचमी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाग पंचमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। अपने बधाई सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जीव-जन्तु समेत इस चराचर जगत के साथ आत्मीय सम्बन्ध जोड़ने की समृद्ध एवं प्राचीन परम्परा है। नाग पंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे इस जुड़ाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाग पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से प्रचलित है। हमारे धर्मशास्त्रों में नाग जागृत कुण्डलिनी शक्ति का प्रतीक है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु शेषनाग पर ही शयन करते हैं। शेषनाग छत्र बनकर उन्हें छाया प्रदान करते हैं। ज्ञान और मोक्ष के प्रदाता भगवान शिव के आभूषण ही सर्प एवं नाग हैं। सावन में भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व है। श्रावण मास में नाग पंचमी भगवान शिव संग नागों की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति के प्रतीक नाग पंचमी के पर्व पर हमारे समाज में पारम्परिक रूप से कुश्ती आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनता उत्साह के साथ प्रतिभाग करती है। पर्व एवं त्योहार को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से आयोजित करने की अपील करते हुए सभी प्रदेशवासियों को नाग पंचमी की मंगलमय शुभकामनाएं।

इस बार पूरे प्रदेश में फहराये जायेंगे 4.75 करोड़ रुपए से ज्यादा झंडे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योगी सरकार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से 'हर घर तिरंगा अभियान' का आयोजन कर रही है। सरकार ने पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5 से 10 प्रतिशत अधिक तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2023 में प्रदेश के अंदर जहां 4.5 करोड़ तिरंगा फहराए गए थे तो वहीं इस बार यह लक्ष्य 4.75 करोड़ रखा गया है। इस लक्ष्य के अनुरूप सभी जनपदों को भी लक्ष्य दिया गया है।

वर्ष 2022 एवं 2023 में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक झण्डे फहराए। विगत दोनों वर्षों के अभियानों में प्रत्येक वर्ष 4.5 करोड़ से अधिक झण्डे फहराए गए। प्रदेश के नागरिकों द्वारा सेल्फी अपलोड अभियान में उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए सर्वाधिक सेल्फी अपलोड की गई। इस वर्ष भी उसी उत्साह से आयोजन को मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में 4 करोड़ घरों और 30 लाख प्रतिष्ठानों समेत करीब 4.30 करोड़ स्थानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। कार्यक्रम के तहत आमजनमानस को अपने-अपने घरों, कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों आंगनबाड़ी केन्द्रों, अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों झण्डा फहराने के लिये विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रेरित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तिरंगे के साथ सेल्फी लेने और उसे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न संस्थाओं व संगठनों के सहयोग से झण्डा वितरण कराया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से झण्डों के निर्माण कराया जाएगा। अभियान के दौरान झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए झण्डा विधिवत तरीके से लगाए जाने के लिए लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षित किया जाएगा। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा। 13 से 15 अगस्त, 2024 के उपरांत निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झण्डों को आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जाएगा।

कांग्रेस ने कहा, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया जाना गहरी साजिश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर की न्याय दिलाने की मांग

फाइनल मैच में पहुंच जाने के बाद भी वजन ज्यादा निकलने के कारण अयोग्य घोषित कुश्ती की स्टार खिलाड़ी विनेश फोगाट के मामले में कांग्रेस ने कहा है कि इसके पीछे गहरी साजिश प्रतीत होती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर इस कथित साजिश के खिलाफ उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी, मध्यजोन की अध्यक्ष ममता चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी लखनऊ से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से विनेश फोगाट को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में महिला कांग्रेस मध्यजोन की अध्यक्ष ममता चौधरी, उपाध्यक्ष सुशीला शर्मा, प्रज्ञा सिंह, डॉ. रिचा कौशिक, मेहताब जायसी, ममता सक्सेना सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं।

योगी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर व्यक्त किया शोक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य गोलोक वासी हो गये हैं। मैं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति।

नफरत फैलाने में लगी हैं सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने वाली ताकतें: अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगस्त 1942 की तिथि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक एवं निर्णायक तिथि है। 8 अगस्त 1942 की रात्रि महात्मा गांधी ने अंग्रेजो से भारत की मुक्ति के लिए करो या मरो का मंत्र दिया था। सभी बड़े नेताओं की 9 अगस्त की तड़के सुबह गिरफ्तारी के बाद समाजवादियों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन की कमान सम्हाली थी। अंग्रेजों की तमाम घेराबंदी के बावजूद अरूणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर जनविद्रोह का आगाज कर दिया तो डॉ. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ऊषा मेहता आदि समाजवादियों ने मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को नई गति दी। डॉ. राममनोहर लोहिया ने ऊषा मेहता के साथ भूमिगत रेडियों का संचालन किया। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर उस क्रांति के नई सनसनी फैदा कर दी। इस आंदोलन में हिन्दू-मुसलमान सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ देश में परिवर्तन की नई मंजिलें तय की गईं। जो दलित, वंचित, शोषित थे उन्हें संविधान में समान हक और सम्मान मिला। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रसासों से गरीब-अमीर सभी को एक वोट का समान अधिकार मिला। समाजवाद के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और स्वतंत्र संघर्ष के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया गया। यादव ने कहा कि देश की विविधता और सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने वाली ताकतें आज नफरत फैलाने में लगी हैं।

लोकतंत्र और संविधान को बचाने के प्रति समाजवादी पार्टी की प्रतिबद्धता सर्वविदित है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगस्त क्रांति का सपना देश में किसान, मजदूर और युवाओं का राज स्थापित करना था ताकि सभी को हक और सम्मान का जीवन हासिल हो सके। इस सपने को साकार करने तथा संवैधानिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को बचाने तथा उन्हें पुन: स्थापित करने की जिम्मेदारी आज फिर आम नागरिकों एवं समाजवादियों पर आ गई है। समाजवादी पार्टी 9 अगस्त 1942 की याद में लोकतंत्र, संविधान तथा नागरिक अधिकारों का बचाने का संकल्प दोहराती है।

वक्फ बिल को सदन की स्थायी समिति के पास भेजे केन्द्र: मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बसपा मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर उत्पन्न आशंकाओं और आपत्तियों पर बेहतर विचार के लिये इसे सदन की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा कि केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलअंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति-दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के विपरीत है, अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी है? सरकार राष्ट्धर्म निभाए। बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा कि मन्दिर-मस्जिद, जाति, धर्म व साम्प्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया, किन्तु अब देश में खत्म हो रहे आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केन्द्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय आ गया है। उन्होंने आगे लिखा कि आज संसद में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आयी हैं, उसके मद्देनजर इस विधेयक को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी (स्टैण्डिंग) समिति को भेजना उचित। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी न करे तो बेहतर होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया। विपक्ष ने इसे मुसलमानों के हितों पर हमला बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है।

देश की एकता-अखंडता को कमजोर करने की राजनीति करने वालों से सतर्क रहें: अजय राय

● अगस्त क्रांति के मौके पर कांग्रेस ने काकोरी शहीद स्मारक से निकाली तिरंगा यात्रा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अगस्त क्रांति के अवसर पर बृहस्पतिवार को कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अजय राय के नेतृत्व में काकोरी शहीद स्मारक पर तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर अजय राय ने काकोरी स्थित शहीद स्मारक में शहीद चंद्रशेखर आजाद , शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्ला खां, शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद राजगुरु, और शहीद सुखदेव, के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और शहीद स्मारक पर वृक्षारोपण किया।

अजय राय ने देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व शहीदों को स्मरण कर नमन किया, और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अजय राय के साथ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित रहे। अजय राय ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बोलते हुए कहा कि आज के दिन 8 अगस्त को हुई अगस्त क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसने देश के लोगों के अंदर स्वतंत्रता पाने की भावना को जन जागरण आंदोलन में बदल दिया और गांधी जी के बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में दिए नारे, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो से उपजी स्वतंत्रता पाने की चाहत घर घर पहुंच गई। अजय राय ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की ये महत्वपूर्ण तिथियां हमें हमारे वीर शहीदों का स्मरण कराती हैं और हमें अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराती हैं, क्योंकि चाहे वह समय रहा हो और चाहे यह समय हो हर समय स्वतंत्रता के खिलाफ भी तमाम उस समय के जनसंघ और आरएसएस के लोग खड़े रहे थे जो आज भी अपने जहन में लोगों की स्वतंत्रता छीनने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने अपने नाम अपने भेष बदल दिए लेकिन उनके अंदर का चरित्र वही है। इसलिए हमें सदैव अपनी स्वतंत्रता को लेकर जागरूक रहना होगा।

फैजाबाद बार एसोसिएशन को तीन दिन में टेक ओवर करे एल्डर्स कमेटी: हाईकोर्ट

विधि संवाददाता। लखनऊ

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैजाबाद बार एसोसिएशन के महीनों से चल रहे विवाद अंत करते हुए एल्डर्स कमेटी का गठन कर दिया है। पीठ ने उसे तीन दिन में बार एसोसिएशन का कार्यभार टेक ओवर करने का आदेश दिया है। पीठ ने इसके साथ ही फैजाबाद बार एसोसिएशन द्वारा आए दिन हड़ताल का आह्वान करने पर भी सख्त रुख अपनाया है। आदेश दिया है कि न तो नव गठित एल्डर्स कमेटी और न ही चुनाव बाद निर्वाचित कार्यकारिणी वकीलों के हड़ताल का प्रस्ताव पारित करेगी। पीठ ने कहा है कि ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक अवमानना का मामला चलाया जा सकता है। जस्टिस राजन रॉय एवं जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की पीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार सिंह व अन्य तथा फैजाबाद बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। दरअसल पिछले वर्ष हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैजाबाद बार एसोसिएशन का चुनाव काफी विलम्ब से छह नवंबर 2023 को सम्पन्न हो पाया था। चुनाव के पूर्व ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि तत्कालीन कार्यकारिणी का कार्यकाल दिसम्बर 2023 तक ही होगा। हालांकि छह नवंबर 2023 को निर्वाचित कार्यकारिणी ने बाद में इससे असहमति जताई। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह जब पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका था कि दिसंबर 2023 तक ही कार्यकारिणी का कार्यकाल होगा, ऐसे में दिसंबर के आगे अपने पास कार्यभार रोके रहने का कार्यकारिणी के पास कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी पाया कि नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच 134 कार्य दिवस में से 66 कार्य दिवस पर फैजाबाद कचहरी में वकीलों की हड़ताल रही है। पीठ ने इसे निराशाजनक स्थित करार देते हुए हड़ताल के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही की बात कही है।

काकोरी शौर्यगाथा पर आधारित 12 बोगी वाली ट्रेन करेगी विभिन्न जिलों का भ्रमण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

स्कूली बच्चों व युवाओं को बताएगी काकोरी की शौर्यगाथा

काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर योगी सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर वर्तमान और भावी पीढ़ी को काकोरी व स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्यगाथा के जरिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए स्कूली बच्चों, किशोर-युवाओं की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं,रेलवे के सहयोग से काकोरी शौर्यगाथा एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है। इस ट्रेन के माध्यम से प्रदेशवासियों को काकोरी ट्रेन घटना से परिचित कराया जाएगा। यह ट्रेन आगामी दो माह तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेगी और लोगों को इस घटना के विषय में जानकारी देगी।

काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ का शुभारंभ 9 अगस्त से होगा। शताब्दी महोत्सव पूरे प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के साथ वर्ष पर्यंत मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में काकोरी ट्रेन एक्शन सेंटेनरी फेसिटवल को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने काकोरी ट्रेन एक्शन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना बताते हुए निर्देश दिया था कि रेलवे के सहयोग से प्रदेश में एक ट्रेन 'काकोरी शौर्यगाथा एक्सप्रेस' संचालित की जाए, जो लोगों तक काकोरी शौर्यगाथा पहुंचाएगी। काकोरी शौर्यगाथा पर आधारित 12 बोगी वाली ट्रेन आगामी दो माह तक विभिन्न जनपदों और नगरों का भ्रमण करेगी। इसमें काकोरी शौर्यगाथा पर आधारित सचल प्रदर्शनी होगी। काकोरी शौर्यगाथा एक्सप्रेस का प्रत्येक जनपद में दो दिन तक पड़ाव रहेगा। इस दौरान स्कूली बच्चों को ट्रेन में सचल प्रदर्शनी दिखाई जाएगी और इस दौरान अन्य सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता एवं जीवन गाथा पर आधारित गतिविधियां सम्मिलित होंगी। ट्रेन में काकोरी ट्रेन एक्शन के अभिलेखों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यही नहीं, काकोरी गाथा का एआर/वीआर के माध्यम से 3डी मॉडल भी प्रदर्शित होगा। ट्रेन के अंदर और बाहर भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा नुक्कड नाटक का भी मंचन होगा। काकोरी शौर्यगाथा एक्सप्रेस का आजादी से जुड़े प्रदेश के विभिन्न नगरों के साथ-साथ देश के प्रमुख नगरों में ठहराव होगा। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ का शुभारंभ 9 अगस्त यानी शुक्रवार से होगा। इस दिन शताब्दी वर्ष पर विशेष डाक के साथ ही मोटरसाइकिल रैली, 6 दिवसीय स्मरणोत्सव मेला, वीरों व शहीदों के परिजनों का सम्मान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की अभिलेख प्रदर्शनी और शहीद स्मारकों, अमृत सरोवरों एवं अमृत वाटिकाओं में 100-100 पौधों का रोपण किया जाएगा। 9 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ संपूर्ण प्रदेश में जनभागीदारी एवं उत्साह के साथ किया जाएगा।

अगस्त क्रांति पर आज व कल प्रदेश में सक्रिय रहेगा सपा के युवा संगठनों का अभियान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 9 अगस्त 2024 (अगस्त क्रांति दिवस) से 10 सितम्बर 2024 तक समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों का अभियान प्रदेश में सक्रिय रहेगा। इसमें सदस्यता अभियान, छात्र, नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके साथ मुख्य मुद्दे- पेपर लीक, समान कोर्स, फीस वृद्धि, रोजगार, आरक्षण, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, आरक्षण में पारदर्शिता, मुफ्त पढ़ाई, रोस्टर प्रणाली, डिजिटल डिवाइड, पुस्तकालयों का निर्माण, नए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का निर्माण भी इस अभियान के अंतर्गत होंगे। समाजवादी पार्टी के सभी युवा संगठनों, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा के डॉ. इमरान, समाजवादी युवजन सभा के मोहम्मद फहद, समाजवादी लोहिया वाहिनी के अभिषेक यादव, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के सिद्धार्थ सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा के विनीत कुशवाहा, समाजवादी युवजन सभा के अरविन्द गिरि, समाजवादी लोहिया वाहिनी के डॉ. रामकरन निर्मल, एवं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के अनीस राजा को विभिन्न जिलों में बंटकर 9 अगस्त से 10 सितम्बर 2024 तक अभियान चलाने का दायित्व सौंपा गया है। कार्यक्रम के अनुसार 9 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक सदस्यता अभियान, 2 सितम्बर 2024 से पीडीए वृक्षारोपण, पर्चा वितरण, 3 सितम्बर 2024 से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में शिविर लगाकर सम्पर्क तथा पर्चा वितरण, 4 सितम्बर 2024 को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं से सुझाव लेना, संकल्प पत्र भरना, 5 सितम्बर 2024 को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की समस्याओं की सुनवाई, 7 सितम्बर को वर्तमान राजनीति में छात्र छात्राओं एवं युवाओं की भूमिका तथा 10 सितम्बर 2024 को मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान किया जाना है।

सभी शासकीय भवनों पर फहरया जाये तिरंगा: डीएम

- ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में साफ सफाई का चलाया जाये विशेष अभियानः डीएम
- सभी कार्यालाध्यक्ष अपने कार्यालयों में अभियान चलाकर करायें साफ सफाई
- हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त को सभी भवनों पर लगाएं तिरंगा, आमजन को भी अभियान से जोड़ा जायें: डीएम
- स्वतन्त्रता दिवस पर आयोजित किये जायें विभिन्न सांस्कृतिक/ देशभक्ति से सम्बन्धित कार्यक्रमः डीएम

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में स्वतन्त्रता दिवस समारोह आयोजन की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आगामी 15 अगस्त को जनपद में होने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में साफसफाई के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलायें, सभी शासकीय भवनों पर निर्धारित समय पर ध्वजारोहण, तिरंगा लाइटिंग की जाये। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों, नगर निकायों में साफ सफाई करायें जाने तथा जनपद के शहीद स्मारकों, महापुरूषों की प्रतिमाओं के आस.पास साफ सफाई, प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता दिवस पर तिरंगा यात्राऐं, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़, वृक्षारोपण आदि का आयोजन किया जाये। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक होने वाले कार्यक्रमोंए हर घर तिरंगा अभियान व स्वतन्त्रता दिवस के सम्बन्ध में सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग को विद्यालयों में देश भक्ति पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, निबन्ध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, प्रभातफेरी आदि आयोजित करने के निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन. अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, डीएफ्ओ एके द्विवेदी, परियोजना निदेशक वीरेन्द्र कुमार, डीडीएजी रामबचन राम, कृषि अधिकारी डा0 उमेश गुप्ता, जीएम डीआईसी मो0 सउद, डीएसओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी व सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

गाय पर फिर मगरमच्छ का हमला

कायमगंज फर्रुखाबाद। क्षेत्र में मगरमच्छ के होने से ग्रामीण खासे चिन्तित हो रहे हैं । बताया गया कि एक सप्ताह पूर्व एक गौवंश को निगलने के बाद आज फिर सोता नाला में पानी पीने गयी गाय पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। मौके पर पहुँचे ग्रामीणों ने पानी में लाठियां मारकर तेज आवाज तथा बचाव की आहट जैसी तरकीब से गौवंश को बचाया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग से मांग की है। क्षेत्र के गांव बिहारीपुर निवासी रामकिशन पुजारी और गांव मधवापुर निवासी ओमपाल सिंह गांव के ही सोता नाला के पास मवेशी चरा रहे थे। रामनरेश पुजारी की गाय सोता नाला में पानी पीने चली गयी। वहां मौजूद मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया। लेकिन ग्रामीणों के पानी में लाठिया मारने तथा बचाव की आहट जैसी तरकीब अपनाने के बाद वह गाय को छोड़ कर गहरे पानी मे चला गया। मगरमच्छ एक सप्ताह पूर्व बिहारीपुर निवासी सुनील यादव की गाय को भी निगल गया था। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम भी उसे बिना पकड़े ही खाली हाथ वापस लौट आयी ।

पात्र लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्म योजना का दिलाये लाभः डीएम

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में पीएम विश्वकर्म योजना हेतु गठित जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में आयोजित हुई। योजनांतर्गत प्राप्त प्रकरणों के निराकरण के लिए उपायुक्त उद्योग को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए गये। डीएम ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्थिति की जानकारी लेते हुए प्राथमिकता के साथ अग्रसारित कराये जाने के निर्देश दिये।

पुलिस ने लड़की के सुसाइड के आरोपी को किया गिरफ्तार

सुसाईड के आरोपी का खुलासा करते एसपी।

कन्नौज। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी नगर कमलेश कुमार के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्रांतर्गत एक लड़की के सुसाइड की घटना में प्रकाश में आए अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है।

गुरूवार को पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनन्द नें घअना का खुलासा करते हुये बताया कि विगत 25 जुलाई को सुबह 06 बजे सन्तोषी पत्नी सतीश निवासी ग्राम कछपुर्वा थाना कन्नौज ने थाने पर सूचना दी कि उसकी पुत्री ने गांव के बाहर नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर तत्काल थाना कन्नौज पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका दिनांक 24 जुलाई की सुबह 07 बजे अपने घर से मॉडल स्कूल जसोदा गई थी। देर शाम तक घर वापस नहीं आई, के संबंध में सन्तोषी ने प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मृतिक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम के बाद विधि पूर्वक मृतका के शरीर को परिवार को सुपुर्द किया गया था तथा परिजनों द्वारा मृतिका का अंतिम संस्कार किया गया था विवेचना के क्रम में मृतका व राजू के मोबाइल का सीडीआर अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका करीब 05 माह से राजू पुत्र पृथ्वीराज निवासी कछपुर्वा से बात करती थी तथा दिनांक 24 जुलाई को सुबह 04 बजे मृतिका घर से नाराज होकर कन्नौज से चलकर दिल्ली गयी। वहां पर राजू उपरोक्त से मिली तो मृतिका ने शादी के लिए कहा तो राजू ने मना कर दिया। विवेचना के क्रम में 24 जुलाई को मृतका का राजू के साथ दिल्ली में होने की पुष्टि होना व राजू उपरोक्त द्वारा शादी से मना करना तथा आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करना, तथ्य प्रकाश में आया। उक्त अभियोग में धारा 108 बीएनएस की बढोतरी की गयी, 07 अगस्त को अभियुक्त राजू पुत्र पृथ्वीराज निवासी कछपुर्वा को गोवर्धनी तिराहा जलालपुर पनवारा से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

सीडीओ ने की फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के संबंध में बैठक

संवाददाता। कानपुर देहात

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी नागप्पन की अध्यक्षता में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक विकास भवन सभागार कक्ष में संपन्न हुई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 ए के सिंह ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान 10 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को एल्बेंडाजोलए डिईसी की टेबलेट उम्र के अनुसार खिलाई जाएगी। सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्ययोजना के अनुरूप घर.घर जाकर लोगों को दवा का सेवन करवाया जाए । उन्होंने कहा कि अभियान की नियमित निगरानी की जाये।

उन्होंने कहा कि अभियान में लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व नगरी क्षेत्र में केंद्र बनाकर लोगों को दवाओं का सेवन कराया जाएए साथ ही लोगों को दवा लेने हेतु प्रेरित भी किया जाए।

इस कार्य में वॉलिंटियरए स्वयं सहायता समूहए युवक मंगल दलए महिला मंगल दलए एनसीसी कैडेट्स का भी सहयोग लिया जाए। बैठक में डिप्टी सीएम डॉक्टर सुखलाल वर्माए उपनिदेशक कृषि रामबचन रामए मलेरिया अधिकारी मारुति दीक्षित तथा संबंधित चिकित्सक आदि उपस्थित रहे।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः प्रेस एरिया, लिंक हाउस, 3 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया शाखा, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री मनोज कुमार थापा** को मांग सूचना दिनांक 03.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **41,44,491.03 (रु. इकतालीस लाख चौवालीस हजार चार सौ इक्यान्वे और पैसे तीन मात्र)** (दिनांक 03-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 03-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **41,44,491.03 (रु. इकतालीस लाख चौवालीस हजार चार सौ इक्यान्वे और पैसे तीन मात्र)** (दिनांक 03-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 03-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. डी-1805, 18वां तल, ब्लॉक डी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट-5बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, यू.पी.-201301
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः प्रेस एरिया, लिंक हाउस, 3 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया शाखा, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री दीपक छेत्री** को मांग सूचना दिनांक 03.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **41,77,753.13 (रु. इकतालीस लाख सतहत्तर हजार सात सौ तिरेप्पन और पैसे तेरह मात्र)** (दिनांक 03-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 03-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **41,77,753.13 (रु. इकतालीस लाख सतहत्तर हजार सात सौ तिरेप्पन और पैसे तेरह मात्र)** (दिनांक 03-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 03-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. डी-0206, द्वितीय तल, ब्लॉक डी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट-5बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, यू.पी.-201308
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः प्रेस एरिया, लिंक हाउस, 3 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया शाखा, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री दीपक छेत्री** को मांग सूचना दिनांक 03.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **41,78,121.13 (रु. इकतालीस लाख अट्ठहत्तर हजार एक सौ इक्कीस और पैसे तेरह मात्र)** (दिनांक 03-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 03-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **41,78,121.13 (रु. इकतालीस लाख अट्ठहत्तर हजार एक सौ इक्कीस और पैसे तेरह मात्र)** (दिनांक 03-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 03-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. डी-0205, द्वितीय तल, ब्लॉक डी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट - 5बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, यू.पी.-201308
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
कश्मीरी गेट शाखा, दिल्ली–110006
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कश्मीरी गेट शाखा, दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री अरविन्द कुमार** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **38,60,106.40 (रु. अडतीस लाख साठ हजार एक सौ छह और पैसे चालीस मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **38,60,106.40 (रु. अडतीस लाख साठ हजार एक सौ छह और पैसे चालीस मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. सी-1501, 15वीं मंजिल, ब्लॉक सी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी.
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः गोकुलपुरी, दिल्ली–110094
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गोकुलपुरी शाखा दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री शशि भूषण** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **48,21,012.83 (रु. अडतालीस लाख इक्कीस हजार बारह और पैसे तिरासी मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **48,21,012.83 (रु. अडतालीस लाख इक्कीस हजार बारह और पैसे तिरासी मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. डी-1506, 15वीं मंजिल, ब्लॉक डी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी.-201306
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
ग्रेटर नोएडा शाखा, परी चौक, तुगलपुर गांव, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रेटर नोएडा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री श्रवण प्रसाद** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **35,88,652.33 (रु. पैंतीस लाख अट्ठासी हजार छह सौ बावन और पैसे तैंतीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **35,88,652.33 (रु. पैंतीस लाख अट्ठासी हजार छह सौ बावन और पैसे तैंतीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. सी-2008, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर-16, नोएडा एक्सटेंशन, KBNOWS अपार्टमेंट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट - 201306
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री अखिल अरोड़ा** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **41,06,664.71 (रु. इकतालीस लाख छह हजार छह सौ चौसठ और पैसे इकहत्तर मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **41,06,664.71 (रु. इकतालीस लाख छह हजार छह सौ चौसठ और पैसे इकहत्तर मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. ए-1601, ब्लॉक ए, 16वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी. - 201306
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री आदित्य राय** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **43,77,578.27 (रु. तैंतालीस लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ अट्ठहत्तर और पैसे सत्ताईस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **43,77,578.27 (रु. तैंतालीस लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ अट्ठहत्तर और पैसे सत्ताईस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. सी-1301, ब्लॉक सी, 13वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी. - 201306
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री आदित्य राय** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **43,66,339.30 (रु. तैंतालीस लाख छियासठ हजार तीन सौ उनतालीस और पैसे तीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **43,66,339.30 (रु. तैंतालीस लाख छियासठ हजार तीन सौ उनतालीस और पैसे तीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. सी-1302, ब्लॉक सी, 13वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी. - 201306
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री इंद्रनील नाग** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **46,79,357.56 (रु. छियालीस लाख उनासी हजार तीन सौ सत्तावन और पैसे छप्पन मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **46,79,357.56 (रु. छियालीस लाख उनासी हजार तीन सौ सत्तावन और पैसे छप्पन मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. ए-2003, ब्लॉक ए, 20वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी. - 201306
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री इंद्रनील नाग** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **45,50,292.93 (रु. पैंतालीस लाख पचास हजार दो सौ बान्वे और पैसे तिरान्वे मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **45,50,292.93 (रु. पैंतालीस लाख पचास हजार दो सौ बान्वे और पैसे तिरान्वे मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. ए-2004, ब्लॉक ए, 20वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी. - 201306
दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

कर्ज के ऊपर कर्ज में वृद्धि का रुझान सिर्फ कुछ बैंकों तक सीमित : शक्तिकान्त दास

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्ज के ऊपर लिए जाने वाले कर्ज (टॉप-अप) में बढ़ोतरी का रुझान व्यवस्थागत मसला न होकर कुछ बैंकों तक ही सीमित है। दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद संवाददाताओं से कहा, टॉप-अप कर्ज में नियामकीय प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के साथ आरबीआई द्विपक्षीय स्तर पर निपटेगा और यह कोई व्यवस्थागत समस्या नहीं है। टॉप-अप कर्ज खुदरा कर्ज के साथ आवास ऋण के ऊपर लिया जाने वाला कर्ज है।

दास ने इससे पहले दिन में कहा था कि आवास इक्विटी कर्ज या टॉप-अप ऋण में उच्च वृद्धि हुई है, जिसमें ऋणदाता स्वर्ण ऋण और आवास ऋण जैसे अन्य गारंटी वाले कर्ज पर टॉप-अप ऋण की पेशकश कर रहे हैं। दास ने कहा कि ऋण-से-मूल्य (एलटीवी)

अनुपात, जोखिम भार और निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी से संबंधित नियामकीय निर्देशों का कुछ संस्थाओं द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। गवर्नर ने कहा, यह प्रणालीगत समस्या नहीं है। कुछ संस्थाओं में हमने यह समस्या देखी है। हम पर्यवेक्षण स्तर पर द्विपक्षीय रूप से उनसे निपटेंगे, लेकिन कोई प्रणालीगत समस्या नहीं है।

चूंकि आरबीआई ने इस प्रवृत्ति को देखा, इसलिए उसने बैंकों को यह संदेश देकर इस मुद्दे को उठाने के बारे में सोचा कि वे धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करके तथा विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करके इस समस्या का प्रबंधन करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस तरह की प्रक्रियाओं के कारण कर्ज राशि का उपयोग गैर-उत्पादक क्षेत्रों में या सट्टेबाजी के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। बैंकों और एनबीएफसी को ऐसी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात, जोखिम भार और टॉप-अप के संबंध में धन के अंतिम उपयोग की निगरानी से संबंधित नियामकीय निर्देशों का पालन करना चाहिए।

पिछले सप्ताह कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों में भुगतान सेवाओं में आए व्यवधान के बारे में दास ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने किसी भी संभावित प्रणालीगत समस्या को रोकने के लिए आगे के लेनदेन को रोकने का निर्णय लिया है। भारतीय स्टेट बैंक और प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस के संयुक्त उद्यम सी-एज का नाम लिए बिना डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि तीसरे पक्ष की प्रणालियां प्रभावित हुई हैं और चूंकि जोखिम अन्य प्रणालियों तक पहुंचने की संभावना थी, इसलिए, सक्रिय उपाय के रूप में उन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। दास ने कहा कि ऋण और जमा वृद्धि के बीच अंतर से परिसंपत्ति देयता में असंतुलन या तरलता प्रबंधन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग प्रणाली को संरचनात्मक तरलता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नर ने बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने विशाल शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर नवोन्मेषक उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से जमा जुटाएं। मुद्रास्फीति के बारे में दास ने कहा कि इसमें कमी आ रही है।

ईडी ने राजद परिवार के करीबी सहयोगी की 113 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

नई दिल्ली। हरियाणा के गुरुग्राम में 70 एकड़ जमीन और फ्लैट, मुंबई में कुछ मकान, दिल्ली में एक फार्महाउस और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल और उसकी रियल्टी कंपनियों की लगभग 113 करोड़ रुपए की सावधि जमा को धनशोधन निरोधक कानून के तहत कुर्क कर लिया गया है। ईडी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अमित कात्याल, क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लि. के मामले में 113.03 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के लिए छह अगस्त को धनशोधन निवारण अधि. (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था। कात्याल को पिछले साल रेलवे के कथित नौकरी के लिए जमीन घोटाले से संबंधित एक अलग धनशोधन मामले में केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।

यूपीआई के जरिए कर भुगतान की सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की घोषणा

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई के जरिए कर भुगतान की सीमा बढ़ाने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार को शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। वर्तमान में, यूपीआई के लिए कर भुगतान की सीमा एक लाख रुपए है। दास ने कहा कि विभिन्न उपयोग-मामलों के आधार पर, रिजर्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी बाजार, आईपीओ अभिदान, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है।

दास ने कहा, चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित तथा उच्च मूल्य के हैं। इसलिए यूपीआई के जरिए कर भुगतान की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। आरबीआई के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोगकर्ता आधार 42.4 करोड़ हो गया है। हालांकि, उपयोगकर्ता आधार के और विस्तार की संभावना है। यूपीआई में डेलिगेटेड पेमेंट्स शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

दास ने कहा कि डेलिगेटेड पेमेंट्स से एक व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते पर किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमति मिलेगी। इससे देशभर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस संबंध में भी विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने अनधिकृत कंपनियों की जांच के लिए डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के सार्वजनिक तौर पर आंकड़े तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। दास ने कहा कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, ब्याज दरों तथा वसूली प्रक्रियाओं, गलत बिक्री आदि पर चिंताओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश दो सितंबर, 2022 को जारी किए गए थे। हालांकि, मीडिया की खबरों में डिजिटल ऋण देने में बेईमान कंपनियों की मौजूदगी को उजागर किया है जो आरबीआई (आरई) से संबद्ध होने का झूठा दावा करती हैं।

अब कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा आपका चेक

भाषा। नई दिल्ली

चेक का निपटान (क्लियरिंग) अब कुछ ही घंटों में हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चेक समशोधन में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने और उससे जुड़े जोखिम कम करने के मकसद से कदम उठाने की घोषणा की है। वर्तमान में चेक जमा करने से लेकर राशि आने तक दो दिन का समय लग जाता है। लेकिन नई व्यवस्था में चेक जमा करने के कुछ ही घंटों में यह क्लियर हो जाएगा।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बृहस्पतिवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा, चेक समाशोधन को दुरुस्त करने, निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इसके तहत मौजूदा सीटीएस व्यवस्था के तहत बैच में प्रसंस्करण की जगह कारोबारी समय में निरंतर आधार पर समाशोधन की व्यवस्था की जाएगी।

आरबीआई के अनुसार, नई व्यवस्था में चेक को स्कैन किया जाएगा, उसे प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ घंटों में समाशोधन किया जाएगा। इससे चेक का समाशोधन कुछ घंटे में हो जाएगा जबकि अभी दो दिन तक का समय (टी प्लस 1) लगता है। दास ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जल्दी ही जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, आरबीआई ने बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों के बारे में क्रेडिट सूचना कंपनियों को दी जाने वाली रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में महीने में एक बार यह रिपोर्ट दी जाती है।

संसद स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती नहीं कर सकती

भाषा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी (माल एवं सेवा कर) में कटौती नहीं कर सकती और इस संबंध में कोई फैसला जीएसटी परिषद द्वारा ही लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले राज्यों ने बीमा प्रीमियम पर कर लगाया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने उच्च सदन में वित्त विधेयक, 2024 पर हुई चर्चा का जवाब देते यह टिप्पणी की। चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती करने की मांग की थी।

वित्त मंत्री ने कहा कि संसद जीएसटी दरें तय करने का मंच नहीं है। इस मामले को जीएसटी परिषद में ले जाना जाना होगा, जिसमें राज्यों का दो-तिहाई प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि आम तौर पर जीएसटी परिषद अपने फैसले सर्वसम्मति से करती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से मिलने वाली राशि का करीब 71 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को ही मिलता है। उन्होंने एलटीसीजी (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ) कर में संशोधन किए जाने का भी जिक्र किया। इसके तहत 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री पर

इंडेक्सेशन यानी मुद्रास्फीति के प्रभाव का लाभ बहाल कर दिया गया है।

अब जिन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) ने 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदा है, वे नई योजना के तहत एलटीसीजी कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इंडेक्सेशन के बिना उन्हें 12.5 प्रतिशत और इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 प्रतिशत कर का भुगतान करने की जरूरत होगी। वे उस विकल्प को चुन सकते हैं, जिसमें कर की दर कम हो।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्तावों का उद्देश्य मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के अलावा निवेश को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास सहित अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजटीय प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में किसी भी क्षेत्र से समझौता किए बिना कल्याणकारी कार्यों के वित्त पोषण, राजकोषीय खर्च और पूंजीगत व्यय में संतुलन कायम किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2021 में राजकोषीय घाटे को कम करने का जो लक्ष्य रखा है, इस बजट में उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में विकास की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक आवंटन करने के साथ साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी पूरा किया है। उनके जवाब के बाद उच्च सदन ने वित्त विधेयक 2024-25 तथा जम्मू कश्मीर से जुड़े विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा ने बुधवार को 45 सरकारी संशोधनों के साथ ध्वनिमत से वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 को पारित किया था। राज्यसभा में आज इस पर चर्चा की गई। संविधान के अनुसार उच्च सदन को किसी धन विधेयक को खारिज करने का अधिकार नहीं है और वह ऐसे विधेयक केवल लौटा सकता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया था।

रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को उम्मीद के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार नौवीं बार नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आरबीआई ने कहा कि खाने के सामान की ऊंची महंगाई को नरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसके अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव को रोकने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति की मंगलवार को शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुद्रास्फीति पर सतर्क रुख बरकरार रखते हुए रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा है। एमपीसी के छह सदस्यों में से चार ने नीतिगत दर को यथावत रखने के पक्ष में मतदान किया। मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से उदार रुख को वापस लेने का रुख कायम रखा है।

एमपीसी में आरबीआई के तीन और तीन बाहरी सदस्य हैं। सदस्यों में से डॉ. शशांक भिड़े, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा और शक्तिकांत दास ने नीतिगत दर को यथावत रखने के पक्ष में मतदान किया जबकि डॉ. आशिमा गोयल और प्रो. जयंत आर. वर्मा ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती का समर्थन किया। मुख्य रूप से खाद्य महंगाई बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति जून में 5.08 प्रतिशत रही है। दास ने कहा, खाद्य मुद्रास्फीति लगातार ऊंची बनी हुई है। ...मूल्य स्थिरता के बिना उच्च वृद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में मौद्रिक नीति महंगाई को नीचे लाने वाली बनी रहेगी।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यदि ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति अस्थाई होती तो एमपीसी उस पर गौर कर सकती थी। लेकिन लगातार खाने के सामान की ऊंची महंगाई के बीच एमपीसी ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। उन्होंने कहा, खाद्य मुद्रास्फीति के दूसरे क्षेत्र पर पड़ने वाले असर को रोकने और मौद्रिक नीति के जरिए अबतक प्राप्त लाभ को बनाए रखने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। एमपीसी ने बीते वर्ष फरवरी में नीतिगत दर में संशोधन किया था और इसे बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था।

आरबीआई ने रेपो दर को ऐसे समय यथावत रखा है जब विकसित देशों में कई केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दर में बदलाव किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जहां पिछले सप्ताह ब्याज दर में कमी की वहीं बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर को बढ़ाकर 2008 के बाद से उच्चस्तर पर किया है। साथ ही अमेरिका में रोजगार के कमजोर आंकड़ों के साथ मंदी की आशंका बढ़ी है। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ब्याज दर में कटौती का दबाव बढ़ा है। केंद्रीय बैंक ने 2024-25 के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर के अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 4.5 प्रतिशत के अनुमान को भी कायम रखा है।

कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा कि वृद्धि मजबूत बनी रहने के साथ एमपीसी के पास अब भी मुद्रास्फीति में स्थाई आधार पर कमी के संकेत तक नीतिगत रुख पर कायम रहने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि दिसंबर से नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश होगी। इसके साथ अक्टूबर में नीति के रुख में बदलाव की संभावना हो सकती। रुख में बदलाव और नीतिगत दर में कटौती की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि घरेलू मुद्रास्फीति और वैश्विक परिवेश की स्थिति कैसी रहती है। डीबीएस बैंक की कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा, जल्दी खराब होने वाले सामान के दाम के दबाव और शुल्क समायोजन के बीच एमपीसी ने मुद्रास्फीति को लेकर अपना सतर्क रुख बरकरार रखा है... घरेलू मांग की स्थिति को देखते हुए महंगाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे में हमारा मानना है कि नीतिगत दर इस साल स्थिर ही रहेगी। गवर्नर ने इस बात पर चिंता जताई कि खुदरा ग्राहकों के लिए निवेश के वैकल्पिक माध्यम अधिक आकर्षक हो रहे हैं। इससे बैंकों में जमा में वृद्धि कर्ज के मुकाबले कम है। उन्होंने वैकल्पिक माध्यमों के बारे में स्पष्ट नहीं किया। लेकिन उनका आशय निवेशकों के शेयर बाजार की तरफ आकर्षित होने से है।

राजस्थान से भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा का निधन

जयपुर। राजस्थान में उदयपुर की सलूम्बर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अमृत लाल मीणा का बृहस्पतिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मीणा का अंतिम संस्कार सेमारी तहसील के लालपुरिया गांव में किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रियों- हेमंत मीणा, बाबूलाल खराडी एवं गौतम दक ने दिवंगत मीणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीणा 65 वर्ष के थे। सीने में दर्द होने के बाद मीणा को उदयपुर के एमबी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। मीणा 2013 से तीन बार विधायक रहे थे। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ,पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।

भारत में अस्थिरता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं : राष्ट्र सेविका समिति

नई दिल्ली। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख शांता कुमारी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में भारत में लोगों के बीच भ्रम और अस्थिरता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने हिंदू समाज से ऐसे किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क और एकजुट रहने का आह्वान किया। राष्ट्र सेविका समिति एक महिला संगठन है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा ही संगठन है। कुमारी ने एक वीडियो बयान में दावा किया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की निर्वाचित सरकार को गिराए जाने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा, वहां हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, लड़कियों को अगवा किया जा रहा है...ए सभी कृत्य अस्वीकार्य हैं। राष्ट्र सेविका समिति इसकी निंदा करती है।

कुमारी ने दावा किया कि भारत में भी बांग्लादेश के हालात की पृष्ठभूमि में युवाओं के मन में भ्रम और अस्थिरता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हिंदू समाज को एकजुट और सतर्क रहते हुए ऐसी भारत विरोधी ताकतों से मुकाबला करना आवश्यक है। मैं समस्त हिंदू समाज और राष्ट्र सेविका समिति की स्वयंसेवकों से अपील करती हूं कि वे एकजुट रहते हुए इस समस्या से निपटने का प्रयास करें। बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन के सत्ता के खिलाफ आंदोलन का रूप लेने के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मध्य जुलाई से शुरू हुए प्रदर्शनों और हाल के दिनों में हिंसा में 560 लोगों की मौत हुई है। कई हिंदू मंदिरों, मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़, महिलाओं पर हमले तथा हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी से जुड़े कम से कम दो हिंदू नेताओं की हत्या की खबरें आई हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से कूटनीतिक तरीके से निपटेगा केंद्र : हिमंत विश्व शर्मा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों से संबंधित मामले का राजनयिक माध्यमों से समाधान निकाल लेगी। आश्वासन दिया कि भारत सरकार धैर्य और सावधानी के साथ स्थिति का प्रबंधन कर रही है, हालांकि उसका ध्यान सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरी तरह से सील की जा चुकी भारत-बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी बनाए रखने पर है। मुख्यमंत्री ने यहां एक कार्यक्रम से इतर कहा, भारत सरकार बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मिलकर राजनीतिक और राजनयिक माध्यमों से स्थिति से निपटेगी। हमें इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहने और धैर्य व सहनशीलता बनाए रखने के लिए कहा गया है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उस देश में हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठा रहे हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध, हिंदू महासभा ने सौंपा ज्ञापन

भाषा। मेरठ

उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा का विरोध किया और कहा कि संकटग्रस्त देश में सताए गए समुदाय के लोगों को तुरंत भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। यहां बड़ी संख्या में लोग कंकरखेड़ा बाईपास फ्लाईओवर के नीचे एकत्र हुए और उन्होंने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का पुतला भी जलाया। सचिन सिरोही नामक एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी सनातनी हिंदुओं को तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिकता दी जाए। बांग्लादेश के जो सनातनी हिंदू भारत में रहना चाहते हैं, उन्हें यहां लाया जाना चाहिए। नहीं तो वहीं पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस बीच, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संबोधित इस ज्ञापन में बांग्लादेश में जारी संकट को रोकने और वहां हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार से हस्तक्षेप की अपील की गई। बांग्लादेश में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हिंसा फैलने के दौरान वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। हसीना के जाने के बाद सैकड़ों लोगों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। बांग्लादेश में पिछले एक पखवाड़े में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक हिंसा में हिंदू समुदाय, मंदिर और प्रतिष्ठान भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

पेज 1 का शेष

वक्फ....

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक में सारी ताकत जिला अधिकारी को देने की बात कही गई है और सबको पता है कि एक जगह एक जिलाधिकारी ने क्या किया था। यादव ने दावा किया कि भाजपा अपने हताश निराश कट्टर समर्थकों के लिए यह विधेयक ला रही है।

हॉकी टीम..

सेमीफाइनल में नीदरलैंड से चार गोल से एकतरफा पराजय का सामना करने वाली स्पेनिश टीम ने आक्रामक शुरुआत की और पहले क्वार्टर में भारत को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं बनाने दिया। भारत के पास छठे मिनट में खाता खोलने का मौका था जब हार्दिक सिंह ने सर्कल पर से डी के भीतर सुखजीत सिंह को पास दिया लेकिन वह सही निशाना नहीं साध सके। स्पेन के लिए 10वें मिनट में मोस मारिया बास्टेरा के शॉट का हरमनप्रीत ने बचाव किया। पहले क्वार्टर तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर में स्पेन को 18वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिस पर मिरालेस ने आसानी से गोल कर दिया। स्पेन को दो मिनट बाद पेनल्टी कॉर्नर भी मिला लेकिन रोहिदास ने जबर्दस्त बचाव किया। रोहिदास ने खास तौर पर डिफेंस में बेहतरीन प्रदर्शन किया जिनकी कमी जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके प्रतिबंधित होने के कारण खली थी। स्पेन की टीम 25वें मिनट में एक और गोल करने के करीब पहुंची जब गेरार्ड क्लापेस ने सुमित से गेंद छीनी और श्रीजेश के ठीक सामने उन्हें चकमा देकर गोल के भीतर डालने की कोशिश की और भारतीय टीम भाग्यशाली रही कि उनका निशाना ठीक नहीं लगा। स्पेन को दो मिनट बाद मिला पेनल्टी कॉर्नर भी बचा लिया गया। भारत को मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर 28वें मिनट में मिला लेकिन रोहिदास गोल नहीं कर सके। हाफटाइम से कुछ सेकंड पहले मिले पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके हरमनप्रीत ने भारत को बराबरी दिलाई। ब्रेक के बाद भारतीय टीम आक्रामक तेवरों के साथ उतरी और तीसरे ही मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को तब्दील करके हरमनप्रीत ने 2-1 से बढ़त दिला दी। हरमनप्रीत का यह टूर्नामेंट में 11वां गोल था। दो मिनट बाद जवाबी हमले में स्पेन को मिले पीसी पर मिरालेस गोल नहीं कर सके। वहीं भारत को 37वें और स्पेन को 40वें मिनट में मिला पेनल्टी कॉर्नर बेकार गया। आखिरी पंद्रह मिनट में सुखजीत ने फिर एक मौका गंवाया जबकि स्पेन को 59वें मिनट में दो और फिर आखिरी मिनट में मिले दो और पेनल्टी कॉर्नर बेकार गए।

दुखी....

ओलंपिक फाइनल से खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए।

हरियाणा..

शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया है।किसी भी कारण से वह ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन वह हम सभी के लिए चैंपियन है। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, ईनाम और सुविधाएं देती है वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हरियाणा सरकार फोगाट को 4 करोड़ रुपए देगी। इसके अलावा, सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। इसी दौरान पंजाब के जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने विनेश फौगाट को 25 लाख रुपये देने का ऐलान किया है।

पश्चिम बंगाल...

के बावजूद, भट्टाचार्य बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भट्टाचार्य के निधन पर शोक जताया और कहा कि वह एक ऐसे राजनीतिक दिग्गज थे जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा की।

मो. युनुस..

अमीरात की उड़ान से स्वदेश लौटे। सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां, वरिष्ठ अधिकारियों, छात्र नेताओं और नागरिक संस्थाओं के सदस्यों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।

एलजी ने...

हस्ताक्षर और समीक्षा प्राधिकारी, चेतन भूषण सांघी के हस्ताक्षर जाली बनाए। विशेष रूप से इन अवधियों के दौरान, राय अंडमान और निकोबार प्रशासन में डीएम के रूप में तैनात थे। इसके अलावा दिल्ली में अपने स्थानांतरण के बाद राय को निदेशक (शिक्षा) के रूप में तैनात किया गया और उन्हें केजरीवाल का करीबी विश्वासपात्र माना जाता था। 31. 08.2020 से 31.03.2021 की अवधि के लिए क्रमिक एपीएआर में राय ने अपने रिपोर्टिंग प्राधिकारी, एच राजेश प्रसाद, तत्कालीन प्रमुख सचिव (शिक्षा), जीएनसीटीडी के हस्ताक्षर और समीक्षा प्राधिकारी, विजय कुमार देव के हस्ताक्षर जाली बनाए। जांच के दौरान, यह पता चला कि राय ने तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए जानबूझ कर अपना एपीएआर ऑनलाइन नहीं, बल्कि स्पैरो पोर्टल के माध्यम से मैन्युअल रूप से भरा था। हालाँकि, पूछताछ के दौरान अनिंदो मजूमदार और विजय कुमार देव नामक दो अधिकारियों ने राय के एपीएआर की समीक्षा करने से इनकार किया और पुष्टि की कि उनके एपीएआर पर हस्ताक्षर जाली थे।

ट्रैफिक...

चालान जारी किए जाते हैं, को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया था। मुख्य कारण यह है कि दिल्ली की सड़कों पर मिश्रित यातायात होता है, जिसमें निजी वाहन, बसें, ट्रक, तिपहिया वाहन, दोपहिया वाहन, पशु-चालित गाड़ियां और पैदल यात्री शामिल हैं। इससे यातायात प्रबंधन में समस्याएँ पैदा होती हैं और यातायात की आवाजाही में देरी होती है। एलजी ने ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर कर्मियों की संवेदनशीलता और उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने यातायात पुलिस से वाणिज्यिक वाहनों में ओवरलोडिंग और यात्री बसों में भीड़भाड़ रोकने के लिए परिवहन विभाग के साथ संयुक्त टीमें गठित करने का भी आग्रह किया। अधिकारी ने कहा, इससे उल्लंघनकर्ताओं को चालान के बारे में समय पर जानकारी मिलेगी और उन्हें कहीं भी और कभी भी चालान का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। इससे चालान से वसूली की दर भी बढ़ेगी।उन्होंने एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से यातायात उल्लंघन और परिणामी चालान जारी करने और मानव इंटरफ़ेस के बिना वसूली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एआई-आधारित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे की स्थापना का भी निर्देश दिया। सक्सेना ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के लिए और दोनों विभागों द्वारा काम की नकल से बचने के लिए इस परियोजना में यातायात पुलिस की आवश्यकताओं को एकीकृत करने का भी आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से यातायात को कम करने के लिए आईएसबीटी कश्मीरी गेट को स्थानांतरित करने की योजना प्रस्तुत करने को भी कहा। कश्मीरी गेट पर आईएसबीटी को महाराणा प्रताप आईएसबीटी के नाम से जाना जाता है, जिसे 1976 में खोला गया था। यह 1993 तक राष्ट्रीय राजधानी में एकमात्र आईएसबीटी के रूप में कार्य करता था, जब इसे परिवहन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद सराय काले खान में दो नए आईएसबीटी बनाए गए थे।

सौर रेडियो...

ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे, जो उनकी यात्रा और आराम करने की जगहों पर मूल्यवान आंकड़ें प्रदान करेंगे। जिन कॉलर को खरीदने की योजना बनाई गई है, उन्हें टिकाऊ और जलरोधक होना चाहिए, जिसमें जीपीएस लॉगिंग अंतराल 1 सेकंड से 48 घंटे तक हो और उच्च-आवृत्ति सेंसर (50 हर्ट्ज तक) हो जो त्वरण, चुंबकत्व, तापमान और प्रकाश की तीव्रता को माप सकें। वैज्ञानिक ने ऐसी तकनीकों की विशेषताओं के बारे में बताया कि ऐसे उपकरणों में नेटवर्क कनेक्शन की अनुपस्थिति में भी डेटा संग्रहण बनाए रखा जाता है, और ये उपकरण जीपीएस और जीएसएम शेड्यूल, रात के समय जीपीएस हाइबरनेशन और ऑनलाइन कंट्रोल पैनल के माध्यम से जियोफ़ेंस सेटिंग्स के लिए रिमोट कंट्रोल प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल, हम नहीं जानते कि ये पक्षी कौन से सटीक मार्ग अपनाते हैं... इस अध्ययन से हम उनके प्रमुख पड़ावों के साथ-साथ उनके व्यवहार का भी पता लगा पाएंगे। एंसर परिवार का हिस्सा बार-हेडेड गीज़ अपने अनोखे और आकर्षक पंखों से पहचाना जाता है। उनके सिर और गर्दन पर प्रमुख काली धारियों और चमकीले नारंगी-पीले रंग की चोंच और पैरों के साथ सफ़ेद और भूरे रंग के पंखों का एक विशिष्ट संयोजन होता है।

विपक्षी सदस्यों के अमर्यादित आचरण से दुखी धनखड़ कार्यवाही के बीच आसन छोड़कर चले गए

नई दिल्ली। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विपक्ष के कुछ सदस्यों के अमर्यादित आचरण से दुखी होकर सभापति जगदीप धनखड़ यह कहते हुए आसन छोड़कर चले गए कि वह कुछ समय के लिए सदन में बैठने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। इस घटनाक्रम से धनखड़ और विपक्षी दलों के बीच असहज संबंध एक बार फिर सामने आ गए। सुबह उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सूचीबद्ध दस्तावेज सदन में पेश किए जाने के तुरंत बाद विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की और जानना चाहा कि इसके पीछे कौन है। हालांकि, धनखड़ ने खरगे को यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन कुछ मुद्दे उठाने के लिए खड़े हुए लेकिन सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी।सभापति ने विनेश के मामले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे सदस्यों की बात को अनसुनी कर दिया तो सदन में शोरगुल और तेज हो गया। विपक्षी सदस्यों की ओर से फोगाट के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी गई।

हंगामे के बीच डेरेक ओब्रायन कुछ कह रहे थे। सभापति ने डेरेक का नाम लेकर कहा कि वह आसन पर चिल्ला रहे हैं।

केंद्र बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जिहादियों को भारत में घुसने से रोके: विहिप

भोपाल। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बृहस्पतिवार को केंद्र से हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शरणार्थियों की आड़ में जिहादियों को वहां से भारत में घुसने से रोकने की अपील की। बृहस्पतिवार को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं में कम से कम 232 लोग मारे गए हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री हर्ष गोयल** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **36,88,341.39 (रु. छत्तीस लाख अट्ठासी हजार तीन सौ इकतालीस और पैसे उनतालीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **36,88,341.39 (रु. छत्तीस लाख अट्ठासी हजार तीन सौ इकतालीस और पैसे उनतालीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. ए-2008, ब्लॉक डी, 20वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी. - 201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री विकास सूद** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **33,40,120.40 (रु. तैंतीस लाख चालीस हजार एक सौ बीस और पैसे चालीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **33,40,120.40 (रु. तैंतीस लाख चालीस हजार एक सौ बीस और पैसे चालीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. ए-2008, ब्लॉक ए, 20वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट यू.पी.- 201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री विजय बर्मन** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **48,45,181.49 (रु. अडतालीस लाख पैंतालीस हजार एक सौ इक्यासी और पैसे उनचास मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **48,45,181.49 (रु. अडतालीस लाख पैंतालीस हजार एक सौ इक्यासी और पैसे उनचास मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. ए-2007, ब्लॉक ए, 20वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी.- 201306, क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री मोहम्मद इलियास** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **34,24,979.35 (रु. चौंतीस लाख चौबीस हजार नौ सौ उनासी और पैसे पैंतीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **34,24,979.35 (रु. चौंतीस लाख चौबीस हजार नौ सौ उनासी और पैसे पैंतीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. डी-1904, ब्लॉक डी, 19वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी.- 201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री विवेक सक्सेना** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **31,57,143.68 (रु. इकतीस लाख सत्तावन हजार एक सौ तैतालीस और पैसे अडसठ मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **31,57,143.68 (रु. इकतीस लाख सत्तावन हजार एक सौ तैतालीस और पैसे अडसठ मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. डी-1903, ब्लॉक डी, 19वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी.-201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **34,49,075.54 (रु. चौंतीस लाख उनचास हजार पिचहत्तर और पैसे चौवन मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **34,49,075.54 (रु. चौंतीस लाख उनचास हजार पिचहत्तर और पैसे चौवन मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. डी-2005, ब्लॉक डी, 20वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी.-201306, क्षेत्रफल 1450 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री नवीन गुलाटी** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **41,44,422.44 (रु. इकतालीस लाख चौवालीस हजार चार सौ बाईस और पैसे चौवालीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **41,44,422.44 (रु. इकतालीस लाख चौवालीस हजार चार सौ बाईस और पैसे चौवालीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. डी-1605, ब्लॉक डी, 16वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी.-201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री तरूण कुमार त्यागी** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **47,18,179.78 (रु. सैंतालीस लाख अट्ठारह हजार एक सौ उनासी और पैसे अठ्ठहत्तर मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **47,18,179.78 (रु. सैंतालीस लाख अट्ठारह हजार एक सौ उनासी और पैसे अठ्ठहत्तर मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. डी-2001, ब्लॉक डी, 20वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी. - 201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री राहुल भट्ट** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **48,37,052.09 (रु. अडतालीस लाख सैंतीस हजार बावन और पैसे नौ मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **48,37,052.09 (रु. अडतालीस लाख सैंतीस हजार बावन और पैसे नौ मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-1807, ब्लॉक बी, 18वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी.-201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री राहुल भट्ट** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **48,87,985.92 (रु. अडतालीस लाख सत्तासी हजार नौ सौ पिचासी और पैसे बान्वे मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **48,87,985.92 (रु. अडतालीस लाख सत्तासी हजार नौ सौ पिचासी और पैसे बान्वे मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-1808, ब्लॉक बी, 18वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी.-201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री भगत सिंह** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **42,92,360.25 (रु. ब्यालीस लाख बान्वे हजार तीन सौ साठ और पैसे पच्चीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **42,92,360.25 (रु. ब्यालीस लाख बान्वे हजार तीन सौ साठ और पैसे पच्चीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-1608, ब्लॉक बी, 16वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट 201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री हेम सिंह** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **38,93,667.23 (रु. अडतीस लाख तिरान्वे हजार छह सौ सडसठ और पैसे तेईस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **38,93,667.23 (रु. अडतीस लाख तिरान्वे हजार छह सौ सडसठ और पैसे तेईस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-2002, ब्लॉक बी, 20वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-05/बी सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट 201306

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री हेम सिंह** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **29,24,234.09 (रु. उनतीस लाख चौबीस हजार दो सौ चौंतीस और पैसे नौ मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **29,24,234.09 (रु. उनतीस लाख चौबीस हजार दो सौ चौंतीस और पैसे नौ मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-2003, ब्लॉक बी, 20वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-5बी सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट 201306, क्षेत्रफल 1450 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री शाह नवाज** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **41,48,021.06 (रु. इकतालीस लाख अडतालीस हजार इक्कीस और पैसे छह मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **41,48,021.06 (रु. इकतालीस लाख अडतालीस हजार इक्कीस और पैसे छह मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-1302, ब्लॉक बी, 13वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-05/बी सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट 201306, क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री शाहिद अनवर और सह-उधारकर्ता श्रीमती हुस्नआरा** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **48,00,377.11 (रु. अडतालीस लाख तीन सौ सतहत्तर और पैसे ग्यारह मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **48,00,377.11 (रु. अडतालीस लाख तीन सौ सतहत्तर और पैसे ग्यारह मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-1907, ब्लॉक बी, 19वीं मंजिल, ग्रुप हाउसिंग, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-05/बी सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट 201306, क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाहदरा शाखा, रेलवे रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाहदरा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र जय प्रकाश शर्मा** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **43,06,034.10 (रु. तैतालीस लाख छह हजार चौंतीस और पैसे दस मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **43,06,034.10 (रु. तैतालीस लाख छह हजार चौंतीस और पैसे दस मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल आस्तियां - फ्लैट नं. डी-2007, 20वीं मंजिल, ब्लॉक डी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

मुर्मू, न्यूजीलैंड के पीएम ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई

भाषा। वेलिंगटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बृहस्पतिवार को खासतौर से शिक्षा, व्यापार और संस्कृति में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत बुधवार को न्यूजीलैंड पहुंचीं। यहां पहुंचने पर उन्हें शाही सलामी गारद दिया गया। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी को बढ़ावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ चर्चा की। दोनों पक्षों ने खासतौर से शिक्षा, व्यापार और संस्कृति में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले, मुर्मू ने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो और उपप्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स से मुलाकात कर मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों एवं विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

शांतिपूर्ण तरीके से हो भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे का समाधान : संरा प्रमुख के प्रवक्ता

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत शांतिपूर्ण तरीकों से और मानवाधिकारों का पूर्ण सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते का जिक्र किया जिसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया गया है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः गोकुलपुरी, दिल्ली–110094

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गोकुलपुरी शाखा दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री शरत तलवार** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **48,32,571.92 (रु. अडतालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ इकहत्तर और पैसे बान्वे मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **48,32,571.92 (रु. अडतालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ इकहत्तर और पैसे बान्वे मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-1607, 16वीं मंजिल, ब्लॉक बी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः अर्थला, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अर्थला शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **नूपुर चौरसिया पुत्री श्री अनुज कुमार** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **33,93,639.48 (रु. तैतीस लाख तिरान्वे हजार छह सौ उनतालीस और पैसे अडतालीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **33,93,639.48 (रु. तैतीस लाख तिरान्वे हजार छह सौ उनतालीस और पैसे अडतालीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-2004, 20वीं मंजिल, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच5बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर-201306

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः अर्थला, गाजियाबाद, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अर्थला शाखा गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **आकाश कुमार नायक पुत्र श्री हेमन्त कुमार नायक** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **48,38,763.65 (रु. अडतालीस लाख अडतीस हजार सात सौ तिरेसठ और पैसे पैंसठ मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **48,38,763.65 (रु. अडतालीस लाख अडतीस हजार सात सौ तिरेसठ और पैसे पैंसठ मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-1902, 19वीं मंजिल, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच5बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर-201306

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाहदरा शाखा, रेलवे रोड, शाहदरा, दिल्ली–110032

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाहदरा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री गौरव जैन** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **43,86,042.71 (रु. तैतालीस लाख छियासी हजार ब्यालीस और पैसे इकहत्तर मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **43,86,042.71 (रु. तैतालीस लाख छियासी हजार ब्यालीस और पैसे इकहत्तर मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. सी-2001, 20वीं मंजिल, ब्लॉक सी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाहदरा शाखा, रेलवे रोड, शाहदरा, दिल्ली–110032

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाहदरा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री जगदीश प्रसाद शर्मा** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **40,88,977.07 (रु. चालीस लाख अट्ठासी हजार नौ सौ सतहत्तर और पैसे सात मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **40,88,977.07 (रु. चालीस लाख अट्ठासी हजार नौ सौ सतहत्तर और पैसे सात मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. सी-2002, 20वीं मंजिल, ब्लॉक सी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः सेक्टर – 24, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सैक्टर-24, नोएडा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री कृष्णेंदु कर** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **32,34,711.00 (रु. बत्तीस लाख चौंतीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **32,34,711.00 (रु. बत्तीस लाख चौंतीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. डी-2003, 20वीं मंजिल, ब्लॉक डी, "KBNOWS अपार्टमेंट" प्लॉट नं. 5बी, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201207 में स्थित चौहद्दीः

पूरब में - बालकनी और खुला — पश्चिम में - प्रवेश द्वार
उत्तर में - फ्लैट नं. डी-2002 — दक्षिण में - फ्लैट नं. डी-2004

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाहदरा शाखा, रेलवे रोड, शाहदरा, दिल्ली–110032

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाहदरा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्रीमती रूबी झां** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **41,34,913.54 (रु. इकतालीस लाख चौंतीस हजार नौ सौ तेरह और पैसे चौवन मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **41,34,913.54 (रु. इकतालीस लाख चौंतीस हजार नौ सौ तेरह और पैसे चौवन मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. सी-1207, 12वीं मंजिल, ब्लॉक सी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाहदरा शाखा, रेलवे रोड, शाहदरा, दिल्ली–110032

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाहदरा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्रीमती रूबी झां** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **40,87,592.03 (रु. चालीस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ बान्वे और पैसे तीन मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **40,87,592.03 (रु. चालीस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ बान्वे और पैसे तीन मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. सी-1508, 15वीं मंजिल, ब्लॉक सी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः पटेल नगर, गाजियाबाद, यू.पी.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर, गाजियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **मोह. इमरान अंसारी** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **48,25,012.60 (रु. अडतालीस लाख पच्चीस हजार बारह और पैसे साठ मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **48,25,012.60 (रु. अडतालीस लाख पच्चीस हजार बारह और पैसे साठ मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. सी-1902, 19वीं मंजिल, ब्लॉक सी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. -201306

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः गोकुलपुरी, दिल्ली–110094

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गोकुलपुरी शाखा दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री अर्पित मोदी** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **43,29,675.35 (रु. तैतालीस लाख उनतीस हजार छह सौ पिचहत्तर और पैसे पैंतीस मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **43,29,675.35 रु. तैतालीस लाख उनतीस हजार छह सौ पिचहत्तर और पैसे पैंतीस मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-2008, 20वीं मंजिल, ब्लॉक बी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः गोकुलपुरी, दिल्ली–110094

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गोकुलपुरी शाखा दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री अर्पित मोदी** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **43,09,641.87 (रु. तैतालीस लाख नौ हजार छह सौ इकतालीस और पैसे सत्तासी मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **43,09,641.87 (रु. तैतालीस लाख नौ हजार छह सौ इकतालीस और पैसे सत्तासी मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-2006, 20वीं मंजिल, ब्लॉक बी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्दिरापुरम शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री कुनाल बंसल** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 40,41,742.11 (रु. चालीस लाख इकतालीस हजार सात सौ ब्यालीस और पैसे ग्यारह मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि **रु. 40,41,742.11 (रु. चालीस लाख इकतालीस हजार सात सौ ब्यालीस और पैसे ग्यारह मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. ए-1802, 18वीं मंजिल, ब्लॉक ए, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कश्मीरी गेट शाखा, दिल्ली–110006

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कश्मीरी गेट शाखा, दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता श्रीमती सुजाता वर्मा** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **38,65,093.40 (रु. अडतीस लाख पैंसठ हजार तिरान्वे और पैसे चालीस मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **38,65,093.40 (रु. अडतीस लाख पैंसठ हजार तिरान्वे और पैसे चालीस मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. सी-0601, 06वीं मंजिल, ब्लॉक सी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच- 05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी. क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाहदरा शाखा, रेलवे रोड, शाहदरा, दिल्ली–110032

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाहदरा शाखा दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी** को मांग सूचना दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **43,98,027.11 (रु. तैतालीस लाख अट्ठान्वे हजार सत्ताईस और पैसे ग्यारह मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **43,98,027.11 (रु. तैतालीस लाख अट्ठान्वे हजार सत्ताईस और पैसे ग्यारह मात्र)** (दिनांक 06-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व) और दिनांक 06-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. बी-2005, 20वीं मंजिल, ब्लॉक बी, KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट नं. जीएच-05/बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), यू.पी., क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ग्रेटर नोएडा शाखा, परी चौक, तुगलपुर गांव, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रेटर नोएडा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता श्रीमती नेहा सिंह पत्नी दिनेश सिंह** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **36,24,165.06 (रु. छत्तीस लाख चौबीस हजार एक सौ पैंसठ और पैसे छह मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व), और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **36,24,165.06 (रु. छत्तीस लाख चौबीस हजार एक सौ पैंसठ और पैसे छह मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व), और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सी-1505, प्लॉट नं. जीएच-5बी, सेक्टर-16, नोएडा एक्सटेंशन, KBNOWS अपार्टमेंट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट - 201009

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ग्रेटर नोएडा शाखा, परी चौक, तुगलपुर गांव, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रेटर नोएडा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **श्री नीरज कुमार** को मांग सूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **36,85,569.39 (रु. छत्तीस लाख पिचासी हजार पाँच सौ उनहत्तर और पैसे उनतलीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व), और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का सम्पूर्ण प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **03.08.2024** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **36,85,569.39 (रु. छत्तीस लाख पिचासी हजार पाँच सौ उनहत्तर और पैसे उनतलीस मात्र)** (दिनांक 07-05-2024 तक देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व), और दिनांक 07-05-2024 से ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

बी-1803, 18वीं मंजिल, ब्लॉक-बी KBNOWS अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 5बी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), ग्रेटर नोएडा-201009 क्षेत्रफल 1940 वर्ग फीट

दिनांक : 03.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः ग्रेटर नोएडा — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

हर अग्निपरीक्षा में संकटमोचक साबित हुए श्रीजेश

भाषा। पेरिस

बोर्ड के इम्तिहान में ग्रेस अंक पाने के लिए, खेलों में उतरने से लेकर भारतीय हॉकी की दीवार बनने तक पराट्टू रवींद्रन श्रीजेश का सफर उपलब्धियों से भरपूर रहा और हर बड़ी चुनौती में संकटमोचक बनकर उभरे इस नायाब खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद अपने कंधे पर बिठाकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह की टीम ने आज विदाई दी। 36 वर्ष के श्रीजेश ने ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को मिले 13वें और लगातार दूसरे पदक के साथ अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। तोक्यो ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ प्लेआफ मुकाबले में निर्णायक पेनल्टी बचाकर 41 साल बाद भारत को ओलंपिक पदक दिलाना हो या पेरिस में ओलंपिक खेलों में आस्ट्रेलिया पर 52 साल बाद मिली जीत हो या ब्रिटेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में भारत को मिली जीत हो, हर जुबां पर एक ही नाम था पी आर श्रीजेश। आठ मई 1988 को केरल के अर्नाकुलम जिले के किझाक्कम्बलम गांव में जन्मे श्रीजेश ने पहले भाषा से बातचीत में बताया था कि वह बोर्ड की परीक्षा में ग्रेस अंक लेने के लिए एथलेटिक्स में उतरे थे और बाद में उनके स्कूल के कोच ने उन्हें हॉकी गोलकीपर बनने की सलाह दी हालांकि केरल में उस समय एथलेटिक्स और फुटबॉल की ही लोकप्रियता थी। लेकिन कोच की वह सलाह श्रीजेश और भारतीय हॉकी के लिए वरदान साबित हुई। उन्होंने कहा था , मेरा सफर सपने जैसा रहा है। बोर्ड परीक्षा में ग्रेस अंक लेने के लिए खेलना शुरू किया तो कभी सोचा नहीं था कि भारत की जर्सी पहनूंगा और ओलंपिक खेलूंगा। चौथा ओलंपिक सपना ही लगता है। अब तक धनराज पिल्लै ने ही चार ओलंपिक, चार विश्व कप, चैम्पियंस ट्रॉफी और एशियाई खेलों में भाग लिया। चार ओलंपिक खेलने वाला मैं पहला गोलकीपर हूं , विश्वास नहीं होता। कोलंबो में 2006 में दक्षिण एशियाई खेलों के जरिए भारत की सीनियर टीम में पदार्पण करने वाले श्रीजेश 2011 तक एड्रियन डिसूजा और भरत छेत्री जैसे सीनियर गोलकीपरों के रहते टीम में स्थाई जगह नहीं पा सके। वह 2011 से टीम के अभिन्न अंग बने और 2014 एशियाई खेल फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ दो पेनल्टी स्ट्रोक बचाकर स्टार बने। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और ओलंपिक, विश्व कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल , प्रो लीग सभी टूर्नामेंटों में उनका जलवा रहा। खेल रत्न, पद्मश्री , विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीट, एफआईएच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी , 336 अंतरराष्ट्रीय मैच उनकी उपलब्धियों की गवाही खुद ब खुद देते हैं। यही वजह है कि धनराज पिल्लै उन्हें मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, मोहम्मद शाहीद जैसे महानतम खिलाड़ियों की सूची में रखते हैं तो दिलीप तिर्की उन्हें भारतीय गोलकीपिंग का भगवान कहते हैं। मनप्रीत सिंह जैसे अनुभवी मिडफील्डर अपनी परेशानियां उनसे साझा करते हैं तो राजकुमार पाल या अभिषेक जैसे युवा खिलाड़ियों को वे दबाव झेलने का हौसला देते हैं। कप्तान हरमनप्रीत सिंह उनकी उपस्थिति में अपना बोझ हलका महसूस करते हैं तो करोड़ों भारतीय हॉकी प्रेमियों को आखिरी पल तक उम्मीद रहती है कि श्रीजेश है तो गोल नहीं होने देगा। रजनीकांत के फैन श्रीजेश भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के ऐसे थाला (बड़े भाई) रहे जिन्होंने गलती होने पर डांटा और अच्छा खेलने पर पीठ भी थपथपाई।

श्रीजेश ने संन्यास पर पुनर्विचार से इनकार किया

पेरिस। भारत के महान गोलकीपरों में शुमार पी आर श्रीजेश ने लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास के अपने फैसले को बदलने की संभावना से इनकार करते हुए कहा , यह विदा लेने का सही समय है। श्रीजेश ने स्पेन को कांस्य पदक के मुकाबले में 2 -1 से हराने के बाद कहा , मुझे लगता है कि ओलंपिक खेलों से विदा लेने का यह सही तरीका है, एक पदक के साथ। हम खाली हाथ घर नहीं जा रहे जो बड़ी बात है। उन्होंने मैच के बाद कहा , मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं लेकिन कुछ फैसले कठिन होते हैं। सही समय पर फैसला लेने से हालात खूबसूरत हो जाते हैं। इसलिए मेरा फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा , टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और इस मैच को इतना यादगार बना दिया। तोक्यो में 41 साल बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे श्रीजेश ने कहा , तोक्यो में मिले पदक की मेरे दिल में खास जगह है। इससे हमें आत्मविश्वास मिला कि हम ओलंपिक में पदक जीत सकते हैं।

मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह जज्बाती पल है : नवीन

नई दिल्ली। भारतीय हॉकी को फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पेरिस ओलंपिक में टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद कहा कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और उनके लिए यह व्यक्तिगत तौर पर बेहद जज्बाती पल है। पटनायक ने एक्स पर लिखा , ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई। इतने दशक बाद यह हुआ। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के ऐतिहासिक पदक से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। उन्होंने लिखा , मेरे लिए यह व्यक्तिगत तौर पर जज्बाती पल है। उम्मीद है कि इससे भारतीय हॉकी का गौरव लौटेगा और टीम देश के लिए और उपलब्धियां अर्जित करेगी।

ओलंपिक पदक तालिका

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
अमेरिका	27	35	33	95
चीन	27	25	17	69
ऑस्ट्रेलिया	18	14	11	43
फ्रांस	13	17	21	51
ब्रिटेन	12	17	20	49
कोरिया	12	08	07	27
जापान	12	07	13	32
इटली	10	11	09	30
नीदरलैंड	10	05	06	21
जर्मनी	09	06	05	20
भारत	00	00	04	04

दीक्षा

विनेश आप हारी नहीं, आपको हराया गया है : बजरंग

● संन्यास लेने पर दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने के फैसले पर पूरे खेल समुदाय ने उनका समर्थन किया। इस 29 वर्षीय खिलाड़ी को बुधवार को महिलाओं के 50 किग्रा वर्ग के फाइनल से पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था। उन्होंने एक्स पर संन्यास की घोषणा की। तोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि विनेश हारी नहीं बल्कि उनको हराया गया है। बजरंग ने पोस्ट किया, विनेश आप हारी नहीं (आपको) हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहोगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। रियो 2016 में कांस्य पदक जीत कर ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि विनेश के साथ जो कुछ हुआ वह हमारे देश की हर बेटी की हार है। साक्षी ने कहा, विनेश तुम हारने वाली नहीं हो। यह हमारे देश की हर बेटी की हार है जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी। यह पूरे देश की हार है। देश आपके साथ है। एक एथलीट के तौर पर मैं आपके संघर्ष और जुनून को सलाम करती हूं। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच महावीर फोगाट ने कहा कि उन्होंने यह फैसला जल्दबाजी में लिया होगा और इस पहलवान के करीबी लोग उन्हें 2028 में लॉस एंजिल्स मैं होने वाले ओलंपिक खेलों को लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

विनेश से अनुरोध करता हूं कि वह दुखी मन से संन्यास लेने का फैसला नहीं लें: संजय

पेरिस। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को हताश महिला पहलवान विनेश फोगाट से आग्रह किया कि वह दुखी मन से खेल से संन्यास लेने जैसा फैसला नहीं करे। वह विनेश से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। पेरिस में निराशाजनक घटनाक्रम से विनेश का ओलंपिक पदक का सपना चकनाचूर हो गया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अंतरराष्ट्रीय कुश्ती करियर को अलविदा कह दिया। इस 29 वर्षीय पहलवान को बुधवार को ओलंपिक में अपने 50 किग्रा वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

जब वह आएंगी तो हम सब बैठेंगे और बात करेंगे : महावीर

महावीर फोगाट ने कहा, यह सच है, लोग हिम्मत हार जाते है। जब वह आएंगी तो हम (मैं, बजरंग, गीता) सब बैठेंगे और बात करेंगे। हम फैसला लेंगे और बता देंगे। आवेश में आकर लोग ऐसे फैसले ले लेते है लेकिन हम इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, हम उसे 2028 ओलंपिक में खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मै इनाम की घोषणा करने के लिए हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूं। जब तक मै सक्रिय हूं, खिलाड़ियों की मदद करता रहूंगा। पूर्व खेल मंत्री और एथेंस ओलंपिक के रजत पदक विजेता निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस घटना को दुखद और दिल तोड़ने वाला बताया।उन्होंने कहा, एक खिलाड़ी के जीवन में वर्षों का संघर्ष, उतार-चढ़ाव होता है, फिर कौशल दिखाने और जीतने के लिए वह महत्वपूर्ण दिन आता है। ऐसे में अगर इस तरह की गलती होती है, तो यह दुखद और दिल तोड़ने वाला है। राठौड़ ने कहा, लेकिन मै विनेश से कहना चाहता हूं कि वह युवा है और उसे इस चुनौती का सामना करना चाहिए और बहुत सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

लक्ष्य पेरिस ओलंपिक में निश्चित रूप से पदक के हकदार थे: एक्सेलसन

नई दिल्ली। पेरिस खेलो में अपने खिताब की रक्षा करने वाले दो बार के विश्व चैंपियन विक्टर एक्सेलसन ने कहा है कि युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ओलंपिक मे अपने शानदार प्रदर्शन के लिए निश्चित रूप से पदक के हकदार थे।बाइस साल के लक्ष्य इस साल ओलंपिक मे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने लेकिन डेनमार्क के सुपरस्टार एक्सेलसन से अंतिम चार के मुकाबले मे हार गए। लक्ष्य को आगे भी निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि वह कांस्य पदक के प्ले ऑफ मे मलेशिया के ली जी जिया से हार गए और अंततः चौथे स्थान पर रहे।

बिंद्रा ने विनेश के बारे में कहा, आप योद्धा की सच्ची भावना का प्रतीक हैं

पेरिस। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदकविजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बृहस्पतिवार को पहलवान विनेश फोगाट की सराहना करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई उनके दिल को छू गई और वह योद्धा की सच्ची भावना की प्रतीक है। ओलंपिक फाइनल मे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी 29 वर्षीय विनेश को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण 50 किग्रा स्वर्ण पदक मुकाबले से अयोग्य घोषित कर दिया गया था जिसके बाद उन्होंने अचानक संन्यास लेने की घोषणा कर दी। बिंद्रा ने उनसे मुलाकात की कुछ तस्वीरों के साथ एक्स पर लिखा, ऐसा कहा जाता है कि खेल मानवीय इच्छाशक्ति का उत्सव है।

जयविक्रमा पर आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन का आरोप

दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के तीन आरोप लगाए है, जिसमें मैच फिक्सिंग से जुड़ी पेशकश की रिपोर्ट नही करना और सबूतो को नष्ट करना शामिल है। इस 25 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर ने कथित तौर पर 2021 मे अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ-साथ लंका प्रीमियर लीग के मैच फिक्स करने के लिए की गई पेशकश की रिपोर्ट आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई को नही की थी।

हिल्डेब्रांट ने कहा, इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं की थी

पेरिस। विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण 50 किग्रा में अयोग्य ठहराए जाने के बाद उस भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी महिला पहलवान सारा एन हिल्डेब्रांट ने कहा कि वह खिताबी मुकाबले के दिन सुबह अफ्रातफरी के लिए तैयार थी लेकिन उन्होंने भारतीय खिलाड़ी के इर्द-गिर्द हुई घटना की उम्मीद नही की थी। फाइनल मे लोपेज को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली हिल्डेब्रांट ने कहा, मै अफ्रातफरी के लिए तैयार थी लेकिन इस तरह की घटना की उम्मीद नही की थी।

बबीता ने चचेरी बहन विनेश से संन्यास के फैसले पर फिर विचार करने को कहा

नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेलो की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बबीता फोगाट ने बृहस्पतिवार को अपनी चचेरी बहन विनेश से आग्रह किया कि कुश्ती से संन्यास लेने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें। वनेश को पेरिस ओलंपिक मे 50 किग्रा वर्ग की स्पर्धा के स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले वजन मापने के दौरान 100 ग्राम अधिक पाया गया जिससे उन्हें अयोग्य करार दिया गया।

दूसरे ओलंपिक पदक से चूकीं मीराबाई

चौथे स्थान पर रही

पेरिस। तोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू एक समय दूसरा ओलंपिक पदक जीतने के करीब पहुंच गई थी लेकिन अंतिम प्रयास में असफल होने के कारण वह बुधवार को यहां महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में चौथे स्थान पर रहते हुए पदक से चूक गईं। मीराबाई ने स्नैच में 88 और क्लीन एवं जर्क में 111 से कुल 199 किग्रा का वजन उठाया। इससे वह महज एक किलोग्राम से पदक से चूक गईं। मीराबाई ने बाद में पत्रकारों से कहा, मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं क्योंकि मुझे चोट से उबरने के बाद तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला था। उन्होंने कहा, मैं अभ्यास में 85 किग्रा वजन उठा रही थी और मैंने इस प्रतियोगिता में भी ऐसा किया। मैं क्लीन एवं जर्क में भी अच्छे प्रदर्शन के प्रति आश्वस्त थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और कोच ने जो कुछ कहा मैंने उसका पालन किया। आज भाग्य मेरे साथ नहीं था जो मैं पदक नहीं जीत पाई लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार चीन की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन होउ झिहुई ने क्लीन एवं जर्क में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया।

पहलवान अमन सेमीफाइनल में हारे

● अब कांस्य पदक का मैच खेलेंगे

भाषा। पेरिस

भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग के शुरूआती दो मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता से जीतने के बाद बृहस्पतिवार को यहां जापान के शीर्ष वरीय रेई हिगुची से एकतरफा सेमीफाइनल में पराजित हो गए जिससे अब कांस्य पदक का मैच खेलेंगे। रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता जापान के अनुभवी पहलवान हिगुची ने पहले ही राउंड में तकनीकी श्रेष्ठता से आसानी से 10-0 से जीत दर्ज की। छत्रसाल अखाड़े के प्रतिभाशाली पहलवान अमन ने प्री क्वार्टरफाइनल और क्वार्टरफाइनल में दमदार प्रदर्शन किया था। पर हिगुची के खिलाफ आक्रामक खेल नहीं दिखा पाए और एक भी अंक नहीं जुटा सके। अब वह शुक्रवार को रात 10.45 बजे कांस्य पदक के मैच में पुअर्तो रिको के डारियान टोई क्रूज से भिड़ेंगे। अमन ने क्वार्टरफाइनल में अल्बेनिया के जेलिमखान अबाकारोव पर तकनीकी श्रेष्ठता (12-0) की जीत से सेमीफाइनल में पहुंचकर कुश्ती में देश की पदक की उम्मीद जगाई। एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता और ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले देश के एकमात्र पुरुष पहलवान अमन ने क्वार्टर फाइनल में अबाकारोव पर आसानी से जीत हासिल की।

याराजी महिला 100 मीटर बाधा दौड़ से बाहर

पेरिस। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी भारत की 100 मीटर बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति याराजी बृहस्पिवार को यहां रेपेचेज हीट एक में चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गईं और पेरिस ओलंपिक खेलों से बाहर हो गईं। हीट एक में ज्योति ने 13.17 सेकेंड का समय लिया और वह अपनी हीट में सात धावकों के बीच चौथे स्थान पर रहीं। उन्होंने रेपेचेज दौर में हिस्सा लेने वाली 21 धावकों में 16वां स्थान हासिल किया। ज्योति की हीट से दक्षिण अफ्रीका की मारियोन फोरी (12.79 सेकेंड) और नीदरलैंड की मायकी जिन-ए-लिम (12.87 सेकेंड) ने पहले दो स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। रेपेचेज की प्रत्एक तीन हीट से शीर्ष दो धावकों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहली बार ओलंपिक खेल रही ज्योति इन खेलों की 100 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाली पहली भारतीय भी हैं। चौबीस साल की ज्योति का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 12.78 सेकेंड का है और अगर वह अपने इस प्रदर्शन को दोहराती तो सेमीफाइनल में जगह बना लेती। इससे पहले बुधवार को भी ज्योति अपनी हीट में खराब प्रदर्शन के बाद सातवें स्थान पर रहते हुए स्वत: सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई थीं। उन्होंने चौथी हीट में 13 . 16 सेकेंड का समय निकाला था और 40 धावकों में 35वें स्थान पर रहीं थी।

महिलाओं की 57 किग्रा स्पर्धा में अंशु मलिक हारीं, अब रेपेचेज की उम्मीद

भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक 57 किग्रा फ्रीस्टाइल स्पर्धा के प्रीक्वार्टर फाइनल मे अपने से अनुभवी दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और पांचवी वरीय हेलेन लुसी मैरोयूलिस से 2-7 से हार गईं। अपने दूसरे ओलंपिक मे हिस्सा ले रही अंशु को रेपेचेज मे खेलने के लिए मैरोयूलिस के फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद करनी होगी। पहले राउंड मे अमेरिका की रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक और तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान मैरोयूलिस ने शुरू से दबदबा बनाते हुए बढ़त हासिल की। इसमे अंशु काफी डिफेंसिव लग रही थी, पर उन्होंने दुनिया की इस मशहूर पहलवान को और अंक नही बनाने दिए। दूसरे राउंड मे भी तीन बार की विश्व चैम्पियन मैरोयूलिस ने यही प्रदर्शन जारी रखते हुए पांच अंक जुटाए और चेतावनी मिलने के बावजूद जीत दर्ज की जबकि वापसी की कोशिश मे जुटी अंशु केवल दो अंक ही हासिल कर सकी।

तैराकी में उप्र की जिया ने जीता कांस्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जिया यादव ने 40वीं सब जूनियर व 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 6 से 11 अगस्त 2024 तक भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित इस चैंपियनशिप के दूसरे दिन झांसी की जिया ने बालिका ग्रुप 2 में 100 मी बैक स्ट्रोक में 1: 09:39 सेकेंड के समय के साथ यह सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के सचिव शिवम कपूर ने बताया कि जिया यादव वर्तमान में नई दिल्ली की ग्लेनमार्क अकादमी में राष्ट्रीय मुख्य प्रशिक्षक पार्थ मजूमदार की देख.रेख में अभ्यास कर रही है।

शिवानी कप संडे स्पेशल ओपन चेस टूर्नामेंट 11 को

लखनऊ। लखनऊ जिला चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में शिवानी पब्लिक स्कूल द्वारा 40वां शिवानी कप संडे स्पेशल ओपन चेस टूर्नामेंट 11 अगस्त 2024 को मानसरोवर योजना शहीद पथ स्थित शिवानी पब्लिक स्कूल के परिसर में आयोजित होगा। लखनऊ जिला चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर दुबे ने टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुल 40,000 हजार रुपए की ईनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में ओपन, अंडर-16,अंडर.7ए अंडर-9, अंडर-11, अंडर-13, सर्वश्रेष्ठ वेटरन-60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं सर्वश्रेष्ठ महिला ;18 वर्ष से अधिकद्ध वर्ग में स्विस सिस्टम और फिडे नियमों के तहत मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नः 9559999158 पर सम्पर्क कर सकते है।

मेहता क्लब की जीत में अमिताभ का आलराउंड खेल

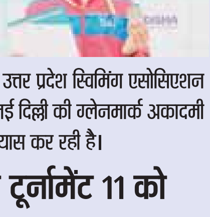

लखनऊ। मैन ऑफद मैच अमिताभ पाठक-4 विकेट 24 रन के शानदार आलराउंड खेल से मेहता क्लब ने पांचवीं श्रीपाल सिंह स्मारक टी20 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में ईगल फाइटर उन्नाव को 6 विकेट से हराया। पार्थ रिपब्लिक ग्राउंड पर में ईगल फाइटर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 123 रन का स्कोर बनाया। टीम से नवीन अवस्थी 28, मो.परवेज नाबाद 19 हिमांशु यादव 17 व सैयद फैज 10 ही दहाई के आंकड़े में रन बना सके। मेहता क्लब से अमिताभ पाठक ने 4 ओवर में 1 मेडन के साथ 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए। जवाब में मेहता क्लब ने 12.1 ओवर में मात्र 4 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाकर मैच जीत लिया। जीत में अपूर्व ने नाबाद 34, अमिताभ पाठक ने 24,जय सिंह ने 20, विनीत सिंह ने 12 व रोहित ने नाबाद 10 रन का योगदान किया।

क्विक न्यूज

चित्रावेल-अबुबाकर त्रिकूद फाइनल में नाकाम

पेरिस। भारत के स्टार एथलीट प्रवीण चित्रावेल और एन अब्दुल्ला बुधवार को यहां पेरिस ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स की पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे।राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक चित्रावेल ग्रुप ए में 16.25 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 16 खिलाड़ियों मे 12वें और दोनो ग्रुप में मिलाकर 32 खिलाड़ियों में कुल 27वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गए। चित्रावेल ने दूसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।चित्रावेल 17.37 मीटर के अपने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और 17.12 मीटर के सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी पीछे रहे। अगर वह इस प्रदर्शन के करीब पहुंचते तो आसानी से फाइनल में जगह बना सकते थे।वही दूसरी तरफ अबुबाकर ग्रुप बी में 16.49 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 16 खिलाड़ियों मे 13वें और दोनो ग्रुप में मिलाकर कुल 21वें स्थान पर रहे। अबुबाकर ने तीसरे और अंतिम प्रयास मे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

मनु करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेंगी: मांडविया

नई दिल्ली। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेरिस ओलंपिक में पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर की दो कांस्य पदक जीतने की उपलब्धि युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को इस खेल को अपनाने और गौरव हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।बाइस वर्षीय मनु एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और फिर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा मे भी कांस्य पदक हासिल किया। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी। मांडविया ने एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 मे दो कांस्य पदक जीत कर स्वदेश लौटी देश की बेटी मनु भाकर से आज मिलकर उन्हें इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होने लिखा, मनु भाकर की यह सफलता भारतीय खेल जगत के करोड़ो युवाओं को प्रेरित करेगी। पूरे देश को उन पर गर्व है।

ओलंपिक में अनुशासनहीनता के लिए अंतिम पंघाल पर लग सकता है तीन साल का प्रतिबंध: सूत्र

पेरिस। अपने मान्यता कार्ड से अपनी बहन को खेल गांव मे प्रवेश दिलाने की कोशिश करके भारतीय ओलंपिक दल को शर्मसार करने वाली पहलवान अंतिम पंघाल को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा तीन साल के लिए प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। अंतिम बुधवार को महिलाओं की कुश्ती के 53 किग्रा भार वर्ग में अपना पहला मुकाबला हारने के बाद ओलंपिक से बाहर हो गई थी। भारतीय दल के एक सूत्र ने बताया, आईओए (भारतीय ओलंपिक संघ) के अधिकारियो ने इस मुद्दे पर चर्चा की जिससे सभी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कोच सहित सभी पर तीन साल का प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्र ने कहा, सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह घर पहुंच जाए। फैसले की घोषणा उसके भारत पहुंचने के बाद ही की जाएगी। अंतिम के आज शाम दिल्ली के लिए उड़ान भरने की उम्मीद है।

इन्फिनिक्स गेमिंग व एंटरटेनमेंट का पावरहाउस बनेगा

बेंगलुरू। इनोवेटिव मोबाईल टेक्नोलॉजी में अग्रणी, इन्फिनिक्स ने लेटेस्ट स्मार्टफोन, नोट 40एक्स 5जी लॉन्च किया है। कमल पाण्डेय प्रोडक्ट हेड इन्फिनिक्स इंडिया व अनीश कपूर सीईओ इन्फिनिक्स इंडिया ने यह लांचिंग यूपी की राजधानी लखनऊ में की । दोनों ने कहा कि यह इन्फिनिक्स के सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में संभावनाओं के दायरे बढ़ा रहा है और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मशहूर नोट सीरीज में कंपनी के उत्पादों का विस्तार कर रहा है। नया नोट 40एक्स 5जी 9 अगस्त से 13,499 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ उपलब्ध होगा, जिसमें फ्लिपकार्ट और रिटेल स्टोर्स पर बैंक ऑफर भी शामिल हैं। इन आकर्षक खूबियों के साथ नोट 40एक्स गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और म्यूजिक प्लेबैक के लिए एक जबरदस्त एंटरटेनमेंट पॉवरहाउस है। अपनी श्रेणी में नए मानक स्थापित करते हुए नोट 40एक्स 5जी में दो मैमोरी कॉन्फिगुरेशन, 8जीबी,256जीबी और 12जीबी,256 जीबी में आ रहा है। इन दोनों में ही यूएफएस 2.2 स्टोरेज टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इस कॉम्बिनेशन के कारण ऐप बहुत तेजी से लॉन्च होते हैं, मल्टीटास्किंग बहुत सुगमता से होती है, और यूजर को कंटेंट रखने के लिए पर्याप्त स्पेस मिलता है। यह डिवाईस मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर पर चलती है, जो रोजमर्रा के टास्क से लेकर बहुत गहन एप्लीकेशन एवं मोबाईल गेमिंग तक हर मामले में शानदार परफॉर्मेंस प्रदान करती है।

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता कुसाले घर लौटे, सफलता का श्रेय कोच और परिवार को दिया

पुणे। पेरिस ओलंपिक मे 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस स्पर्धा मे कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले का बृहस्पतिवार को स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत किया गया और उन्होने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया। कोल्हापुर के कुसाले पेरिस खेलो में अब तक भारत के दो व्यक्तिगत पदक विजेताओ में से एक रहे है। स्वदेश लौटने पर कुसाले का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और वह भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए शहर के प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर गए। उन्होने बालेवाड़ी खेल परिसर मे एक सम्मान समारोह के दौरान मीडिया से कहा, यह पदक मेरा नही है, यह पूरे देश और महाराष्ट्र का है। यह मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों, सरकार और राष्ट्रीय महासंघ का है। मै भाग्यशाली हूं कि मै महाराष्ट्र को गौरवांवित कर सका। कुसाले ने कहा, मै सबसे पहले बप्पा की पूजा करना चाहता था और आरती करना चाहता था। यह मेरा दूसरा घर है और मुझे यहां अच्छी नीद आती है।

भारत भविष्य में धीमी और टर्निंग पिचों के लिए अलग खिलाड़ियों का चयन कर सकता है : रोहित

कोलंबो। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि भारत जस की तस रणनीति अपनाकर भविष्य मे धीमी और टर्निंग पिचो के लिए अलग खिलाड़ियो का चयन कर सकता है। श्रीलंका ने परिस्थितियो का पूरा लाभ उठाकर तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 110 रन से हराकर श्रृंखला जीती। यह पिछले 27 वर्षो मे पहला अवसर है जबकि वह वनडे श्रृंखला मे भारत को हराने मे सफल रहा।रोहित ने मैच के बाद कहा, मुझे नही लगता कि हमारी तरफ से प्रयासो मे कोई कमी थी। आपने देखा होगा कि कुछ खिलाड़ियों ने रिवर्स स्वीप और पैडल स्वीप खेले। ऐसा नही है कि हमने अपनी तरफ से कोई कोशिश नही की। इन बल्लेबाजो की इस तरह की प्रकृति नही है। भारतीय टीम तीसरे वनडे मे 249 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 138 रन पर आउट हो गई। जब आप इस तरह की पिचो पर खेलते है तो इसको लेकर हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि हमे किस तरह से खेलना है और किस तरह से लय बनाए रखनी है। हम तीनो मैच मे लक्ष्य हासिल नही कर पाए, यहां तक की पहले मैच मे भी जो टाई रहा था। हमें खिलाड़ियो को यह बताना होगा कि हम उनसे क्या चाहते है और अगर हमें परिस्थितियो के अनुसार खिलाड़ियो का चयन करना पड़े तो दुर्भाग्य से हम ऐसा कर सकते है। हम एक ऐसी टीम तैयार करने की कोशिश करेंगे जो सभी परिस्थितियो मे अच्छा प्रदर्शन कर सके। बल्लेबाज उस तरह का साहसिक प्रदर्शन नही कर पाए जैसा की टीम उनसे चाहती थी।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड,ए-8, सेक्टर-7, जिला-गौतमबुद्ध नगर, नोएडा (उ.प्र.)-201301, दूरभाष-01202470700 से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-205 द्वितीय मंज़िल, प्रताप भवन, 5,बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष:011-69342500।